✱ बिहार-झारखंड का अपना अखबार

नवबिहार टाइम्स

✱ पटना संस्करण

अपना प्रदेश, अपनी बात

छपरा में पीएम नरेन्द्र मोदी की सभा में उमड़ी भीड़

✱ रजि. नंबर : 52290/90 ✱ वर्ष : 36 ✱ अंक : 153 ✱ पृष्ठ : 20 ✱ औरंगाबाद, शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 ✱ मूल्य : 3.00 रुपये ✱ औरंगाबाद एवं बोकारो से प्रकाशित ✱ www.navbihartime.com

विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना जरूरी : पीएम मोदी

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

मुजफ्फरपुर/छपरा। छठ पर्व के बाद जैसे ही बिहार चुनावी मोड में लौटा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। मुजफ्फरपुर के चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने राजद और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना जरूरी है, लेकिन ये दल बिहार को केवल पीछे ले जाते हैं। मोदी ने कहा कि इनकी पहचान बस पांच चीजों से है-कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों को एक साथ घेरते हुए कहा कि जिन्होंने रेल को लूटा, वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या? जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का है, वो उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिनके राज में अपहरण और लूट का बाजार था, वो कानून का राज लाएंगे क्या? मोदी ने कहा कि राजद-कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार और अपराध का गठजोड़ आम

लोगों की तकदीर पर भारी पड़ा था। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जानते हैं कि जंगलराज का क्या मतलब होता है। अब वही ताकतें फिर सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बिहार इन्हें माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने 2005 के चर्चित गोलू अपहरण कांड का जिक्र करते हुए कहा कि एक छोटे बच्चे का अपहरण हुआ और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उस दौर में अपहरण कारोबार बन गया था, राजद के शासनकाल में 35 से 40 हजार अपहरण हुए। मां-बाप रोते रहे और सत्ता मौन रही। यही है इनकी पहचान। मोदी ने कहा कि बिहार ने क्राइम और करप्शन के उस काले दौर को भोगा है और अब वह दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। मोदी ने कहा कि जो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करते हैं, वे सामाजिक न्याय की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। उन्होंने कहा कि हमने डिजिटल पेमेंट के एप का नाम भीम एप रखा, ताकि हर गरीब और दलित को सम्मान मिले। जबकि ये लोग बाबा साहेब की तस्वीर तक पैरों में रखते हैं। प्रधानमंत्री ने राजद और कांग्रेस के गठबंधन को "मजबूरी का मेल" बताया। इनका रिश्ता तेल और पानी की तरह है। कल तक एक-दूसरे को नीचा दिखाने वाले आज मंच साझा कर रहे हैं। इन्हें जो जोड़ता है वो है सत्ता की भूख। सत्ता में आकर फिर से बिहार को लूटना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार में उद्योग, निवेश, बिजली और कानून व्यवस्था पर काम कर रही है जबकि विपक्ष के पास सिर्फ नफरत और नकारात्मकता की राजनीति है। प्रधानमंत्री ने रैली के अंत में कहा कि बिहार को फिर से कट्टा और करप्शन की राजनीति में नहीं लौटना है। बिहार को उद्योग चाहिए, रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए। एनडीए का संकल्प है, विकसित बिहार, विकसित भारत।

एनडीए आज जारी करेगा अपना घोषणा पत्र

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के घोषणा पत्र में गठबंधन महिलाओं और बेरोजगारों को लेकर कई घोषणाएं कर सकती है। बता दें कि 28 अक्टूबर को महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें तेजस्वी ने कई वादे किए थे जिनमें सबसे प्रमुख वादा ये था कि बिहार के जिन घरों में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को पटना के मौर्या होटल में सुबह 9.30 बजे एनडीए का घोषणा पत्र जारी होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जनता दल यूनाइटेड से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बीजेपी से सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मौजूद रहेंगे। एनडीए घोषणा पत्र में अपने कोर वोट बैंक महिलाओं का खास ख्याल रखेगी। इसके साथ ही वह युवाओं को लेकर खास घोषणाएं कर सकती है। इसका संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपनी मुजफ्फरपुर की रैली में दिया। उन्होंने कहा कि आपका सपना ही मेरा संकल्प है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महागठबंधन के घोषणा पत्र पर हमला करते हुए कहा राजद-कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र नहीं, अपनी रेटलिस्ट जारी किया है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद-रंगदारी, फिरौती, लूट-खसूट, भ्रष्टाचार यही सब है।

संक्षिप्त समाचार

दारोगा की गला रेतकर हत्या

सीवान (नबिटा ब्यूरो)। जिले में एएसआइ की गला रेतकर हत्या की गई है। दरौंदा थाने में पोस्टेड दरोगा अनिरुद्ध कुमार का शव दरौंदा-महाराजगंज मुख्य मार्ग पर सिरसावा गांव के पास सड़क किनारे झाड़ियों से बरामद किया गया है। चाकू से गला रेतकर वारदात को अंजाम दिया गया है। लव-अफेयर में हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि दरोगा का गांव की किसी ऑर्केस्ट्रा डांसर से रिश्ता था। जिसे लेकर कई बार अनबन भी हो चुकी थी। सूचना मिलते ही सीवान एसपी मनोज कुमार तिवारी, एसडीपीओ अमन के साथ-साथ स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

वाहन जांच के दौरान ढाई किलो चांदी के आभूषण बरामद

कटिहार(नबिटा ब्यूरो)। नगर थाना क्षेत्र में सघन वाहन जांच के दौरान 2 किलो 500 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में विधि-व्यवस्था बनाए रखने और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार वाहन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर थाना क्षेत्र के भगवान चौक के पास एक स्कूटी की डिक्की से ये आभूषण जब्त किए गए।

जन सुराज समर्थक की गोली मारकर हत्या

पटना (नबिटा ब्यूरो)। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकाम के चर्चित नेता दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। यह घटना उस वक्त हुई जब दुलारचंद यादव मोकामा के बसावनचक गांव में पीयूष को जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। अपराधियों ने दुलारचंद यादव को पहले गोली मारी, इसके बाद गाड़ी से भी कुचल दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने पूरे मोकामा के चुनावी माहौल में गहरा तनाव पैदा कर दिया है।

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के हेलीकॉप्टर की खेत में लैंडिंग

आरा(नबिटा ब्यूरो)। विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आए यूपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह की जान बाल-बाल बची। खराब मौसम के कारण उनके हेलीकॉप्टर को धान के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गयी। हादसे में किसी नुकसान की सूचना अभी तक नहीं मिली है। संदेश विधानसभा क्षेत्र में वे चुनाव प्रचार करने आए थे। बारिश के कारण यह हादसा पेश आया।

बिहार में 2005 से पहले फालतू सरकार थी : नीतीश

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

बेगूसराय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय के मटिहानी में सभा की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, 'पुराने वाले लोग कुछ काम नहीं किए। 2005 से पहले पूरे बिहार में भय का माहौल था। न इलाज, न सड़क, न बिजली, न शिक्षा की व्यवस्था थी। हमने हर सेक्टर हर वर्ग के लिए काम किया है। देश की प्रगति में बिहार बड़ा रोल अदा करता है।' इससे पहले चेरिया बरियारपुर के खोदावंदपुर प्रखंड मैदान में मुख्यमंत्री की सभा हुई। मंच पर जदयू के प्रत्याशी अभिषेक आनंद, बछवाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता और बखरी से लोजपा (रा.) के प्रत्याशी संजय पासवान मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि, 'पहले वाली स्थिति में बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। अब बच्चा, लड़का, लड़की आराम से घूमते हैं। हम भी

अपने इलाके में जाते थे तो देखते थे सब बंद रहता था। पहले फालतू सरकार थी। हिंदू-मुस्लिम झगड़े होते थे। पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, इलाज की व्यवस्था नहीं थी। सड़कें नहीं थीं। बिजली नहीं थी। हमारी सरकार आई तो हमने सभी के हित में काम किया।' मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन की शुरुआत 2005 से पहले और बाद के बिहार की तुलना करते हुए की। उन्होंने कहा कि पहले वाली सरकार (राजद) ने कोई काम नहीं किया था। ऐसा बुरा हाल था कि लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। हमारी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। हम लोगों ने 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू करा दी और 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की भी घेराबंदी कराई ताकि कोई विवाद न हो। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हमने सबके लिए काम किया।

एलआइसी ने द वाशिंगटन पोस्ट की झूठी रिपोर्ट का किया खंडन

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

मुम्बई। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) ने 'द वाशिंगटन पोस्ट' की झूठी रिपोर्ट का खंडन किया है। एलआइसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इन आरोपों को झूठा बताया है। एलआइसी की ओर से 'द वाशिंगटन पोस्ट' के आर्टिकल के जवाब में कहा गया है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने आरोप लगाए हैं कि एलआइसी के निवेश से जुड़े फैसले बाहरी फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं। ये सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि आर्टिकल में बताए गए ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट या प्लान को एलआइसी ने कभी तैयार नहीं किया, जो एलआइसी द्वारा अदाणी ग्रुप की कंपनियों में फंड डालने के लिए एक रोडमैप बनाता हो। एलआइसी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि निवेश के फैसले एलआइसी द्वारा बोर्ड से मंजूर पॉलिसी के अनुसार, पूरी जांच-पड़ताल के बाद स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। साथ ही कंपनी ने यह भी साफ किया कि फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट या किसी अन्य संस्था का ऐसे फैसलों में किसी तरह की कोई भूमिका नहीं होती। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि एलआइसी ने ड्यू डिलिजेंस के उच्चतम स्टैंडर्ड्स को सुनिश्चित किया है और निवेश के सभी फैसले सभी स्टेकहोल्डर्स के सर्वोत्तम हित में, मौजूदा पॉलिसी, एक्ट्स के प्रावधानों और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के पालन में किए गए हैं। एलआइसी की ओर से यह भी कहा गया कि आर्टिकल में कथित बयान कंपनी की निर्णय लेने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही ये आरोप एलआइसी और भारत के मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर की प्रतिष्ठा और छवि को खराब करने के इरादे से लगाए गए हैं।

राहुल गांधी के प्रचार करने पर रोक लगाए आयोग : भाजपा

पटना(नबिटा ब्यूरो)। भाजपा ने चुनाव आयोग से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शीघ्र उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। साथ ही उनके बिहार में निश्चित समय तक के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की भी मांग की है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने की लिखित शिकायत गुरुवार को भाजपा ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की है। पार्टी ने आयोग से यह भी कहा है कि राहुल गांधी को बिना शर्त उनकी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश दिया जाय। भाजपा के निर्वाचन आयोग समन्वय विभाग के संयोजक विध्यांचल राय ने आयोग को लिखे शिकायत पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के बयान ने न केवल आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया है बल्कि यह देश के प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा को ध्वस्त करने का भी प्रयास है।

आचार संहिता में हथियार लेकर घूम रहे लोग : तेजस्वी

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। जदयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह के इलाके मोकामा में सामाजिक कार्यकर्ता दुलार चंद की हत्या को लेकर तेजस्वी यादव ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री तीस साल पहले की बातें बार-बार करते हैं लेकिन तीस मिनट पहले बिहार में क्या हुआ, यह उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। सिवान में एएसआई अनिरुद्ध पासवान की गला काटकर हत्या कर दी गई। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है। तेजस्वी ने कहा कि इस समय आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव चल रहा है। इसके बाद भी कुछ लोग कैसे बंदूक गोली लेकर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तीस साल पहले की बात करते हैं और तीस मिनट पहले क्या हुआ, यह नहीं देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि किस प्रकार के लोग बिहार को कब्जा किए हुए हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री को यह सब आंख खोलकर देखना चाहिए। तेजस्वी ने पूछा कि कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर लेकर आए हैं। चुनाव में आचार संहिता में बंदूक लेकर घूम रहे हैं। यह लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देगी। किन-किन प्रवृत्ति के लोगों ने बिहार पर कब्जा किया हुआ है। कभी दो सौ राउंड गोली चलाई जाती है। कभी चुनाव के दौरान हत्या कर दी जाती है लेकिन कुछ नहीं होता है। शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधियों को संरक्षण देने और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए कुर्सी पर बैठे हैं।

नीतीश का रिमोट मोदी-शाह के हाथ : राहुल

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

बिहारशरीफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नालंदा के नूरसराय में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन के पक्ष में ज़ोरदार गोलबंदी की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनका नियंत्रण दिल्ली से चल रहा है और राज्य में 20 साल के 'विकास' के दावे पूरी तरह खोखले हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत बिहार के सबसे ज्वलंत मुद्दे युवाओं के पलायन को उठाकर की। उन्होंने सवाल किया, ''यह जो चमत्कार आप बिहार के बाहर जाकर करते हो, वह आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो?'' उन्होंने युवाओं को 'मेड इन चाइना' की जगह फ़ोन पर 'मेड इन बिहार' और 'मेड इन नालंदा' देखने का सपना दिखाया और वादा किया कि स्थानीय फैक्ट्रियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। नालंदा के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए

कांग्रेस नेता भावुक हुए। उन्होंने कहा कि यह धरती कभी पूरी दुनिया का शिक्षा केंद्र थी, लेकिन आज दुख की बात है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ 'पेपर लीक' के लिए जानी जाती है। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं, बल्कि 'मरने जाते हैं।' राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी के हाथ में कुछ नहीं है, उनका रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। बिहार को नीतीश नहीं, बल्कि मोदी-शाह चला रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमलावर रुख अख्तियार करते हुए देश को 'दो हिंदुस्तान' में बांटने का आरोप लगाया एक अंबानी-अडानी का और दूसरा गरीबों, किसानों, और मजदूरों का। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की ज़मीन छीनकर उद्योगपतियों को दी जा रही है। पीएम मोदी को 'डरपोक' बताते हुए राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान को खत्म करने की साजिश रचने और हरियाणा-महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी 'वोट चोरी' करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने युवाओं से पोलिंग बूथ पर सजग रहने की अपील की। उन्होंने नालंदा के लिए एक बड़ा वादा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर, वे दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा में बनाएंगे, जिससे बिहार एक बार फिर शिक्षा और रोजगार का केंद्र बन सके। उन्होंने गारंटी दी कि महागठबंधन की सरकार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब सवर्ण सभी की आवाज शामिल होगी। रैली के अंत में, उन्होंने नालंदा से कांग्रेस प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार, बिहारशरीफ से उमैर खान और हरनौत से अरुण कुमार को भारी मतों से जिताने की अपील की।

बिहार में सीएम व देश में पीएम की वैकेंसी नहीं : अमित शाह

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

बिहारशरीफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि ना बिहार में अभी सीएम की वैकेंसी है और न केंद्र में पीएम की। लालू यादव एवं सोनिया गांधी अपने बेटों को पीएम और सीएम बनने के सपने को देखना छोड़ दें। गृह मंत्री श्री शाह गुरुवार को हिलसा के मई गांव के समीप एनडीए के जदयू प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं। भारत माता की जय वंदे मातरम और जय श्री राम के जयकारे के साथ अपने संबोधन का शुभारंभ महागठबंधन पर प्रहार करते हुए किया। कहा कि 500 साल पहले मुगलों ने राम मंदिर को तोड़ा और 70 साल तक कांग्रेस ने राम मंदिर बनाने नहीं दिया। जब एनडीए की सरकार बनी तो

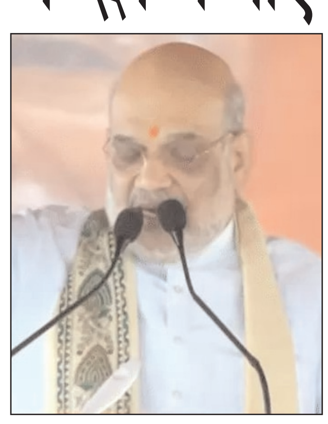

अयोध्या में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया। अब बिहार में माता सीता की जन्मस्थली में 850 करोड़ की लागत से उनका भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 5 महीना पहले मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ माता सीता के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था और बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ प्राण प्रतिष्ठा होगी। उन्होंने कहा कि रामायण सर्किट भी बनाने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि नालंदा में 6 नवंबर को मतदान होना है और आप सभी लोगों को तीर पर बटन दबाकर वोट देना है। जो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचने वाला है क्योंकि यह चुनाव किसी को विधायक और मंत्री बनाने का नहीं है बल्कि यह जंगल राज को रोकने का चुनाव है। लालू-राबड़ी के शासनकाल की चर्चा करते हुए कहा कि नालंदा ने भी उस जंगल राज को देखा है। उस कार्यकाल में पूरे बिहार में 25 नरसंहार हुए थे। वहीं 20 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। सुशासन बाबू ने हत्या अपहरण डकैती फिरौती जैसे सभी तरह के अपराधों पर रोक लगाकर बिहार को जंगल राज से मुक्त किया। बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से प्रभावित था। उसे भी मुक्त करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। अभी तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था पर बहुत कुछ कह रहे हैं। 2005 की तुलना में 2024 में हत्या में 20% डकैती में 80% फिरौती में 80% की कमी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी तरह की अपराधी घटनाओं में कमी लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जनसभा में उपस्थित एनडीए के तीनों जदयू प्रत्याशियों कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, श्रवण कुमार एवं रुहेल रंजन को विजयी बनाना है तभी प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार विकसित होगा।

बिहार-झारखण्ड का अपना अखबार

नवबिहार टाइम्स

एक अखबार, पूरा बिहार

राजधानी पटना में सर्वत्र उपलब्ध

अखबार की प्रति प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो तो निम्नांकित नम्बरों पर सम्पर्क करें

9334115121/8540866721/8789755505

पटना कार्यालय

द्वितीय तल, रवि-उर्मिला काम्प्लेक्स

आशियाना-दीघा रोड, पटना-13

मो0-6206165107

7004534093

मोदी-नीतीश के रहते महिलाओं के पैसे कोई नहीं छीन सकता: सम्राट

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि महागठबंधन की हार तय है इसलिए वह बिहार की महिलाओं के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं कि एनडीए सरकार जीविका दीदियों या महिला उद्यमियों से दिए गए पैसे वापस ले लेगी या ब्याज वसूलेगी, जबकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की एक करोड़ 41 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो राशि उनके खातों में भेजी है, उसे कोई छीन नहीं सकता। सम्राट चौधरी ने यह बातें तारापुर, हिलसा और पालीगंज में आयोजित जनसभाओं में कही, जहां वे एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रचार कर रहे थे। तारापुर में उन्होंने कहा कि वे 30 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं, पांच बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और दो बार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इस बार वे पहली बार अपने जन्मस्थान तारापुर से चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के सहयोग से तारापुर के अधूरे सपनों को वे पूरा करेंगे। महागठबंधन पर हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार की जनता अब सब समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगा। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर आरोप लगाया कि इन दलों ने बिहार को 55 सालों तक पिछड़ेपन में धकेला। कांग्रेस ने 40 साल और लालू प्रसाद यादव ने 15 साल राज्य को लूटा। जब राज्य के विकास की जरूरत थी तब इन लोगों ने चारा और अलकतरा घोटालों से बिहार को कलंकित किया। उस दौर में हत्या, अपहरण और नरसंहार की घटनाएं आम थीं। इसके विपरीत एनडीए शासन में बिहार का कायाकल्प हुआ है। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। आज बिहार में सुशासन की सरकार है, अपराधी 100 घंटे के भीतर पकड़े जाते हैं और पीड़ितों को न्याय मिलता है। उन्होंने कहा कि अब तक 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार मिला है, और अगली सरकार बनने पर एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अब विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। जनता ने तय कर लिया है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी।

पावरग्रिड पूर्वी क्षेत्र-1 द्वारा जागरूकता एवं शिकायतों के निवारण को लेकर बैठक

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। पावरग्रिड पूर्वी क्षेत्र-1 द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत विक्रेता में जागरूकता एवं उनकी शिकायतों के निवारण हेतु क्षेत्रीय मुख्यालय में विक्रेता बैठक का आयोजन 30.10.2025 को प्रातः 11 बजे किया गया जिसमें मंचासीन मुख्य महाप्रबंधक वी पी श्रीवास्तव एवं महाप्रबंधक (मानव संसाधन) रजत प्रसाद ने सभा में उपस्थित सभी विक्रेतायों एवं वीसी के माध्यम से जुड़े हर साइट के विक्रेताओं का स्वागत किया एवं सभी को कर्मनिष्ठ रहने के लिए प्रोत्साहित किया। सत्र के आरंभ में सभी विक्रेताओं से सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलवाई गई। कार्यक्रम में सभी विक्रेताओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

भारतीय जीवन बीमा निगम, पूर्व मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, पटना ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। भारतीय जीवन बीमा निगम, पूर्व मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025' मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के अंतर्गत भारतीय जीवन वीमा निगम, पूर्व मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के सभागार कक्ष में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संगठन एवं नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा ली गई। 30 अक्टूबर को एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने हाथों में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025' से संबंधित स्लोगन एवं बैनर लेकर भाग लिया। उपरोक्त कार्यक्रमों का आयोजन केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया जिसके अंतर्गत पूरे देश भर में 27 अक्टूबर 2025 से 2 नवम्बर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया जा रहा है।

छठ पूजा के बाद घाटों पर स्वच्छता अभियान की शुरूआत

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। चार दिवसीय छठ महापर्व के समापन के बाद बुधवार को सुबह राजधानी पटना के दीघा घाट से सफाई अभियान की शुरूआत की गई। सोमवार रात और मंगलवार तड़के लाखों श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर छठ व्रत पूर्ण किया। छठ महापर्व पर गंगा घाट किनारे आस्था का सैलाब उमड़ता है और जाहिर सी बात है महापूजा के श्रद्धा भाव से मनाए जाने के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा पूजा सामग्री जल में या घाट के किनारे ही भूलवश छोड़ दी जाती है जाहिर सी बात है छोड़ दी गयी सामग्रियों से कुछ दिनों बाद बदबू व गंदगी फैल जाती है जिससे निबटने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट व मीडिया मर्चेंट ने साझा व सराहनीय कदम उठाया व पटना के घाटों पर स्वच्छता अभियान की शुरूआत कर दी है।

भारतीय स्टेट बैंक, पटना मण्डल द्वारा बिहार-झारखंड के कार्यालयों एवं शाखाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। भारतीय स्टेट बैंक, पटना मण्डल द्वारा सम्पूर्ण बिहार एवं झारखंड के सभी कार्यालयों एवं शाखाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 27 अक्तूबर से 2 नवम्बर 2025 तक किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत अलग-अलग कार्यालयों में कई तरह के कार्यक्रमों जैसे-मानव शृंखला, ग्राम सभा, विद्यालयों में पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिता, वेंडर मीट, किसान सभा आदि का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय पटना में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरूआत में मुख्य महाप्रबंधक, पटना मण्डल अनुराग जोशी ने स्थानीय प्रधान कार्यालय, पटना के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 'सतर्कता जागरूकता एवं सत्यनिष्ठा' की शपथ दिलाई। इस अवसर पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया और 'भ्रष्टाचार निवारण' पर एक नाटक का मंचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी के अतिरिक्त रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, महाप्रबंधक (दक्षिण बिहार) आर नटराजन, महाप्रबंधक (उत्तर बिहार) आशुतोष श्रीवास्तव, उपमहाप्रबंधक (सतर्कता) एवं स्थानीय प्रधान कार्यालय, पटना के सभी उपमहाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

शक्तिधाम में दादीजी जन्मोत्सव की धूम

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। श्री दादीजी जन्मोत्सव के अवसर पर शक्तिधाम मंदिर की छटा निराली लग रही थी। आज श्री दादीजी मंदिर को बहुत ही आकर्षक ढंग से विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया था। इस अवसर पर शक्तिधाम के मुख्य संस्थापक अमर अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष श्री दादीजी का जन्मोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। सैकड़ों की संख्या में महिलायें लाल पीले वस्त्रों में सज-धज कर पहुंच रही थी। महिलायें श्री दादीजी की पूजा अर्चना कर रही थी। शक्तिधाम महिला मंडल की सैकड़ों महिलायें एक साथ लाल पीले वस्त्रों में सज धज कर दादी जी का पाठ कर रही थी। इस भजन कीर्तन में महिला मंडल की शकुंतला अग्रवाल, चंदा पोद्दार, अनुसूईया खेतान, रेखा मोदी, प्रेमलता गोयल, सरिता बंका, सरोज बंका, रेणु बजाज, वीणा झुनझुनवाला आदि का महत्वपूर्ण योगदान रही। एम पी जैन ने बताया कि आज के आयोजन को सफल बनाने में अमर अग्रवाल सहित ओम पोद्दार, रमेश मोदी, अक्षय अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, निर्मल अग्रवाल, शिव हरि अग्रवाल, सूर्य नारायण आदि की प्रमुख भूमिका रही।

Format C-1

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25' September, 2018, of Hon 'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India &Anr.)

Name and address of candidate: : Shravan Kumar, Vill+P.O.- Sareya, P.S.- Baniyapur, Saran, 841403

Name of political party : JAN SURAAJ PARTY

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election : General Election of legislative Assembly of Bihar- 2025

Name of Constituency : 115-BANIAPUR

I Shravan Kumar, a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

S. No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	A.C.J.M- VIII	PS 50/11, Baniapur	Pending	Sec. 147,148,149,323,307,379,342,435,384, 386, 504,506IPC and Sec.27 Arms Act. (Rioting, rioting with weapon, unlawful assembly, hurt, attempt to murder, theft, wrongful confinement, mischief by fire, extortion, robbery, insult, intimidation, and use of arms)
2	A.C.J.M-VIII	PS 239/19, Baniapur, Tr. No. 2209/25	Pending	Sec. 188, 123 RPA ACT (Disobedience of public order and corrupt practices in elections)
3	A.C.J.M-VI, Siwan	Family Suit 448/22, Tr No.1816/25	Pending	Sec. 138 NI ACT (Dishonor of cheque for insufficiency of funds.)

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

SI.no.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & Maximum punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1	Nil	Nil	Nil

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

फॉर्मेट सी-1

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

अभ्यर्थी का नाम एवं पता : **अमिता भूषण, वलिनाथ नगर, वार्ड नं. - 23, NH-31, पोस्ट - बेगूसराय, जिला - बेगूसराय, बिहार - 851101**

राजनैतिक दल का नाम : **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस**

(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां 'निर्दलीय" लिखें)

निर्वाचन का नामः **बिहार विधान सभा चुनाव 2025**

*निर्वाचन क्षेत्र का नामः **146, बेगूसराय**

मैं **अमिता भूषण** (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूं:

क्र. सं.	लंबित आपराधिक मामले			आपराधिक मामलों के लिए दोष सिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण	
	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं मामले की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (ए) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दंड का विवरण
1.	Special Judge (M.P./M.L.A) Add. CJMI, Begusarai	583/20	U/S 171C, 188 IPC & 127(A) Representation of People Act		
2.	Court No. 136 ACJM-14, Civil Court, Patna	298/18	U/S 147, 149, 353, 323, 188, 504, 506 IPC		
3.	CJM Begusarai	563/15	U/S 188, 171 (H), 171(I) IPC		

*राज्य सभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

This may be published in Newspapers and TV from the day following the last date for withdrawal of candidature and upto two days before the date of poll

Format C-1

(for candidate to publish in newspapers, tv)

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25' September, 2018, of Hon 'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India &Anr.)

Name and address of candidate: : **MD.EKLAKH S/O-MD.SHAHABUDDIN KHAN R/O-VILL+P.S-HASPURA DISTRICT-AURANGABAD**

Name of political party : **AZAD SAMAJ PARTY (KANSHIRAM)**

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election : Genral Election of legislative Assembly of Bihar- 2025

*Name of Constituency : **219 – GOH**

I MD.EKLAKH (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

S. No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	ASHISH KUMAR J.M. FIRST CLASS DAUDNAGAR	HASPURA P.S CASE NO-151/21	APPERANCE	Section(s) 188,283,353,504/34 IPC

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

SI.no.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & Maximum punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1	Nil	Nil	Nil

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

चुनाव पर्यवेक्षक ने अकोढ़ीगोला प्रखंड के बूथों का किया निरीक्षण

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

अकोढ़ीगोला। डिहरी विधान सभा चुनाव की तैयारी को लेकर अकोढ़ीगोला प्रखंड क्षेत्र के कई बूथों का गुरुवार को चुनाव पर्यवेक्षक संदीप सांगले ने निरीक्षण किया। उन्होंने डालमियानगर के सनाथ बिगहा, अकोढ़ी गांव समेत कई बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को जल्द से जल्द बूथों की पूरी तैयारी का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बूथों पर लाइट, कैमरा समेत सभी तैयारी पूरी करे। जल्द ही दुबारा बूथों का निरीक्षण करूंगा। वहीं उन्होंने अकोढ़ी के दलित बस्ती में जाकर मतदाताओं को बातचीत किया। उन्होंने मतदाताओं से पूछा कि पिछले चुनाव में अपने मतदान किया? आप विधान सभा चुनाव में मतदान करेंगे? मतदाताओं के हां करने पर पूछा कि क्या आप लोगों को मतदान करने से कोई रोकता है, कोई किसी के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाता है? अगर किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति विशेष ने मतदान करने से रोकता, टोकता है तो तुरंत मोबाइल पर इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन और हमें भी दे। पुलिस प्रशासन आपको तुरंत मदद के लिए पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति निर्भय और निष्पक्ष होकर मतदान करे। मौके पर अनुमंडलाधिकारी नीलेश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन, थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बिहार को विकसित बनाने के लिए एनडीए को वोट करें : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

डिहरी ऑन-सोन। बिहार को विकसित बनाने के लिए लोग एनडीए को वोट करें, क्योंकि जंगल राज की जब याद लोगों को आती है तो लोग सिहर उठते हैं। उक्त बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार की शाम शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि देश में पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कार्यों की तारीफ सभी जगह हो रही है जहां अशिक्षा थी वहां शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ। बिहार ने तीन गुना की तेज गति से विकास किया है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के युवराज गिरगिट से तेज रंग बदलते हैं। पहले इनका यूपीए गठबंधन था, इसके बाद इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। 55 वर्षों तक कांग्रेस ने देश में राज किया, लेकिन उपलब्धि बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इनके समय में बिहार दुनिया में बदनाम राज्य हुआ करता था। किस प्रकार बिहार में गुंडा राज था, उसे लोग भूले नहीं हैं। तब शाम के बाद लोग बिहार में घरों में दुबके रहते थे। वर्तमान समय में इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र एक विशेष वर्ग के लिए एजेंडा लेकर आए हैं। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास देखते है। जब लोग इनके हर मुद्दे को नकार दिया तो अब ये संविधान जैसे पवित्र किताब को लेकर नाचते हुए संविधान का अपमान करते हुए लोगों को बरगलाने का काम किया। लेकिन जब लोगों ने उसे नकारा तो उन्होंने वोट चोरी का झूठा प्रचार किया। जनता ने उसे भी नकारा दिया। बिहार के 75 हजार किसानों को किसान निधि का राशि उनके खाते में पहुंचाने का काम किया। 60 लाख गरीब परिवार को आवास योजना के तहत मकान दिया।बिहार में 4 करोड़ 28 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बना जिसमें 25 लाख लोग इसका लाभ ले चुके हैं। बिहार के एक करोड़ 60 लाख घरों में नल का जल पहुंचाने का काम किया। 8 करोड़ 78 लाख लोगों के घर राशन पहुंचाने का काम किया है। समृद्धि योजना के तहत फेरी वालों को लोन देने का काम किया है। 2014 के बाद बिहार में उजाला योजना के तहत एक करोड़ 46 लाख घरों में निःशुल्क एलइडी लाइट देने का काम किया। मुद्रा योजना के तहत 5 करोड़ 91 लाख युवाओं को लोन देने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ 16 लाख घरों में निःशुल्क गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। 30 लाख 21 हजार महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है जिसमें 20 लाख महिलाएं लखपति बन चुकी है। तेजस्वी और राहुल गांधी भी अपने घरों में बैठकर मोदी और नीतीश जी के कार्यों की प्रशंसा करते है। दो नमो भारत तीन के अलावे कई एक्सप्रे ट्रेनें , यात्रियों की कई सुविधाएं देने के साथ 80 से अधिक रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया गया। बिहार में सड़क का नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। लाखों लोगों को तक अबतक नौकरी देने का काम किया है।अब 2030 तक एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित है। पहले केंद्र से लेकर बिहार तक कोयला, टेलीकॉम समेत कई घोटाला और बिहार में चारा समेत कई बड़े घोटाले हुए। जिसपर राहुल तेजस्वी कोई चर्चा नहीं करते।एक करोड़ 46 लाख शौचालय बनाया गया है। बिहार में 2005 से पहले ग्रामीण सड़कों की स्थिति गड्ढे में तब्दील थी। वर्ष 2005 बाद कोई ऐसा गांव टोला नहीं है, जहां सड़कों का जाल नहीं बिछा हो। प्रधानमंत्री का संकल्प है, की विकसित भारत में ही विकसित बिहार बनेगा।

बेलाव बाजार में बहुजन समाज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

रामपुर (कैमूर)। प्रखंड क्षेत्र के बेलाव बाजार में गुरुवार को भभुआ विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार विकास कुमार उर्फ लल्लू पटेल ने फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के बाद पूरे बाजार में घूम कर सभी दुकानदारों एवं मतदाता मालिकों से आशीर्वाद प्राप्त किया। दुकानदारों द्वारा फूल माला से विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल का पूरजोर स्वागत किया जहां सैकड़ों की संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं ने लल्लू भैया जिंदाबाद विकास पटेल जिंदाबाद आपका नेता कैसा हो विकास पटेल जैसा हो आदि नारों से बेलाव बाजार गूंज उठा। वही ग्रामीण क्षेत्रों में बेलाव, नौहट्टा, इटवा, करौंदा इत्यादि दर्जनों गांव में भ्रमण किया। करौंदा गांव में भ्रमण के दौरान कहा कि भभुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास के लिए तरस रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कहीं गली की समस्या, तो कहीं नाली की समस्या, कही जल जमाव की समस्या, इन सारी समस्याओं को उठाने वाला कोई नहीं है। चुनाव का मुख्य मुद्दा मेरा युवाओं के साथ-साथ पूरे समाज का सर्वांगीण विकास, मैं युवा हूं दावे के साथ कहता हूं, मैं विधायक बनूंगा तो इन सारी समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे। आज मुझे बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला है इससे पहले मैं भभुआ का जिला पार्षद होने के नाते भी पूरे भभुआ विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर ग्रामीणों से मिला, ग्रामीणों की जो समस्याएं थी उसे जिला में उठाने का कार्य किया, हर तबके के अमीर, गरीब के सुख-दुख में शामिल रहता हूं। मौके पर पूर्व मुखिया विजय राम, रामाशीष राम, चंदन पटेल, तेज नारायण राम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

डिहरी ऑन-सोन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की डेढ़ सौ वीं जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। इसमें एक प्रमुख कार्यक्रम जल संगम से जनसंगम भी है जिसे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। इसके तहत देश की 25 नदियों के जल से नई दिल्ली में सरदार पटेल का जलाभिषेक अभिषेक किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत सोन नदी का भी चयन हुआ है। यहां सोन नदी के एनीकट स्थित घाट पर जल संग्रह किया गया। जल संग्रह से पूर्व दिल्ली से आये सोमा विश्वास व अशोक कुमार समेत अन्य चार प्रतिनिधियों ने यमुना नदी के पवित्र जल का संगम सोन नदी से कराया। इस जल को सरदार पटेल के जलाभिषेक हेतु दिल्ली भेजा जाएगा। स्थानीय महिला कॉलेज डालमियानगर के प्रभारी प्राचार्य डॉ दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक रखने में जो तटस्थता और दृढ़ता दिखाई वह हर देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। सरदार पटेल और उनके जीवन को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हो रहा है। आज 140 करोड़ देशवासी सरदार पटेल के सम्मान में अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को इन पवित्र जड़ों से सरदार पटेल का जन्मदिन जलाभिषेक नई दिल्ली में होगा। इस पवित्र जल संग्रह के संग्रह का सौभाग्य मुझे मिला है यह मेरे जीवन के लिए अविस्मरणीय पल है। कालेज की एन एस एस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ नीतू रानी ने कहा कि यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार का सौभाग्य है कि सोन नदी के पवित्र जल से सरदार पटेल का जलाभिषेक होगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश की नदियों की एकता का प्रतीक है। भारत की श्रेष्ठता का प्रतीक है। सरदार पटेल के प्रति देश के कृतज्ञ प्रणाम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल के मार्ग पर चलकर देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने को संकल्पित है या कार्यक्रम उस संकल्प की सिद्धि प्रदान करने का प्रतीक है। मौके पर कॉलेज के व्याख्याता डॉ राजीव, डॉ मिथिलेश सिंह, डॉ स्मिता डॉ संगीता, डॉ हरेंद्र सिन्हा समेत एनएसएस के स्वयंसेवक मौजूद थी।

फल्गु नदी में जलस्तर में संभावित वृद्धि को देख लोगों को किया गया सतर्क

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

जहानाबाद। 31 अक्टूबर 2025 तक फल्गु नदी के कैचमेंट एरिया चतरा एवं हजारीबाग क्षेत्र में भारी वर्षा की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। इसी के आलोक में जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा है कि फल्गु नदी में तेजी से जलस्तर में वृद्धि की सम्भावना के मद्देनजर उदेरास्थान बराज का गेट खोला जा सकता है जिससे डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में जल प्रवाह बहुत अधिक हो सकता है। इसके कारण फल्गु, भुतही तथा लोकाइन नदी के किनारे बसने वाले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि फल्गु नदी के किनारे या निचले इलाकों में रहने वाले सभी नागरिक सावधानी बरतें।

साथ ही नदी के समीप अनावश्यक आवाजाही से बचें तथा पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करें। प्रशासन की ओर से लोगों को सुझाव दिया गया है कि किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क करें। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जिला प्रशासन सभी की सुरक्षा हेतु पूरी तरह सतर्क एवं प्रतिबद्ध है।

घोसी में मतदान केंद्रों का पर्यवेक्षकों ने लिया जायजा

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

घोसी। आगामी 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को घोसी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव पर्यवेक्षकों ने कई मतदान केंद्रों पर घूम-घूम कर जायजा लिया। विधानसभा चुनाव पर्यवेक्षक के साथ घोसी विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सरिता कुमारी, अंचल अधिकारी सुधीर तिवारी एवं थानाध्यक्ष शैलेश कुमार समेत कई पदाधिकारी शामिल थे। सीओ ने बताया कि घोसी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र मध्य विद्यालय गोलकपुर, पंचायत भवन देहुनी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैरामसराय व आदर्श मध्य विद्यालय घोसी मतदान केंद्र का जायजा लिया।

ऑटो और ट्रक की टक्कर में 2 की मौत, 1 घायल

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

अरवल। जिले के कलेर थाना क्षेत्र में पटना-औरंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर अमीर बिगहा गांव के समीप गुरुवार की शाम लगभग सात बजे भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और तीसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ऑटो और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में यह हादसा हुआ। मृतकों में ऑटो सवार औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के घटारो गांव निवासी राजेश कुमार व सियाराम राजवंशी शामिल हैं। घायल अनिल राजवंशी औरंगाबाद जिले के दाउदनगर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का निवासी है। राजेश व अनिल रिश्ते में भाई हैं। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर भाग निकला। दो लोगों की मौत से उग्र लोगों ने एनएच पर आवागमन अवरुद्ध कर दिया।

आर एस के पब्लिक स्कूल में एनसीसी 42 बिहार बटालियन द्वारा 50 बच्चों को किया चयनित

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

डिहरी ऑन-सोन। डिहरी प्रखंड में आर एस के पब्लिक स्कूल सी बी एस ई का पहला विद्यालय होगा जहां एनसीसी के द्वारा बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। एन सी सी के कमांडेंट डी एस मलिक ने कहा कि एनसीसी के प्रशिक्षण से बच्चों का सेना में अधिकारी एवं देश महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में एडमिशन में अत्यधिक छूट मिलता है। नायक सूबेदार परसा राम तथा हवलदार विनय कुमार ने आज विद्यालय में एनरोलमेंट की प्रक्रिया को पूरा किया। मौके पर उपस्थित आर एस के पब्लिक स्कूल के इंस्ट्रक्टर अरूण कुमार अरुण तथा सीटीओ प्रिंस राज ने आंतरिक प्रक्रिया में सहयोग किया। निदेशक आनंद सिंह ने आज के एन सी सी के द्वारा बच्चों के एनरोलमेंट होने पर खुशी जताई एवं कहा कि बच्चों के अनुशासित जीवन एवं उज्वल भविष्य के लिए एन सी सी का प्रशिक्षण आवश्यक है।

फार्मेट सी-1
(समाचार पत्र, टीवी में प्रकाशन हेतु अभ्यर्थियों के लिए)

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसार) (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)
अभ्यर्थी का नाम और पता : **मुकेश कुमार यादव (ग्राम+पोस्ट+थाना-डोभी, गया)**
राजनैतिक दल का नाम : **निर्दलीय**
(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां "निर्दलीय" लिखें)
निर्वाचन का नाम : **बिहार विधान सभा**
निर्वाचन क्षेत्र का नाम : **226, शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र**

मैं **मुकेश कुमार यादव** (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूं:

(क)	**लंबित आपराधिक मामले**			
क्रम सं०	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं तारीख	मामले (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (धाराएं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1.	अनुसुचित जाति न्यायालय गया	अनुसुचित जाति थाना कांड सं. 74/12	लंबित	भा.द.वि धारा 323,324,341 भुमि विवाद
2.	श्रीमति कल्पना भारती न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय शेरघाटी	आमस थाना कांड सं. 204/20	लंबित	भा.द.वि धारा 188,269,270/34 आचार संहिता का उल्लंघन

क्रम सं०	(ख) **आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण**		
	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख (खें)	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	**अधिकतम अधिरोपित दंड**
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

राज्यसभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

फार्मेट सी-1
(समाचार पत्र, टीवी में प्रकाशन हेतु अभ्यर्थियों के लिए)

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसार) (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)
अभ्यर्थी का नाम और पता : **अभिराम सिंह (प्रोफेसर कॉलोनी, वार्ड-2, जहानाबाद(बिहार) 804408)**
राजनैतिक दल का नाम : **जन सुराज पार्टी**
(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां "निर्दलीय" लिखें)
निर्वाचन का नाम : **बिहार विधान सभा**
निर्वाचन क्षेत्र का नाम : **216, जहानाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र**

मैं **अभिराम सिंह** (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूं:

(क)	**लंबित आपराधिक मामले**			
क्रम सं०	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं तारीख	मामले (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (धाराएं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1.	सुलगम कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जहानाबाद	कांड सं. 260/13	लंबित	धारा 420 & 467, 468, 471/34 धोखाधड़ी और जालसाजी
2.	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जहानाबाद	कांड सं. 421/19	लंबित	धारा 341 & 323, 504/34 झगड़ा और मारपीट

क्रम सं०	(ख) **आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण**		
	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख (खें)	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	**अधिकतम अधिरोपित दंड**
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

राज्यसभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

प्रेक्षक ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

नवादा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के अंतर्गत 235–रजौली (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आज सामान्य प्रेक्षक जे. इनोसेंट दिव्या, आई.ए.एस. ने क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने मतदान केंद्रों की तैयारियों, मूलभूत सुविधाओं तथा मतदाताओं की सुविधा हेतु की जा रही व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया।

सामान्य प्रेक्षक ने आज मध्य विद्यालय मिर्जापुर, मध्य विद्यालय तेतरिया, मध्य विद्यालय शाहबाजनगर सराय, मध्य विद्यालय नदसेना एवं मध्य विद्यालय रसलपुरा सहित कई मतदान केंद्रों का भ्रमण किया। उन्होंने मतदान केंद्रों पर की जा रही तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदान दिवस के पूर्व सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जाएं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह विशेष रूप से कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, दिव्यांगजन हेतु रैंप, पर्याप्त रोशनी, बिजली की निर्बाध आपूर्ति, प्रतीक्षालय, कुर्सी एवं छाया की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी मतदाता को मतदान के दौरान असुविधा न हो। उन्होंने मतदान केंद्रों के आसपास की स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

सामान्य प्रेक्षक ने मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण, मतदान सामग्री की उपलब्धता, सुरक्षा बलों की तैनाती एवं मतदाताओं के लिए सुगम पहुंच की तैयारियों की भी जानकारी ली। सामान्य प्रेक्षक ने यह भी कहा कि मतदान के दिन किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों को परस्पर समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आयोग की मंशा है कि प्रत्येक मतदाता निर्भय, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

निरीक्षण के दौरान प्रखंड पदाधिकारी, मेसकौर, अंचलाधिकारी के साथ साथ अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

चार मोटरसाइकिल के साथ 720 लीटर शराब बरामद

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

नवादा। उत्पाद विभाग, नवादा की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मोटरसाइकिलों पर लदी कुल 720 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की है। यह कार्रवाई उत्पाद टीम, चेकपोस्ट गोविंदपुर द्वारा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज दोपहर चेकपोस्ट पर पदस्थापित अवर निरीक्षक प्रवीण कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ शराब तस्कर जमुन्दाहा 32 नंबर रेलवे कैंप मार्ग से चार मोटरसाइकिलों पर अवैध शराब लेकर बड़वा जंगल की ओर जाने वाले हैं। सूचना मिलते ही प्रवीण कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और बताए गए क्षेत्र में त्वरित छापामारी की गई। उत्पाद विभाग की गाड़ी को दूर से देखकर तस्कर अपनी मोटरसाइकिलों को मोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। पीछा किए जाने के क्रम में पाया गया कि चारों मोटरसाइकिलें जंगल की झाड़ियों में छोड़कर सभी तस्कर फरार हो गए। उत्पाद टीम द्वारा मौके पर छोड़ी गई मोटरसाइकिलों की तलाशी ली गई, जिसमें कुल 12 बोरे में अवैध देशी शराब बरामद की गई। प्रत्येक बोरे में लगभग 60 लीटर प्लास्टिक पॉलीथीन पैक शराब पाई गई, जिसकी कुल मात्रा 720 लीटर है।

फरार अज्ञात शराब तस्करों एवं वाहन स्वामियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग द्वारा क्षेत्र में लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है ताकि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं परिवहन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

पेंशनर भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित

नारदीगंज,नवादाः-पेंशनर भवन नारदीगंज में गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। अध्यक्षता पेंशनर समाज के प्रखंड अध्यक्ष रामधनी प्रसाद ने की। इस दौरान जिला पेंशनर समाज नवादा के महासचिव सह प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व महासचिव बृज किशोर सिंह के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रखंड के गणमान्य लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा उनके निधन होने से शिक्षा जगत में एक अपूर्णीय क्षति पहुंची है। मौके पर पेंशनर समाज सचिव श्रीकांत सिंह,सियाशरण दास,रामशरण सिंह,कामता प्रसाद सिंह, दशरथ प्रसाद,छोटेलाल

प्रधान महासचिव के निधन पर शोकसभा

पकरीबरावां। पकरीबरावां प्रखण्ड मुख्यालय स्थित प्राथमिक शिक्षक संघ भवन में गुरुवार को प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान महासचिव बृजकिशोर सिंह उर्फ बीके सिंह के निधन पर शोकसभा आयोजित की गई। शोकसभा में लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस बीच लोगों ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। इस अवसर पर प्रखण्ड अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद शर्मा, सचिव चंदन कुमार, मो. शमशेर आलम, राकेश कुमार, नीरज कुमार, मनोज कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

प्रधान शिक्षकों को वेतन दिए जाने की मांग

पकरीबरावां। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रखण्ड अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद शर्मा ने प्रधान शिक्षकों का वेतन भुगतान की मांग की है। उन्होंने जिला शिक्षा कार्यालय में जाकर वेतन से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जुलाई से ही प्रधान शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से प्रधान शिक्षकों को भारी परेशानी हो रही है।

मतदाताओं की सुविधा के लिए घर-घर पहुंच रही मतदाता सूचना पर्ची

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

नवादा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के अंतर्गत 238-गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूचना पर्ची का वितरण ब्लॉक लेवल ऑफ़िसर के माध्यम से घर-घर किया जा रहा है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक मतदाता को अपने मतदान केंद्र एवं मतदान संबंधी सभी आवश्यक जानकारी समय पर प्राप्त हो सके, ताकि वे बिना किसी असुविधा के मतदान केंद्र पर पहुँचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। निर्वाची पदाधिकारी, गोविंदपुर-सह-उप विकास आयुक्त प्रियंका रानी ने बताया कि सभी बी.एल.ओ. को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता पर्ची वितरण का कार्य समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्ची वितरण के दौरान बी.एल.ओ. मतदाताओं को यह भी अवगत कराएँ कि मतदान के दिन अपने साथ मान्य पहचान पत्र अवश्य लेकर आएँ। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मतदाता को मतदान प्रक्रिया में कोई कठिनाई न हो। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि इस अभियान की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है ताकि प्रत्येक मतदाता तक पर्ची सही समय पर पहुंच सके। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचना पर्ची के माध्यम से मतदाता को न केवल उनके मतदान केंद्र की जानकारी मिलती है, बल्कि मतदान तिथि, क्रम संख्या एवं मतदान का समय भी स्पष्ट रूप से अंकित रहता है।

इस अवसर पर स्वीप कार्यक्रम के तहत भी व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय रूप से भाग लें और 11 नवंबर को शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करें।

महर्षि मोदन सेन महाराज की जयंती पर पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

रफीगंज (औरंगाबाद)। शहर के स्टेशन रोड में गुरुवार को अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर श्री श्री महर्षि मोदन सेन महाराज के जयंती समारोह के अवसर पर हलवाई समाज द्वारा पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोजपा के पूर्व प्रदेश महासचिव सह एनडीए जदयू प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह शामिल हुए। जिन्हें आयोजकों द्वारा उन्हें अंग वस्त्र, मोमेंटो और फूलों के हार से भव्य स्वागत किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को एकत्रित करना है और मोदन सेन के बताए हुए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया गया। प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि ये समाज हमेशा ही मिठास घोलने का काम करता है और यही समाज के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा देश और राज्य में चौतरफा विकास हो रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज्य से मुक्ति दिलाने का कार्य करें। बिहार में विकास की हर क्षेत्र में गंगा बहाने का कार्य किया। उन्होंने लोगों से अपील किया कि बिहार में एनडीए सरकार फिर से बनाने में रफीगंज से भी एक सीट सुनिश्चित कर अहम भूमिका निभाए। इस अवसर पर भाजपा विधानसभा संयोजक दीनानाथ विश्वकर्मा, विपिन सिंह, अरुण सिंह,अध्यक्ष गोपाल प्रसाद, उपाध्यक्ष संतोष प्रसाद, सचिव दीपक कुमार गुप्ता, उप सचिव शंभू प्रसाद, कोषाध्यक्ष गौरव कुमार, भाजपा नेत्री संगीता प्रसाद, सदस्य अमर कुमार, अनिल प्रसाद, भोला प्रसाद, सुनील प्रसाद, साधना कुमारी, ऋतु कुमारी, बेबी कुमारी, राधा देवी, अनुराधा देवी, सतीश कुमार के साथ भारी संख्या में समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे।

पांच वर्षों में ग्रामीणों को नहीं मिला नल से एक बूंद जल

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

औरंगाबाद। मदनपुर प्रखंड के बेरी पंचायत के थवई गांव स्थित वार्ड नं- एक में नल जल योजना की स्थिति इन दिनों काफी बदतर हो गई है। यहां पांच वर्षो से नल-जल योजना का कार्य अधूरा पड़ा है। पीएचइडी विभाग के अधिकारी कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। योजना के पूर्ण नहीं होने से ग्रामीणों में पीएचइडी विभाग के प्रति आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि पांच वर्ष पूर्व पीएचइडी विभाग द्वारा नल-जल योजना कार्य प्रारंभ हुआ था। वार्ड में नल योजना का कार्य शुरू तो हुआ परंतु पूर्ण नहीं हो सका है। विभाग के द्वारा मोटर लगाया गया है। उसके बाद टंकी नहीं लगाया गया है। पाइप भी बिछाया गया तो सिर्फ अधूरा ही बिछाया गया है। पीएचइडी विभाग के अधिकारियों द्वारा यहां केवल कार्य में खानापूर्ति की गई है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय योजना के तहत हर घर को नल से जल पहुंचाना है। लेकिन अब ग्रामीणों को सरकार का यह वादा खोखला लगने लगा है। अभी तक सभी घरों में ठीक तरह से नल का जल नहीं पहुंचना चिंता का विषय है। गांव में 100 से अधिक घरों की बस्ती है परंतु एक भी घर में नल का जल ग्रामीणों को नसीब नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने कई बार विभाग के अधिकारियों को इससे अवगत कराया है परंतु अबतक मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ग्रामीण अविनाश सिह, दीपक सिंह, विवेक सिंह, अमित सिंह सहित बताते हैं कि पीएचइडी विभाग के द्वारा यहां नल-जल योजना में केवल खानापूर्ति की गई है। अधिकारियों को अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण करने की चिता नहीं है। गांव में योजना का कार्य पूर्ण कर दिया जाता है तो ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इतना होने के बावजूद भी पीएचइडी विभाग के अधिकारी अधूरे कार्य को अबतक पूर्ण नहीं करा रही है।

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	219 - Goh	Dr. Ranvijay Kumar	अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर GR No. 867/2020, TR No. 2925/24 Daudnagar P.S. Case no. 243/2020 Pending	U/s 143, 188, 269 & 270, 271 / 34 IPC	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	33 - Khajauli	Shri Arun Shankar Prasad	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मधुबनी जयनगर थाना काण्ड सं.– 393 / 20 Pending	188, 171 F भा.द.वि. 27(A) आर.पी.एक्ट	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	203 - Ramgarh	Shri Ashok Kumar Singh	श्रीमति कृतीका द्विवेदी, न्या. द. प्रथम श्रेणी परिवाद पत्र सं. 1355/2015 Pending	U/S 420 IPC	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

महागठबंधन ने जंगलराज की झांकी दिखाई : डॉ. प्रेम कुमार

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

गया। सहकारिता मंत्री और गया टाउन से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार ने टिकारी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए समर्थित हम पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल कुमार पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अनिल कुमार के गया स्थित आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल लिया और कहा कि राजद-कांग्रेस-वामदल के कार्यकर्ताओं द्वारा दिघौरा गांव में इस तरह का हमला लोकतंत्र पर हमला है। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि यह घटना 20 साल पुराने जंगलराज की झांकी है जब हिंसा, भय और अराजकता बिहार की पहचान बन गई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह मतदाताओं को धमकाने, गाली देने और जान से मारने की धमकी के वीडियो सामने आ रहे हैं उससे समाज के कमजोर, दलित, वंचित और गरीब वर्गों में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि अनिल कुमार और उनके कार्यकर्ताओं पर हमला, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करना और चुनाव प्रचार में बाधा डालना जघन्य अपराध है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसे अराजक तत्वों को वोट की चोट से जवाब दें और लोकतंत्र को बचाने के लिए एनडीए को समर्थन दें। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन को मौका मिला तो फिर से भय और अराजकता का दौर लौट आएगा। इसलिए बिहार की शांति, विकास और समरसता बनाए रखने के लिए एनडीए की सरकार बनाना जरूरी है।

पीएनबी ने किया सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

गया। पंजाब नैशनल बैंक के मंडल कार्यालय, गया द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर सभी सदस्यों द्वारा प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर शपथ लिया गया। इससे पूर्व मंडल प्रमुख चैता कुमार पंडा द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर माला एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात सभी सदस्यों द्वारा चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शपथ ग्रहण करने के उपरांत बैंक के सदस्यों द्वारा 13 यूनिट का रक्तदान स्वेच्छा से किया गया। यह रक्तदान शिविर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गया के सहयोग से संपन्न हुआ। रक्तदान में शामिल होने वाले रक्तदाताओं का आभार भी व्यक्त किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर बैंक के शाखाओं द्वारा ग्राम सभा का आयोजन करके आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं जैसे- वाकाथन, बैनर प्रदर्शन, स्टीकर वितरण, शिकायत निवारण, प्रशिक्षण आदि। सभी ग्राहकों एवं आम लोगों से आग्रह किया गया है कि बैंक के वेबसाइट पर सत्य निष्ठा की ई-प्रतिज्ञा लें।

फार्मेट सी-1

(समाचार पत्र, टीवी में प्रकाशन हेतु अभ्यर्थियों के लिए)

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसार) (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)

अभ्यर्थी का नाम और पता : **अजीत कुमार (ग्राम- पीपरडीह, डाक+थाना- औरंगाबाद, जिला- औरंगाबाद (बिहार) 824101)**

राजनैतिक दल का नाम : **निर्दलीय**

(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां "निर्दलीय" लिखें)

निर्वाचन का नाम : **बिहार विधान सभा**

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : **223, औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र**

मैं **अजीत कुमार** (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूं:

(क)	लंबित आपराधिक मामले			
क्रम सं०	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं तारीख	मामले (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (धाराएं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1.	एडीजे III	नगर थाना कांड सं. 755/22, 185/24, एसटीआर 638/24	साक्ष्य	341,323,325,307,504,506 आइपीसी

क्रम सं०	(ख) आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण		
	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख (खें)	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दंड
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

राज्यसभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

फार्मेट सी-1

(समाचार पत्र, टीवी में प्रकाशन हेतु अभ्यर्थियों के लिए)

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसार) (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)

अभ्यर्थी का नाम और पता : **त्रिविक्रम नारायण सिंह (ग्राम+पो.- जमुहार, थाना- डिहरी मुफस्सिल, जिला-रोहतास (बिहार) 821305)**

राजनैतिक दल का नाम : **भारतीय जनता पार्टी**

(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां "निर्दलीय" लिखें)

निर्वाचन का नाम : **बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025**

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : **223, औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र**

मैं **त्रिविक्रम नारायण सिंह** (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूं:

(क)	लंबित आपराधिक मामले			
क्रम सं०	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं तारीख	मामले (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (धाराएं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1.	अनुमंडल दंडाधिकारी, डिहरी	परिवाद सं. 58/21-1/24	लंबित	धारा- 107, भा.द.वि, शांति भंग होने की आशंका

क्रम सं०	(ख) आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण		
	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख (खें)	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दंड
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

राज्यसभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

Format C-1

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25' September, 2018, of Hon 'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India &Anr.)

Name and address of candidate: Pawan Kishore, WARD-7/14, MO-HATIYA, THANA+POST-SHERGHATI

Name of political party : Jan Suraaj Party

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election : General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of Constituency : 226- Sherghati

I Pawan Kishore a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases				
S. No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	ACJM-1 Gaya	Case No 475/17	Pending	Sec. 341, 323, 504, 506 of IPC (Wrongful restraint, Voluntarily causing hurt, Intentional insult, Criminal intimidation)
2.	ACJM-1 Aurangabad	Case No 250/2020	Pending	Sec. 379, 406, 411, 420, 34 of IPC (Theft, Criminal breach of trust, Dishonest misappropriation, Cheating, Jointly (conspiracy))

(B) Details about cases of conviction for criminal offences			
SI.no.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & Maximum punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
N.A	N.A	N.A	N.A

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

This may be published in Newspapers and TV from the day following the last date for withdrawal of candidature and upto two days before the date of poll

Format C-1

(for candidate to publish in newspapers, tv)

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25' September, 2018, of Hon 'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India &Anr.)

Name and address of candidate: : **NIRANJAN PRASAD**

Name of political party : **PANCHPAUNIYA SAMAJ PARTY**

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election : General Election of legislative Assembly of Bihar- 2025

*Name of Constituency : 179, BARH ASSEMBLY CONSTITUENCY

I NIRANJAN PRASAD (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases				
S. No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	CIVIL COURT BARH	CASE NO:- 318/21	UNDER INVESTIGATION	Section(s) U/S-323,504-IPC
2	CIVIL COURT BARH	BARH P.S CASE 772/24	UNDER INVESTIGATION	Section(s) U/S-308(2),352,351(2),126,115,3(2) B.N.S 27 ARMS ACT

(B) Details about cases of conviction for criminal offences			
SI.no.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & Maximum punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1	Nil	Nil	Nil
2	Nil	Nil	Nil

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

संपादकीय

सवालों के बावजूद एसआईआर..

चुनाव आयोग ने विपक्षी राजनीतिक दलों के भारी विरोध की परवाह किए बगैर देश भर में मतदाता सूचियों में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पूरे देश में कराने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से यह लग रहा है कि जिस तरह राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पहले जिस दमदार तरीके से एसआईआर को वोट चोरी बताकर इस मुद्दे को उठाया था, वो चुनाव के शबाब पर आते-आते अपनी चमक खो चुका है। इसका सीधा मतलब है कि एसआईआर के संदर्भ में चुनाव आयोग की मंशा को लेकर कितनी भी शंकाएं हों, इसे चुनावी मुद्दा बनाना मुश्किल है। बावजूद इसके अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां की सत्तारूढ़ पार्टियों ने एसआईआर को लेकर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल डीएमके और टीएमसी द्वारा किया जा रहा है। दोनों दलों ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार दिया है। डीएमके ने तो 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है, जबकि टीएमसी ने चुनाव आयोग को 'अत्यधिक समझौतावादी' बताते हुए इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। सीपीएम ने भी इसे मनमाना कदम ठहराया है। इन सभी दलों को शक है कि चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची से अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और महिलाओं के नाम काट दिए हैं। हालांकि आयोग का कहना है कि जो नाम काटे गए हैं, वो ज्यादातर फर्जी हैं। और फर्जी नाम काटने के लिए ही एसआईआर अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसका पहला चरण बिहार में पूरा हुआ और दूसरे चरण में आयोग मप्र सहित 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इसे क्रियान्वित करने जा रहा है। गौरतलब है कि आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की। जिसके मुताबिक यह अभियान अब अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। यह अभियान करीब 51 करोड़ मतदाताओं को कवर करेगा, जिसमें डुप्लीकेट, मृत और अवैध नामों को हटाने का लक्ष्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष इसे 'वोट चोरी की साजिश' बता रहा है। इसके पहले विपक्ष ने इस अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख भी किया था। लेकिन उसे वहां से खास मदद नहीं मिली। इस अभियान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं, इसका भी विपक्ष ठोस प्रमाण नहीं दे सका। परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिदायतों के साथ इसे जारी रहने दिया। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। यह काम पहले भी होता है। आखिरी बार 2003 में यह काम हुआ था, जिसे अब 22 साल बीत चुके हैं। इसमें शक नहीं कि फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़वाने में कोई दल दूध का धुला नहीं है। ऐसे में मतदाता सूचियों की सफाई का विरोध खास मायने नहीं रखता। लेकिन सवाल नीयत का है। विपक्षी दलों को लगता है कि आयोग संशोधन की आड़ में उसके वोट बैंक को बाहर करना चाहता है। आयोग ने बाद में लोगों को नाम जुड़वाने का अवसर दिया था, उसमें बहुत ही कम लोग सामने आए। विपक्ष को लगता है कि एसआईआर के नाम पर बिहार में 69 लाख वोट काटे गए और अब 12 राज्यों में करोड़ों वोट काटे जाएंगे। वैसे एसआईआर के लिए राज्यों के चयन का आयोग का आधार भी असंदिग्ध नहीं है। असम जहां, अगले साल विस चुनाव होने हैं, एसआईआर से बाहर है, जबकि मप्र जैसे राज्य को शामिल किया गया है, जहां चुनाव में अभी काफी वक्त है।

बिहार में दिखेगा वैकल्पिक राजनीति का नया दर्शन?

'जन सुराज पार्टी' जैसे किसी नवगठित दल द्वारा अपने पहले ही चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस पार्टी के लगभग सभी उम्मीदवार शिक्षित,बुद्धिजीवी,पूर्व नौकर शाह,पूर्व आई ए एस, आई पी एस, वैज्ञानिक,गणितज्ञ तथा शिक्षाविद् हैं जबकि चुनाव मैदान में कूदे अन्य पारंपरिक राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों की शिक्षा, उनके आचरण, चरित्र व योग्यता के विषय में कुछ अधिक बताने की ज़रुरत ही नहीं। बहरहाल, इस नये नवेले राजनैतिक दल 'जन सुराज पार्टी' के संस्थापक व अकेले रणनीतिकार व स्टार प्रचारक वही प्रशांत किशोर हैं जो नरेंद्र मोदी व भाजपा से लेकर देश के अधिकांश राजनैतिक दलों व नेताओं के लिये एक पेशेवर के रूप में चुनावी रणनीति तैयार करने के बारे में जाने जाते हैं।

तनवीर जाफ़री

रे देश की निगाहें इस समय बिहार विधान सभा के होने जा रहे आम चुनावों पर लगी हुई हैं। इन चुनावों में जहां देश व राज्य के अनेक पारंपरिक राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनैतिक दल चुनाव मैदान में सत्ता अथवा विपक्ष के किसी न किसी गठबंधन के साथ मिलकर बिहार का 'भाग्य बदलने' के नाम पर ख़ुद अपना भाग्य आज़मा रहे हैं वहीं इस बार के चुनाव में पहली बार 'जन सुराज पार्टी' नामक एक नया राजनैतिक दल भी बिहार की राजनीति में अपनी ज़ोरदार उपस्थिति दर्ज करा रहा है। 'जन सुराज पार्टी' जैसे किसी नवगठित दल द्वारा अपने पहले ही चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस पार्टी के लगभग सभी उम्मीदवार शिक्षित,बुद्धिजीवी,पूर्व नौकर शाह, पूर्व आई ए एस,आई पी एस,वैज्ञानिक,गणितज्ञ तथा शिक्षाविद् हैं जबकि चुनाव मैदान में कूदे अन्य पारंपरिक राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों की शिक्षा,उनके आचरण, चरित्र व योग्यता के विषय में कुछ अधिक बताने की ज़रुरत ही नहीं।

बहरहाल, इस नये नवेले राजनैतिक दल 'जन सुराज पार्टी' के संस्थापक व अकेले रणनीतिकार व स्टार प्रचारक वही प्रशांत किशोर हैं जो नरेंद्र मोदी व भाजपा से लेकर देश के अधिकांश राजनैतिक दलों व नेताओं के लिये एक पेशेवर के रूप में चुनावी रणनीति तैयार करने के बारे में जाने जाते हैं। पूर्व में वे संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में आठ वर्षों तक कार्य कर चुके हैं। देश के विभिन्न राजनैतिक दलों को अपनी रणनीति का लोहा मनवाने के बाद मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी योग्यता का प्रयोग सर्वप्रथम अपने ही राज्य के विकास के लिये करने का निर्णय लिया और 2022 में बिहार की जनता को जागरूक करने व उन्हें उनकी व पूरे राज्य की बदहाली के मूल कारणों से अवगत कराने के मक़सद से बिहार में 'जन सुराज अभियान' चलने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद ही उन्होंने राज्य में लगभग 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा भी की। इस पदयात्रा के दौरान उन्होंने राज्य की आम जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। इसी 'जन सुराज अभियान' से ही उनके नये राजनैतिक दल का नाम 'जन सुराज पार्टी' निकला।

देश के बड़े से बड़े राजनैतिक दिग्गजों के लिये रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर स्वयं अपने लिये कैसी सफल रणनीति बना रहे हैं उसी का परिणाम है कि उन्हें न केवल 'गोदी मीडिया' भी पूरी तवज्जोह दे रहा है बल्कि वे सत्ता व विपक्षी महागठबंधन के दाग़दार नेताओं पूर्व की उनकी असफल नीतियों यहाँ तक कि राज्य की बदहाली तक के लिये इसी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन व महागठबंधन के दलों को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। राज्य के विकास के लिये प्रशांत किशोर मुफ़्त की रेवड़ियों या शराब बंदी जैसी नीतियों को नहीं बल्कि केवल शिक्षा को ही पहली ज़रुरत मान रहे हैं। राज्य की सभी 243 सीटों के लिये अपने पहले चुनाव में योग्य व शिक्षित प्रत्याशी उतारना बल्कि कई सीटों पर तो अनेक योग्य उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ने के लिये एक साथ दावा पेश किया जाना भी प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति की बड़ी सफलता है।

वे सोशल मीडिया पर भी अन्य राजनैतिक दलों से अधिक छाये हुये हैं। उन्होंने विभिन्न टीवी चैनल्स व यू ट्यूबर्स को अब तक जितने साक्षात्कार दे डाले हैं उतने तो शायद सत्ता व विपक्ष के नेताओं ने भी अब तक नहीं दिये। वे अपने साक्षात्कार में अपने विरोधी दलों के अनेक नेताओं को बेनक़ाब कर उनकी आपराधिक व शैक्षिक पृष्ठभूमि को उजागर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बड़े ही स्पष्ट अंदाज़ में बिहार की बदहाली व पिछड़ेपन के लिये जहाँ पूर्व की सत्ता व नेताओं को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं वहीं राज्य के उन मतदाताओं को भी आइना दिखा रहे हैं जो मुफ़्त के राशन अथवा धर्म जाति के नाम पर वोट कर भ्रष्ट व अयोग्य उम्मीदवारों का चुनाव करती रही है।

राजनैतिक विश्लेषक हालांकि बिहार के चुनावी रण में 'जन सुराज पार्टी' के उतरने को लेकर तरह तरह के क़यास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 'जन सुराज पार्टी' भी असद्दुदीन ओवैसी की ए आई एम आई एम की ही तरह राज्य में वोट काटने वाली पार्टी साबित होगी और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जबकि कुछ का मानना है कि केवल एन डी ए ही नहीं बल्कि जन सुराज पार्टी विपक्षी महागठबंधन को भी नुक़सान पहुंचाएगी। उधर प्रशांत किशोर अपना सीधा मुक़ाबला सत्ता रूढ़ एन डी ए से ही बता रहे हैं परन्तु साथ ही उनका यह भी कहना है कि चुनाव परिणाम ही फ़ैसला करेंगे कि उनकी पार्टी अर्श पर होगी या फ़र्श पर। जबकि राजनैतिक विश्लेषकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो 'जन सुराज पार्टी' की तुलना आम आदमी पार्टी से करते हुये इसके वर्तमान तेवर के साथ ही संभावित भविष्य को भी देख रहा है।

जो भी हो मगर अपनी योग्यता का लोहा मनवाने के बाद अपने कुशल रणनीतिकार के पेशे को त्यागकर अपनी ही कमाई गयी पूँजी को दांव पर लगाकर बिहार व बिहार वासियों के भविष्य की चिंता में राज्य की गली गली में धूल मिट्टी व कीचड़ में घूमकर राज्य की ख़ुशहाली की बातें करना वह भी बिना किसी धर्म जाति व समुदाय की बात किये हुये तथा बिना मुफ़्त की रेवड़ी की लालच दिये, अपने आप में ही बड़ी बात है। वह भी उस बिहार राज्य में जोकि ग़रीबी के साथ साथ अपनी जातिवादी राजनीति के लिये भी प्रसिद्ध हो? इसमें कोई शक नहीं कि देश को शिक्षित, ज्ञानवान,राष्ट्र हितकारी,धर्म व सम्प्रदाय व जाति से ऊपर उठकर सोचने वाले तथा स्वच्छ छवि रखने वाले नेताओं की ज़रुरत है। आज यदि कोई अनपढ़,अज्ञानी व साम्प्रदायिकतावादी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाये कोई अपराधी व्यक्ति देश का गृह मंत्री या मुख्य मंत्री बन जाये अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन जाये कोई लुच्चा,लफ़ंगा,बलात्कारी,गैंगस्टर हमारा जन प्रतिनिधि बन जाये तो इससे बढ़कर शर्मिन्दिगी व वैश्विक स्तर पर बदनामी की बात हमारे देश के लिये और क्या हो सकती है ?

यदि भारतीय राजनीति का वातविक चेहरा इतना भयावह व दाग़दार न होता तो केंद्रीय विद्युत व ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को पिछले दिनों अपनी ही पार्टी भाजपा के प्रत्याशी व बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व मोकामा से जेडीयू की ओर से एनडीए उम्मीदवार व बाहुबली नेता अनंत सिंह का नाम लेते हुये राज्य की जनता के नाम यह वीडिओ संदेश जारी न करना पड़ता जिसमें उन्होंने दीवाली की शुभकामनाएं देते हुए मतदाताओं से अपील की थी कि- 'अपराधी या भ्रष्टाचार के आरोपी सम्राट चौधरी व अनंत सिंह जैसे उम्मीदवारों को वोट न दें, भले ही वे किसी की जाति के हों।' उन्होंने इसी संदेश में यह सुझाव भी दिया कि यदि सभी उम्मीदवार ऐसे हैं,नोटा दबाएं। आर.के. सिंह ने यहां तक कहा कि ऐसे उम्मीदवार को वोट देने का अर्थ है 'चुल्लू भर पानी में डूब मरना'। इसीलिये रसातल में जा रही राजनीति के वर्तमान दौर में यह सोचना पड़ रहा है कि जन सुराज पार्टी क्या वैकल्पिक राजनीति का नया 'दर्शन' साबित हो सकेगा?

अध्यात्म

सफल लाइफ में ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं

एक बार एक चिड़िया जंगल मे अपने मीठे सुर मे गाना गा रही थी। तभी, उसके पास से एक किसान कीड़ों से भरा एक संदूक ले करके गुजरा।

चिड़िया ने उस किसान को रोक कर पूछा - भाई तुम्हारे संदूक के अंदर क्या है, और अभी तुम कहाँ जा रहे हो?

किसान ने चिड़िया से कहासी - इस संदूक में कीड़े हैं और वह बाजार से उन कीड़ो के बदले पंख खरीदेगा। इतना कहकर किसान बाजार की तरफ बढ़ने लगा।

चिड़िया ने किसान का रास्ता रोकते हुए अनुरोध किया - पंख तो मेरे पास भी हैं। मुझे कीड़े तलाशने के लिये बहुत सफर करना पड़ता है, तुम मेरा एक पंख ले लो और बदले में मुझे कीड़े दे दो। इससे मुझे कीड़ों की तलाश के लिये बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

किसान ने चिड़िया को कीड़े दे दिए, और ने बदले में उसे उसका एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा, और एक दिन ऐसा भी आया, जब के पास देने के लिए एक भी पंख नहीं बचा। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक भी नहीं रह गई थी। वह भद्दी भी दिखाने लगी, उसने अब गाना भी छोड़ दिखा। भोजन की तलाश करते-करते जल्दी ही वह मर गई।

दोस्तो यही बातें हमारी जिंदगी मे भी लागू होती है। कई बार हम ऐसा रास्ता चुनते हैं जो हमें शुरूआती दौर मे बहुत आसान लगता है पर वही रास्ता हमें आगे चलकर मुश्किल में डाल देता है। चिड़िया को भोजन हासिल करने का तरीका बहुत आसान लगा लेकिन आगे चलकर वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। लाइफ में ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है जो आपको तुरंत सफल बना दे अच्छा होगा कि आप लालच मे न फसे और आसान रास्ता रूपी सबसे खतरनाक रास्ते मे अपने कदम न बढ़ाएँ।

अब पराली बनी सियासत वाली

धरातल पर देखें तो सिवाय कागजी योजना बनाने, बैठकें और आखिर में आरोप-प्रत्यारोप से ज्यादा भला अब तक क्या हासिल हुआ है? न तमाम प्रभावित राज्य सरकारें और न ही केन्द्र, पराली के दूसरे उपयोग किसानों को समझा पाया। क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश की बातें करने वाली दिल्ली सरकार भी खतरनाक स्तर तक प्रदूषण से फौरी राहत ही दिला पाई जो कुछ देशों ने कर दिखाया। बजाए आपसी तू-तू, मैं-मैं के पराली संग्रहण, इसके व्यावसायिक उपयोगों पर पूरे साल चर्चा होती तो शायद जलाने की नौबत ही न आती। लगता नहीं कि पराली मुद्दा गंभीर जरूर है लेकिन निदान असंभव नहीं? काश, सरकारी तंत्र और हुक्मरान यह समझ पाते!

ऋतुपर्ण दवे

ठण्ड की दस्तक के साथ ही, धान की कटाई और पराली जलाई के बीच आई दिवाली पर खतरनाक स्तर तक पहुंचे प्रदूषण के लिए फिर पराली को ही जिम्मेदार ठहराने में पंजाब और दिल्ली की राज्य सरकारें इस बार आमने-सामने रहीं। यह सच है कि पराली के चलते दोनों राज्यों के अलावा भी कई राज्य इसका प्रदूषण भुगत रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब-दिल्ली की सरकारें बजाए सुलह के एक दूसरे को दोषी ठहरा, प्रदूषण से कैसे निपटेंगी? आसमान से निगरानी और लाइव तस्वीरों के इस दौर में भी सच सामने होने के बावजूद राजनीतिक बयानबाजी बेहद हैरानगी भरी है। सच है कि प्रदूषण की दमघोटू हवा इसके प्रभाव में आने वाले हर किसी को तकलीफ देती है। यह भी सही है कि कोरोना के बाद बहुतेरे लोगों में प्रदूषण को बरदास्त करने की क्षमता भी घटी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकारें बयानों से बचाव करें। हालाकि इस बार दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश की बात की जा रही है जो यह लिखे जाने तक दिखी नहीं। फिर भी देखना होगा यह तकनीक कितनी कामियाब होती है। लेकिन प्रदूषण को लेकर यह स्थाई विकल्प हो पाए, ऐसा लगता नहीं है।

इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते बरस, दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण पर केंद्र को कड़ी फटकार लगाई तो पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी चेताया। बावजूद इसके तो काबू पाया जा सका न ही कोई विकल्प खोजा गया। अदालत में तब पेश जवाब पर ही सवाल खड़े होना लाजिमी थे जो हुए। फिलाहाल दिल्ली में दिवाली के फौरन बाद प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक पहुंचना बेहद चिंताजनक है। 301 से ऊपर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इण्डेक्स(एएक्यूआई) इमरजेंसी स्थिति मानी जाती है। दिल्ली में 27 अक्टूबर तक प्रदूषण के स्तर में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन धान कटाई और पराली जलाने की घटनाओं में भी पंजाब व आसपास तेजी से स्तर कब कहां पहुंच जाए कहना मुश्किल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि न केवल एनसीआर बल्कि दूसरे क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ा हुआ है। पंजाब भी बुरी तरह से इसकी गिरफ्त में है। लेकिन यह सच है कि दिल्ली के मुकाबले वहां प्रदूषण अभी कम है। भले अभी पंजाब को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि इसी मंगलवार लुधियाना में दिवाली के ठीक पहले 271, जालंधर में 247, अमृतसर में 224, पटियाला में 206 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के आंकड़ों जो कि 27 अक्टूबर तक के हैं देखने से पता चलता है कि दिल्ली में प्रदूषण में गिरावट के बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 पर बना हुआ है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से 1,900 प्रतिशत अधिक है। इसी दिन बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 381 से बढ़कर 387 हो गया है। जबकि दिल्ली सहित नौ शहरों में यह 300 के पार है। वहीं देश में शिलांग की हवा सबसे साफ रही जबकि भारत के 256 शहरों में से केवल 23 प्रतिशत में ही

हवा साफ है यानी 77 प्रतिशत में हवा खराब है। गनीमत है कि बीच-बीच में बदलते मौसम से हालात इस बार पिछली बार जैसे नहीं बन पा रहे हैं।

समझना होगा कि प्रदूषण के लिए केवल भारत ही नहीं पाकिस्तान की पराली का धुंआ भी जिम्मेदार है। नासा की एक रिपोर्ट, वर्ल्डव्यू एनिमेशन, सेटेलाइट तस्वीरें, चंडीगढ़ पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी के शोध से भी साफ हो गया है कि भारतीय पंजाब के मुकाबले पाकिस्तानी पंजाब में पराली ज्यादा जलती। इस पर पड़ोसी पर भी लगाम की जरूरत है।

आखिर कैसी कोशिशें हैं कि सालों साल से यह मसला बजाए सुलझने के हर बार नए आरोपों में घिर जाता है? रही बात सरकारों की तो केन्द्र या राज्य की सरकारें किसानों को लेकर दावा कुछ भी करें लेकिन किसानों की भी तो अपनी समस्याएं हैं। संसाधनों की कमीं से जूझते छोटे-छोटे किसानों को भला ऋण कैसे मिलेगा ताकि पराली से विभिन्न उत्पाद बनाने वाली मशीनें खरीद सकें? किसानों की अपनी मजबूरी है।

खेती मौसम पर निर्भर है और एक-दो दिन का बिगड़ा मौसम महीनों की मेहनत पर पानी फेर देता है। इसी चलते किसान भी तुरंत पराली जलाने को मजबूर होते हैं। किसान अगली फसल की बुवाई की जल्दबाजी मौसम के डर के बीच हालातों से जूझता है। दूसरी फसल के लिए बहुत कम वक्त के चलते खासकर छोटे किसान असमंजस में जानते-समझते मजबूरन पराली जलाने का अपराध करते हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण दशकों पुराना मुद्दा है। 1985 में भी आवाज उठी थी। जब कीर्ति नगर जैसे घने रिहायशी क्षेत्र में एक फर्टीलाइजर संयंत्र की जहरीली हवा से लोग बीमार होने लगे। तब एक वकील एम.सी. मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। हकीकत देखिए, सुनवाई के दौरान ही प्लांट से ओलियम गैस रिसी और तीस हजारी कोर्ट के एक वकील की जान चली गई। कइयों की हालत बिगड़ी। इसके बाद कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा। आबादी वाले क्षेत्र में क्लोरीन, सुपर क्लोरीन, ओलियम, फॉस्फेट जैसी जहरीले उत्पाद बनाने पर रोक लगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने को मौलिक अधिकार बनाया।

धरातल पर देखें तो सिवाय कागजी योजना बनाने, बैठकें और आखिर में आरोप-प्रत्यारोप से ज्यादा भला अब तक क्या हासिल हुआ है? न तमाम प्रभावित राज्य सरकारें और न ही केन्द्र, पराली के दूसरे उपयोग किसानों को समझा पाया। क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश की बातें करने वाली दिल्ली सरकार भी खतरनाक स्तर तक प्रदूषण से फौरी राहत ही दिला पाई जो कुछ देशों ने कर दिखाया। बजाए आपसी तू-तू, मैं-मैं के पराली संग्रहण, इसके व्यावसायिक उपयोगों पर पूरे साल चर्चा होती तो शायद जलाने की नौबत ही न आती। लगता नहीं कि पराली मुद्दा गंभीर जरूर है लेकिन निदान असंभव नहीं? काश, सरकारी तंत्र और हुक्मरान यह समझ पाते!

आज का कार्टून

राशिफल

मेष
आज का दिन आपके लिए सेहत पर थोड़ा ध्यान देने के लिए रहेगा और आप अपने घर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं।

वृषभ
कोई निर्णय जल्दबाजी में या भावनाओं में बेहतर लेने से बचना होगा। आप अपने कामों में थोड़ा समझदारी व बुद्धि का प्रयोग करके ही आगे बढ़ें।

मिथुन
आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है। आपका मान-सम्मान बढ़ने से आपका मन काफी खुश रहेगा।

कर्क
आपको बिजनेस में भी छुटपुट लाभ के अवसरों पर पूरा ध्यान देना होगा। यदि आपका ध्यान कहीं फंसा हुआ था, तो वह आपको वापस मिल सकता है।

सिंह
आपको कोई दूसरी नौकरी का ऑफर भी आ सकता है। आपका कोई शुभचिंतक आज आपसे किसी बात को लेकर बातचीत कर सकता है।

कन्या
आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा।

तुला
सामाजिक कार्यों में आप कोई भी काम थोड़ा समझदारी दिखाते हुए करें, क्योंकि आपके शत्रु आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं।

वृश्चिक
आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके सामने कुछ खर्च ऐसे आएंगे, जो मजबूरी में ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे।

धनु
आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। आपको किसी काम को लेकर कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, जिसके लिए यात्राएं भी अधिक होगी।

मकर
आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। आपको कुछ विशेष व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। आप किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करें।

कुंभ
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। करियर में आपका अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। आपका बिजनेस भी पहले से बेहतर रहेगा।

मीन
आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बातचीत करने में व्यतीत करेंगे, जिससे पुराने गिले शिकवे भी दूर होंगे और कारोबार में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश लगातार कर रहे हैं काम : जेपी नड्डा

जहां-जहां एनडीए सरकार वहां पर हुआ चहुमुखी विकास

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

बेगूसराय। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र के भक्ति योग पुस्तकालय के मैदान में एनडीए प्रत्याशी रजनीश कुमार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां-जहां एनडीए सरकार वहां विकास है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास के काम तेजी से हुई है। चुनाव के समय तरह-तरह की बातें आती हैं। लेकिन, आपने देखा होगा कि जहां भी एनडीए की सरकार आई है, वहां-वहां विकास हुआ है। जहां-जहां दूसरे दलों की सरकार आई, वहां विकास थम सा गया। पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में और पीएम नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बिहार ने फिर से विकास की रफ्तार को पकड़ा और विकास की ओर चल पड़ा। आने वाला चुनाव बिहार के विकास की गति को बनाए रखने वाला चुनाव है। नड्डा ने कहा कि बिहार में आज चारों तरफ उजाला है। गांव में 23-24 घंटे बिजली आती है। गांव-गांव सड़क से जोड़ दिया गया है। हर घर नल, हर घर जल कार्यक्रम से बिहार के 1.60 करोड़ परिवारों को नल से जल पहुंचा दिया गया है। उजाले का महत्व तब होता है, जब आप अंधकार की त्रासदी को पहचानते हों। 20 साल पहले लालू यादव के राज में 90 के दशक से लेकर 2005 तक ये अंधकारमय बिहार था, ये जंगलराज वाला बिहार था। आज मोदी के आशीर्वाद से और नीतीश की कड़ी मेहनत के कारण आज ये बदला हुआ बिहार है, विकास की लंबी छलांग लगाता हुआ बिहार है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश बाबू ने महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले हैं। चुनाव के बाद बहनों के स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपए उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे। कांग्रेस और राजद को आपसे कोई मतलब नहीं है। सभा में मध्य प्रदेश के सांसद बीडी शर्मा, उत्तर प्रदेश की विधायक अनुपम जायसवाल, पूर्व विधायक ललन कुंवर, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुनील कुंवर, भाजपा नेता .ष्णनंदन सिंह, हम के जिला अध्यक्ष पीयूष कुमार, जदयू प्रदेश सचिव रीना चौधरी एवं बरौनी शंभू सिंह, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मनोहर कुमार तेघड़ा नगर मंडल अध्यक्ष श्याम किशोर छोटे सहित सातो मंडल अध्यक्ष मौजूद सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।

ट्रेन से गिर कर युवक घायल

मखदुमपुर (जहानाबाद) (नवबिहार टाइम्स संवाददाता)। पटना-गया रेलखंड पर मखदुमपुर स्टेशन के पास सैदपुर गांव के समीप एक युवक ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान गयाजी जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र के बिहटा गांव निवासी प्रेमचंद कुमार के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक गया से पटना की ओर जा रही ट्रेन से यात्रा कर रहा था। बताया जाता है कि अत्यधिक भीड़ के कारण युवक का संतुलन बिगड़ने से वह गेट से नीचे गिर पड़ा। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से रेफरल अस्पताल मखदुमपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया।

मतदान कर्मी डाक मतपत्र से करेंगे मतदान

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

बेगूसराय। विधान सभा आम निर्वाचन के अवसर पर निर्वाचन कार्य में नियुक्त मतदान कर्मियों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। जिला अंतर्गत एमआरजेडी कॉलेज एवं बीपी प्लस टू स्कूल में डाक मतपत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। जिसमें अब तक 3388 डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया जा चुका है। नोडल पदाधिकारी पोस्टल बैलेट कोषांग-सह-जिला अबर निबंधक पदाधिकारी बंदना कुमारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन कार्य में नियुक्त पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी द्वारा अपने मतों का प्रयोग किया गया है। साथ ही चालक, फोटोग्राफर, सफाई कर्मी, पुलिस पदाधिकारी एवं दूसरे जिले से आये हुए कर्मी जो निर्वाचन के कार्य में प्रतिनियुक्त है, वे भी डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।उन्होंने बताया कि 141-चेरिया बरियारपुर में 432 142-बछवाड़ा में 553 143-तेघड़ा में 370 144-मटिहानी में 673 145-साहेबपुर कमाल में 388 146-बेगूसराय में 600 147-बखरी विधानसभा में 372 मतदान कर्मियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

6 नवंबर वोट करेगा बक्सर

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

बक्सर। विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक अनोखी पहल की गई है। जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. विद्यानंद सिंह के निर्देश पर गुरुवार को ज्योति चौक पर एक आकर्षक स्काई बैलून लगाया गया, जिस पर लिखा है 6 नवम्बर वोट करेगा बक्सर यह स्काई बैलून लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और मतदान को लेकर शहर में उत्साह का माहौल बना रहा है। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोरल पार्टिसिपेशन कार्यक्रम के तहत जिले में विभिन्न नवाचारी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हर मतदाता मतदान केंद्र तक पहुँचे और 100% मतदान सुनिश्चित हो सके। शहर के प्रमुख स्थल से मतदान का संदेश प्रसारित करना, युवाओं व प्रथम बार मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करना, बक्सर है तैयार अभियान को सशक्त बनाना आदि इस अभियान का उद्देश्य हैं। प्रशासन की यह पहल शहरवासियों में लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी और उत्साह दोनों का संचार कर रही है।

Format C-2

(For political party to publish in website, newspaper, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.

Name of Political Party : राष्ट्रीय जनता दल

*Name of the Election : बिहार विधान सभा

Name of State/UT : बिहार

1	2	3	4		5		
Sl No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	21, ढाका	फैसल रहमान	S.D.J.M., सिकरहना, ढाका (पूर्वी चम्पारण) थाना कांड संख्या-185 / 2020,	U/s- 269, 270, 188 I.P.C. Epicdemic D. Act. 2005 & 51 (6) & D.N. Act 2005, महामारी अधिनियम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	21, ढाका	फैसल रहमान	S.D.J.M., सिकरहना, ढाका (पूर्वी चम्पारण) थाना कांड संख्या-145 / 2015,TR. No. 1421/2020	U/s- 17 (H) 188 I.P.C. Cog. U/s- 17 (F) 23.... Bihar Prevention Defacements Act., सम्पत्ति विरूपन अधिनियम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	21, ढाका	फैसल रहमान	A.C.J.M (x). मोतिहारी, मोतिहारी नगर थाना कांड संख्या-304 / 2003, TR. No. 992/2018	U/s- 25 (1-6) A/26/35 Arms Acts and 414 I.P.C. Recovery of illegal Fire Arms., अवैध हथियार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of names of constituency.

Format C-2

(For political party to publish in website, newspaper, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.

Name of Political Party : राष्ट्रीय जनता दल

*Name of the Election : बिहार विधान सभा

Name of State/UT : बिहार

1	2	3	4		5		
Sl No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	16 कल्याणपुर	मनोज कुमार यादव	ए.सी.जे.एम. I मोतीहारी सं. -540 / 25, कोटवा थाना काण्ड सं. 164 / 2010	धारा-188, 171(H) भा.द.वि., आचार संहिता का उल्लंघन।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	16 कल्याणपुर	मनोज कुमार यादव	ए.सी.जे.एम.-9 मोतीहारी बाद सं.-1991 / 20, कल्याणपुर थाना काण्ड सं. 281 / 2015	धारा - 188, 171(H) भा.द.वि., आचार संहिता का उल्लंघन।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	16 कल्याणपुर	मनोज कुमार यादव	न्या. दण्डा. मोतिहारी, कोटवा थाना काण्ड सं. 136 / 2025	धारा - 191(1), 132, 324(4) बी.एन.एस., सरकारी कार्य में बाधा, बलवा।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of names of constituency.

Format C - 1

(For candidate to publish in Newspapers, TV)

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25[th] September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: **Ratnesh Kumar,** Chak Mushallahpur , Mahendru, Patna -6 (Bihar)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

*Name of Constituency: **184 Patna Sahib**

I **Ratnesh Kumar** a candidate for the Above mentioned election,

declare for public information the following details about my criminal antecedents:

Pending Criminal cases				Details about cases of conviction for criminal offences	
S.N.	Name of Court	Case No. and Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offences(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed
1.	मु. न्यायिक दंडाधिकारी, पटना सदर	कोतवाली थान कांड संख्या-516/23 GR No. 6239/2023 Under Investigation	U/S 188, 147,149, 323, 324, 337, 338, 353 IPC साधारण दंगा एवं सरकारी काम में बाधा पहुँचाना	Not Applicable	Not Applicable

In the case of election to Council of States or Election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

Format C - 1

(For candidate to publish in Newspapers, TV)

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25[th] September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: **Sanjiv Chaurasia,** Arya Bhawan, Khajpura, Bailey, Road, Patna

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: Bihar Legislative Assembly Election 2025

*Name of Constituency: 181 - Digha

I **Sanjiv Chaurasia** a candidate for the Above mentioned election,

declare for public information the following details about my criminal antecedents:

Pending Criminal cases				Details about cases of conviction for criminal offences	
S.N.	Name of Court	Case No. and Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offences(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed
1.	ACJM II, Patna	Rajeev Nagar P.S. Case No.-224/20 Pending	147/447/188 IPC	Not Applicable	Not Applicable
2.	ACJM I, Patna	Kotwali P.S. Kotwali, Patna Case No. 1133/19 Revision No. 541/2022 Pending in Cort of ADJ XXVII, Patna	147/149/188/291 / 342/504 IPC	Not Applicable	Not Applicable
3.	ACJM XII, Patna	Kadamkuan PS Case No. 469/2015 Pending	341, 323, 504, 506/34 IPC	Not Applicable	Not Applicable

In the case of election to Council of States or Election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

मतदान से पूर्व की अवधि में लागू रहेगा विशेष प्रतिबंध

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

बेगूसराय। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मीडिया संस्थानों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों एवं आम जनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अंतर्गत मतदान से पूर्व की अवधि में विशेष प्रतिबंध लागू किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त अधिनियम की धारा 126(1)(ख) के अनुसार किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से पूर्व के 48 घंटे (साइलेंस अवधि) के दौरान उस क्षेत्र में टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, सोशल मीडिया या अन्य किसी भी इलेक्ट्रनिक माध्यम से निर्वाचन विषयक किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रसारण, प्रदर्शन या प्रकाशन प्रतिबंधित है। यह अवधि मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान करने हेतु शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है।इसी प्रकार, धारा 126(क) के तहत पहले चरण में मतदान प्रारंभ होने के समय से लेकर अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन, प्रकाशन या प्रसारण करना या कराना प्रतिबंधित है। अर्थात यह प्रतिबंध 6 नवंबर के सुबह 7 बजे से ले कर 11 नवंबर के संध्या 6:30 तक रहेगा। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

मतदान कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण सम्पन्न

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

बेगूसराय। जिले में मतदान कर्मियों के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण कार्य गुरुवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रशिक्षण जिले के एमआरजेडी कॉलेज, बेगूसराय एवं बी.पी. प्लस टू हाई स्कूल, बेगूसराय में आयोजित किया गया था। द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 23 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था। जहां कुल 11256 मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग श्रीमती पूजा कुमारी ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान मतदान कर्मियों को निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में ईवीएम एवं वीवीपैट का संचालन, मक पोल, मतदान केंद्र पर अनुसरण किए जाने वाले दिशा-निर्देश, मतदाता सहायता केंद्र की व्यवस्था, आचार संहिता, दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं हेतु की जाने वाली विशेष सुविधाएँ, पीआरओ ऐप आदि की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी तुषार सिंगला ने बताया कि द्वितीय चरण का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। शुक्रवार को सुरक्षित दिवस निर्धारित किया गया है। जिन मतदान कर्मियों ने किसी कारणवश प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। वे सुरक्षित दिवस में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी मतदान कर्मियों को निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा से करने का निर्देश दिया है।

कांग्रेस प्रत्याशी ने किया जनसम्पर्क

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

बेगूसराय। सदर विधानसभा से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण जनसम्पर्क कर चुनावी प्रचार को तेज कर दी है। खासतौर से चुनावी प्रक्रिया के आगाज से पूर्व ही श्रीमती भूषण के द्वारा पदयात्रा और घर घर जाकर मतदाताओं से आशीर्वाद कार्यक्रम का स्थानीय स्तर पर उत्साह दिख रहा है। अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के बलबूते अमिता भूषण को अपना चुनावी सफर आसान दिख रहा है। गुरुवार को श्रीमती भूषण ने नगर निगम क्षेत्र के पहाड़चक, आनंदपुर पनहास, सहित निंगा पंचायत के मिर्जापुर, ब्लूआरा, एकडारा आदि गांव का दौरा किया। गांव में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने अमिता भूषण का स्वागत किया। पदयात्रा के दौरान प्रखंड अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह, पंचायत अध्यक्ष मो जावेद जी,मनोहर सिंह, त्रिवेणी सिंह, पूर्व मुखिया मो खुर्शीद, बंशी सिंह, पंकज चौरसिया जी, मजलूम पासवान, अरविंद सिंह, संजीव कुमार, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल कुमार, नित्यानंद सिंह, धीरज कुमार पूर्व वार्ड पार्षद परमानंद सिंह, राकेश सिंह, बिरजू राम, राम भरोस तांती, वार्ड पार्षद पूनम देवी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।

राजद प्रत्याशी ने किया जनसम्पर्क

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

बेगूसराय। मटिहानी विधानसभा में महागठबंधन से राजद प्रत्याशी नरेंद्र कुमार उर्फ बोगो सिंह ने बुधवार को कई पंचायतो में जनसम्पर्क किया। जिसमे सुशील नगर, अमरौर, महारतपुर, रतौली, बिनोदपुर, बागबारा, करिचक, फतेहपुर, सिंघौल, पचंभा, चंदवारा, हरदिया, चिलमिल, मोहम्मदपुर, खातोपुर आदि पंचायत में अपने सैकड़ो समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान जगह-जगह उनके समर्थकों ने उन्हें फूल माला पहनकर स्वागत किया। इस दौरान बोगो सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करें। यह लोकतंत्र का त्योहार 5 वर्ष में एक ही बार आता है। इससे देश की दिशा एवं दशा दोनों की गाथा लिखी जाती है। अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए नया बिहार बनाने के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके हाथों को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं रहा है। विगत 5 वर्षो में पूंजीपति लोगों का विकास हुआ है। गरीबों बेसहारों मजलूमों का हकमारी किया गया है। मौके पर सुजीत भगत, मनोज पोद्दार, नवनीत कुमार, रौशन कुमार, केशव कुमार, हनजला,शिवम्, कन्हैया कुमार सहजानंद यादव, मनोज सिंह,मनटुन कुवर, बिनीत कुमार, पूर्व मुखिया गालीफ, नवल महतो, अरविंद यादव, चंदन सिंह, मुकेश यादव, राजीव महतो, गुलाब पासवान, गुलशन सिंह लल्लू सिंह, छोटू सिंह, उप मुखिया मनोज कुमार महतो, सुधिर यादव, मीना देवी, बिरजू पासवान, अवनीश सिंह, पंकज कुमार सिंह, राजाराम पासवान, शंकर पासवान उदय पंडित, अंशु कुमार, नितिन कुमार अभिजीत कुमार आदि लोग उपस्थित रहे।

ट्रेन से गिरकर युवक की मौत : पोठही रेलवे स्टेशन पर डाउन लाइन में एक पैसेंजर ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान छाती गांव की रहने वाले बलराम कुमार पिता उमेश प्रसाद के रूप में हुई है।

Format C - 1

(For candidate to publish in Newspapers, TV)

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: **Ram Kripal Yadav,** Goriya Toli, Station Road, Patna

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

*Name of Constituency: **186, Danapur**

I **Ram Kripal Yadav** a candidate for the Above mentioned election,

declare for public information the following details about my criminal antecedents:

Pending Criminal cases				Details about cases of conviction for criminal offences	
S.N.	Name of Court	Case No. and Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offences(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed
1.	ACJM, Masuarhi.	Masuarhi P.S. Case No. 128/2014 Pending	Section 143,145 & 188 IPC	Not Applicable	Not Applicable
2.	CJM, Patna.	Patna Kotwali P.S. Case no. 516/2023 Under Investigation	Section 147, 149, 188, 323, 324, 337, 338, 353 IPC	Not Applicable	Not Applicable

In the case of election to Council of States or Election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

Format C-2

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : **JAN SURAAJ PARTY**

Name of Election : **General Election to Legislative Assembly of Bihar-2025**

Name of State/ UT : **BIHAR**

1.	2.	3.	4.		5.		
S. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	115-Baniyapur	Shravan Kumar	1. A.C.J.MVIII PS 50/11, Baniapur Pending 2. A.C.J.MVIII PS 239/19, Baniapur, Tr. No. 2209/25 Pending 3. A.C.J.MVI, Siwan Family Suit 448/22, Tr No.1816/25	1. Sec. 147,148, 149,323,307,37 9,342,435,384, 386, 04,506 IPC and Sec.27 Arms Act. 2. Sec. 188, 123 RPA ACT 3. Sec. 138 NI ACT	NA	NA	NA

Format C-2

(For political party lo publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : **Jan Suraaj Party**

* Name of Election : **General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025**

Name of State/ UT : **Bihar**

1.	2.	3.	4.		5.		
S. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	112-Maharajganj	Sunil Ray	1.A.C.J.M Siwan, Case no.71/08 & Pending 2.A.D.J, Siwan, Case no. 265/2020 & Pending	1.Section 341,323,379, 384/34 IPC 2.Section 302,120(B),3 4 IPC	NA	NA	NA

Format C - 1

(For candidate to publish in Newspapers, TV)

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name and address of candidate: **Nitin Navin,** 3 Taylor Road, Patna

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: Bihar Legislative Assembly Election 2025

*Name of Constituency: 182 - BANKIPUR

I **Nitin Navin** a candidate for the Above mentioned election,

declare for public information the following details about my criminal antecedents:

Pending Criminal cases				Details about cases of conviction for criminal offences	
S.N.	Name of Court	Case No. and Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offences(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed
1.	Special Court, Patna, Kotwali	Kotwali, Patna PS Case no. 469/15, Pending	U/S 143, 341, 188, 431, 290 IPC	Not Applicable	Not Applicable
2.	CJM, Patna	Kotwali PS Case no. 516/2023, Patna Under Investigation	U/S 188, 147, 149, 323, 324, 337, 338 & 353 IPC	Not Applicable	Not Applicable
3.	CJM, Patna	Kotwali PS Case No. 1133/19, Pending	U/S 147, 149, 188, 291, 342, 504 IPC	Not Applicable	Not Applicable
4	सब जज–4, पटना ACJM , Patna	S.K. Puri, Patna PS Case no. 303/13, Pending	U/S 147, 341, 323, 504, 353 IPC	Not Applicable	Not Applicable
5.	श्रीमती माधुरी सिंह J.M. First Class, Patna	Secretariate PS Case no. 56/14, Pending	U/S 188 IPC एवं बिहार लोक सम्पत्ति विरूपन अधिनियम	Not Applicable	Not Applicable

In the case of election to Council of States or Election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

शहर में अतिक्रमण की समस्या बन गई लाइलाज

अतिक्रमण हटाने के प्रति गंभीर नहीं हैं अधिकारी

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

औरंगाबाद। शहर में अतिक्रमण की समस्या इन दिनों लाइलाज बन गई है। शहर का अधिकांश इलाका अतिक्रमण के मकड़जाल में फंस गया है। अतिक्रमण की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि निजात मिलना मुश्किल है। हर गली व मोहल्लों में अतिक्रमण है।शहर में केवल अतिक्रमणकारियों का ही बोलबाला है। वहीं अतिक्रमण के कारण हमेशा जाम की समस्या उत्पन्न होती है। जाम में एंबुलेंस भी फंसी रहती है। जिसके कारण मरीजों की सांसे अटक जा रही है। एंबुलेंस का सायरन बजते रहता है परंतु अतिक्रमणकारी बेखौफ रहते हैं। जब कभी नगर परिषद के अधिकारी

एक्शन में आते हैं तो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर सड़क से अतिक्रमण हटाते हैं। वहीं अधिकारी जितना समय तक सड़क पर खड़े रहते हैं बस उतना ही देर अतिक्रमण हटाया हुआ रहता है परंतु अधिकारियों के जाने के बाद पुनः स्थिति जस के तस हो जाती है। अतिक्रमणकारियों द्बारा इस कदर है कि 30 फुट का सड़क सिकुड़कर 15 फीट हो जाता है। अधिकारियों की सख्ती का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। नगर परिषद के अधिकारी सिर्फ अतिक्रमण हटाने के नाम पर खानापूर्ति करते हैं। बराटपुर के अंकित सिंह, जीतेंद्र सिंह ने बताया कि सड़क पर अतिक्रमण होने से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। सुबह होते ही सड़क पर दुकानें सज जाती है। बताया कि अब अतिक्रमण हमारे लिए सिरदर्द बन गया है। अतिक्रमण के कारण जाम इतनी होती है कि बाइक लेकर बाजार में जाना नहीं चाहते हैं। नगर परिषद के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की जरूरत है।

श्रीरामचरितमानस नवाह ज्ञान यज्ञ संपन्न, भंडारे का आयोजन

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

मसौढ़ी। सती स्थान मसौढी में आयोजित नौ दिवसीय संगीतमय श्रीरामचरितमानस नवाह ज्ञान यज्ञ गुरुवार को संपूर्ण पाठ के बाद हवन-पूजन एवं भोजन-प्रसाद भंडारे के साथ समापन हो गया। यज्ञ के अंतिम दिन उत्तरकांड के पाठ के दरम्यान शंकर भगवान और पार्वती तथा काकभुशुंडी व गरूड़ आदि का भक्ति-ज्ञान-उपासना आदि पर बहुत ही सुन्दर संवाद सुनने को मिला। कार्यक्रम के दौरान छोटे-छोटे बच्चे सीता-राम, लखन हनुमान आदि के रूप में बहुत आकर्षक और मनभावन लग रहे थे। इस अवसर पर अयोध्याधाम सहित अन्य कई स्थानों से पधारे साधु-संत, पाठकगण तथा काफी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित रहे। इनमें मुख्य रूप से शंभूदास, कमलकान्त, सुबोध शर्मा, अमर सिंह, सुरेश दास, उमेश कुमार, सरयू दास, विजय सिंह आदि थे।

भोला बिगहा जाने वाला पथ जर्जर होने से राहगीर परेशान

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

औरंगाबाद। देव मोड़ से भोला बिगहा जाने वाली करीब आठ किमी की सड़क जर्जर होने से इन दिनों ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि सड़क का निर्माण दो वर्ष पहले मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत कराई गई थी परंतु सड़क पर दिन रात हाइवां व ट्रैक्टर चलने से सड़क बनने के साथ ही टूटकर बिखर गई। बता दें इस सड़क से होकर एरकीकला, भोला बिगहा, बीबीपुर, भदवां, आशा बिगहा सहित कई गांवों को जोड़ने वाली इस सड़क से प्रतिदिन सैकड़ों लोग सफर करते हैं। दिनभर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। फिर भी किसी को इसकी सुध लेने की

फुर्सत नहीं है। सड़क में जगह-जगह बने गढ्डे व उबड़-खाबड़ सड़क इसकी जर्जरता को खुद बया करती है। सड़क जर्जर होने के कारण दोपहिया व छोटे वाहन चालकों को तो भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके चलते इस मार्ग में अक्सर दुर्घटना भी होता रहता हैं। अभी बारिश के दिनों में सड़क की हालत और भी नारकीय हो गई है। जगह-जगह टूटी सड़क कई जगह तो पूरी तरह कीचड़मय हो जाती है। जिससे होकर निकलना राहगीरों को मुश्किल हो जाता है। अब तो हालत यह है कि भाड़े के वाहन भी इस मार्ग से जाने को कतराते हैं। अभिभावक अपने बच्चे को इस सड़क से होकर विद्यालय भेजने में भी डरते हैं। पता नहीं कब हादसा हो जाए। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र के लोगों ने इस सड़क के पुनर्निर्माण की मांग जोर शोर से नहीं उठाया लेकिन उनकी आवाज सुननेवाला शायद कोई नहीं है। शिवगंज निवासी प्रदीप सिह, एरकीकला निवासी अरविद सिह, रविशंकर कुमार बताते हैं कि सड़क की निर्माण कराने की कई बार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से मांग की गई परंतु सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। बताया कि अब तो रिश्तेदार भी गांव आना छोड़ दिए हैं। वे कहते हैं कि जब सड़क बनेगी तभी आपके यहां आएंगे। इतना होने के बावजूद भी अधिकारी चैन की नींद सोए हैं।

बाजितपुर गांव में वर्षो से अधूरा पड़ा है नाली निर्माण का कार्य

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

औरंगाबाद। जिले के गोह प्रखंड के अमारी पंचायत के तहत बाजितपुर वार्ड नं- सात में नाली और सड़क का आधा अधूरा निर्माण कार्य किया गया है। नाली का निर्माण अधूरा रहने से इन दिनों ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर छोटे-छोटे बच्चों को आवाजाही करने में काफी परेशानी हो रही है। नाली में गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं। अधूरा निर्माण कार्य होने के कारण लोगों

के लिए घर तक अपना वाहन ले जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चार पहिया वाहनों को अपने घर से दूर ही रखना पड़ रहा है। इससे वाहन चोरी होने की आशंका बनी रहती है। नाली का निर्माण कार्य पूरा नहीं किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि आमलोगों की समस्याओं के प्रति जनप्रतिनिधि उदासीन बने हैं। उदासीनता के कारण आधा-अधूरा निर्माण कार्य को पूरा करने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। बता दें कि यह कार्य अप्रैल माह में प्रारंभ हुआ था परंतु अब तक पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीण सुजीत विश्वकर्मा, सुरेश यादव, अरविद विश्वकर्मा सहित अन्य ग्रामीणों में आक्रोश है। कहा कि अगर नाली का निर्माण नहीं किया गया तो हम सभी उग्र होकर प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	04 - BAGAHA	SHRI RAM SINGH	Tariq Shamim, JMFC, Bagaha, West Champaran RAMNAGAR PS Case no. 141/2000 Evidence	U/S 379, 411 IPC	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	10 - RAXAUL	Shri Pramod Kumar Sinha	Special Court Vigilence, Muzaffarpur Vigilance Patna PS Case no. 22/87 Evidence	U/S 420, 477A, 109, 120B IPC & 5(2) R/W 5(1)(d) of P.C. Act	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	161 - Banka	Sri Ram Narayan Mandal	ACJM III, Banka Banka P.S. Case no. 245/89 Gr. No. 864/89 Evidence	U/S 149, 144, 291, 353, 120B IPC	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	08 - Bettiya	Srimati Renu Devi	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, पटना Patna Kotwali PS Case no. 516/2023 Under Investigation	U/S 188, 147, 149, 323, 324, 337, 338, 353 IPC	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र से हुई वोटिंग

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

मसौढ़ी। मसौढ़ी विधानसभा में 85 वर्ष से अधिक उम्र व दिव्यांग मतदाताओ में 25 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के द्वारा घर बैठे मतदान की। हलांकि पुरे मसौढी विधानसभा मे कुल 822 वैसै मतदाता है। निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीएम अभिषेक कुमार ने इसके लिए चार सस्यीय 04 भ्रमण मतदान टीमों के साथ एक सुरक्षित टीमें गठित की हैं। सभी टीमों को प्रशिक्षण के बाद एक-एक स्कार्पियो दे दी गई है। सुबह आठ बजे कोषागार से मतदान पत्र उपलब्ध कराया गया। एसडीएम ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक उम्र व दिव्यांग मतदाता जिन्होंने घर से डाक मतपत्र द्वारा मतदान का आवेदन किया था, उन्हें यह सुविधा दी जा रही है, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे निर्धारित बूथ पर मतदान कर सकेंगे। सभी मतदान केंद्र भू-तल पर हैं और वहां रैंप बनाया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 के तहत हर विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान पदाधिकारी, माइक्रो आब्जर्वर, फोटोग्राफर व पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई है। मतदाताओं को मतदान दल के आगमन की पूर्व सूचना वाट्सएप, एसएमएस, डाक या बीएलओ के माध्यम से दी जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाता किसी वयस्क स्वजन की सहायता ले सकेंगे पर राजनीतिक दल या प्रत्याशी का व्यक्ति सहयोगी नहीं बन सकेगा। मतदान गोपनीय रहेगा और कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि वास्तविक मतदान की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले सभी मतदाताओं का मतदान पूरा हो सके। डीएम ने कहा कि यह विशेष मतदान अभियान हर नागरिक को मताधिकार का अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में प्रशासन की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनावों में अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था की है। इससे बुजुर्ग व लाचार मतदाताओं को बूथ तक आने-जाने की समस्या से राहत मिलेगी और वे आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्ति घर से ही अपना वोट डालने की.सुविधा प्रदान की गई है।घर बैठे वोट डालने की सुविधा का फायदा उठाने के लिए इच्छुक वोटर्स फॉर्म 12डी भरकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाया गया था।

हत्या के प्रयास मामले में आरोपित धराया

दनियावां (पटना) (नवबिहार टाइम्स संवाददाता)। पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक फरार आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान निमी गांव निवासी रंजीत कुमार के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपित पर गांव के ही एक व्यक्ति पर मारपीट के दौरान जानलेवा हमला करने का आरोप है।घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। दनियावां थानाध्यक्ष अनिल प्रसाद ने बताया कि आरोपित रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

मिशन 60 के तहत जीविका दीदियों का मतदाता जागरूकता अभियान

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

मसौढ़ी। मसौढ़ी विधानसभा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई सरकारी विभाग मिलकर तरह-तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। रंगोली, चुनावी पाठशाला, मतदाता शपथ और साइकिल रैली जैसी पहलें की जा रही हैं। ऐसे में गुरुवार को मसौढ़ी प्रखंड के भैसवां गांव में जीविका दीदी के द्वारा में रसाकस्सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसके बाद सड़कों पर उतरकर पहले मतदान फिर जलपान जलपान वोट करेगा मसौढी आदी नारों के साथ रैली भी निकाली गई है। स्वीप के जरिए चल रहे विभिन्न पंचायतों मे मतदाता जागरूकता अभियान के संबंध में एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि लोगों को वोट डालने के लिए पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीकों से जागरूक किया जा रहा है। इसमें रात चौपाल, चुनावी पाठशाला, साइकिल रैली, घर-घर जाकर संपर्क, अपने बूथ को जानें, वोट जरूर डालें। मौके पर प्रखंड परियोजना प्रबंधक दिग्विजय समदर्शी ने बताया की विभिन्न गतिविधि के माध्यम से मतदान जागरूकता करवाया जा रहा है जिसमे आज रसाकस्सी, कबड्डी, मानव श्रृंखला, शपथ, रैली करवाया गया। निर्भय कुमार सामुदायिक समन्वयक ने कहा की इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य मतदाताओ में मतदान के प्रति उत्साह बढ़ाना है। मौके पर पंचयत नोडल शैल कुमारी, सुषमा देवी गीता कुमारी शर्मिला सिंह, नीतू देवी, चंचल कुमारी, देवेंद्र कुमार एमआरपी,आनंद कुमार सहायक एवं सभी जिविका के कैडर उपस्थित हुए।

इवीएम कमीशनिंग का कार्य संपन्न, अब मतदान पूर्व पोलिंग पार्टी को कराया जायेगा उपलब्ध

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

मसौढ़ी। मसौढ़ी मुख्यालय के श्रीमती गिरिजा कुवंर हाई स्कूल में चल रहे हैं ईवीएम सीलिंग का कार्य गुरुवार को संपन्न हो गया है, जहाँ मसौढी विधानसभा के 443 मतदान केंद्रों तक पहुंचने वाले ईवीएम ई कमिशनींग कर ली गई है। ऐसे में अब शुक्रवार को रिजर्व रखे गये ईवीएम सीलिंग का कार्य किया जाएगा उसके बाद रैंडमली 5% कैंडिडेट के समक्ष ईवीएम सीलिंग और 1000 मॉक पोल कराया जाएगा। एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया की चुनाव को प्रदर्शित लाना है। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 की तैयारी जैसे जैसे अंतिम चरण में पहुंच रही है। अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह से निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जुटा है. ईवीएम कमिशिनिंग की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गयी है। ईवीएम. कमिशनिंग के पश्चात ईवीएम को पुनः वज्रगृह में सुरक्षित रखवा दिया गया जिसे मतदान के पूर्व पोलिंग पार्टी को उपलब्ध कराया जायेगा। ईवीएम कमीशनिंग निर्वाचन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसपर ही मतदान निर्बाध संपन्न हो पाना सम्भव है इसके अलावा उन्होंने कहा की एकाग्रता व सावधानी के साथ चरणबद्ध तरीके से सीलिंग होने से अथवा कमीशनिंग जितने अच्छे से की जाएगी। मतदान के दिन उतनी ही कम परेशानी होगी।

लहसुना एवं केवड़ा थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर किया गया एरिया डोमिनेशन

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

मसौढ़ी। आगामी 6 नवंबर को मसौढी विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण का मतदान होना है। ऐसे में अभी से ही विभिन्न थानो की पुलिस अपनी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। ऐसे में गुरुवार को लहसुना थाना क्षेत्र में एएसपी कोमल मीणा और लहसूना थानाध्यक्ष खुशबू खातून के संयुक्त नेतृत्व में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। कई जगहों पर सीएरपीएफ पुलिस फोर्स और स्थानीय थाना की पुलिस बल के द्वारा एरिया डोमिनेशन की गई इसके साथ ही फ्लैग मार्च का भी आयोजन किया गया वहीं केवड़ा ओपी थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में सीऐपीएफ पुलिस फोर्स के द्वारा एरिया डोमिनेशन करते हुए मतदाताओं को भय मुक्त माहौल में वोट करने की अपील की है। इसके साथ ही सभी पुलिस फोर्स ने आम मतदाताओं से अपील की है कि जहां कहीं भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय सूचना मिले तुरंत स्थानीय थाना को सूचित करें इसके साथ ही अगर कोई मतदाताओं को वोट करने में परेशान कर रहा हो वैसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कारवाई की जायेगी।

मोंथा चक्रवात से किसानों की बढ़ी मुश्किलें

मसौढ़ी (नवबिहार टाइम्स संवाददाता)। बीते 48 घंटे से बूंदाबांदी और हवा के झोके के साथ मोंथा चक्रवात से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। मसौढी में खासकर सब्जी उगाने वाले किसान के साथ-साथ खेतों में लगे हुए धान की फसल की बर्बाद होने की आशंका से किसान एक बार फिर से परेशान और हताश हो गए हैं। मौसम की दोहरी मार से लगातार किसानों को फजीहत हो रही है। ऐसे में एक बार फिर से मोंथा साइक्लोन आ जाने की वजह से खेतों में लगे हुए धान की फसल जो इन दोनों पककर तैयार थी और कुछ दिनों में काटने की तैयारी में किसान लगे हुए थे, इसी बीच मोंथा साइक्लोन के कारण वह सभी पकी हुई फसल बारिश के पानी में भीगने से फसल क्षति के अंदेशा होने लगा है। किसानों को डर सताने लगा है कि इतने खून पसीने से उगाई हुई फसल कहीं बारिश के पानी में भिंग कर बर्बाद ना हो जाए। कई जगहों पर किसान अपनी पकी हुई फसल को काटकर खेतों में सूखने के लिए बिछाए हुए थे ऐसे में इस साइक्लोन के वजह से आए हुए बारिश की पानी से वह भींग गए हैं। वह बर्बादी की कगार पर है कई जगह पर खड़ी हुई फसल खेतों में ही गिर गई है अब वह उठ नहीं पाएगी किसानो की माने तो वह फसल पकने से पहले ही गिर चुकी है। धनरूआ के केवडा निवासी किसान नागेंद्र सिंह ने बताया की यह बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत है। फसल को नुकसान हो सकता है। वही मसौढी प्रखंड के राजा बीघा गांव में मनोज यादव, जगपुरा गांव के सीताराम सिंह, धनिचक गांव में चितरंजन सिंह आदी कई किसानों ने बताया कि हमारे खेतों में लगी हुई धान की फसल कट चुकी है जो खेतों मे इस पानी से फसल बर्बाद हो सकती है।

महिलाओं ने आंवला की पूजा कर सुख-समृद्धि की मांगी मन्नत

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

मसौढ़ी। अक्षय नवमी पर्व गुरुवार को मसौढी में उत्साह के साथ मनाया गया। महिलाओं ने आंवले की पूजा अर्चना कर परिवार के आरोग्य व सुख समृद्धि की मनौतियां मांगी। विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर चढ़ाया गया। मसौढी के ठाकुरवाडी मंदिर परिसर में आंवले वृक्ष मे भारी संख्या मे श्रद्धालुओं की भीड उमडी, वहीं मसौढ़ी मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय नवमी पर सुबह ही महिलाओं ने आंवला के पेड़ के नीचे पहुंचकर पूजन किया। इसके बाद लोगों ने आंवले के नीचे बैठकर ही प्रसाद ग्रहण किया। पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। महिलाओं ने आंवला के पेड़ के नीचे पूजा करने के बाद परिक्रमा लगाई। साथ ही परिवार सुख-समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि कभी अक्षय नहीं होता। व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं शिवजी का निवास होता है। इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठने और भोजन करने से रोगों का नाश होता है। मसौढी के बडी ठाकुरवाडी मंदिर के पुजारी गोपाल पांडे ने बताया की प्राचीन धार्मिक मान्यता है कि आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन किया हुआ दान, जप और तप सभी अक्षय होकर मिलते हैं। इनका कभी क्षय नहीं होता हैं।

Format C-2

(For political party lo publish in website, newspapers, TV)
Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
(As per the judgment dated 25''' September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name of Political Party : **Jan Suraaj Party**
* Name of Election : **General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025**
Name of State/ UT : **Bihar**

1.	2.	3.	4.		5.		
S. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	97-Paroo	Ranjana Kumari	JMFC, Muzaffarpur , Cr.no 3393/2024, & Pending	Sec316(2), 318(2), BNS	NA	NA	NA

Format C-2

(For political party lo publish in website, newspapers, TV)
Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
(As per the judgment dated 25''' September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name of Political Party : **Jan Suraaj Party**
* Name of Election : **General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025**
Name of State/ UT : **Bihar**

1.	2.	3.	4.		5.		
S. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	106-Ziradei	Munna Pandey	A.C.J.M VIII,Siwan , Tr.no.1699/2024, Siwan & Pending	Sec 420 IPC	NA	NA	NA

Format C-2

(For political party lo publish in website, newspapers, TV)
Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
(As per the judgment dated 25''' September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name of Political Party : **Jan Suraaj Party**
* Name of Election : **General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025**
Name of State/ UT : **Bihar**

1.	2.	3.	4.		5.		
S. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	116-Taraiya	Satyendra Kumar Sahni	1. A.C.J.M 8, Chhapra Case No 14/ 18, Taraiya Pending 2.A.C.J.M 8, Chhapra Case no. 166/ 10 Pending 3.A.C.J.M 13, Chhapra Case no. 159/ 19 & Pending	1. Section 323, 406, 420 , 506 IPC 2.Section 171(4), 188 of IPC 3.Section 307/ 324 / 120(B) of IPC & 27 of Arms Act	NA	NA	NA

बरारी विधायक विजय सिंह को फोन पर मिली गोली मारने की धमकी

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

रात 2 बजे बरारी पुलिस ने आरोपित युवक को किया गिरफ्तार

बरारी /कटिहार। बरारी विधायक विजय सिंह को फोन पर अभद्र भाषा में गाली-गलौज करते हुए गोली मारने और जान से मारने की धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।घटना के संबंध में विधायक विजय सिंह ने बताया कि बुधवार शाम लगभग 5:54 बजे उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उस समय मैं समेली प्रखंड के डुमर चौक पर भाजपा नेता सोमरेंद्र दा के आवास पर बैठक में मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि पहले कॉल पर एक बच्चे की आवाज सुनाई दी और कॉल कट गया। इसके बाद दो से तीन बार फिर फोन आया। जब विधायक ने खुद कॉल बैक किया तो दूसरी ओर से आवाज बदल चुकी थी। फोन करने वाले ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा की वोट देंगें गोली मार देंगे और लगातार गाली-गलौज करता रहा।विधायक ने कहा कि यह लोकतंत्र का महापर्व है। जनता के अदालत में हम हैं। कौन विधायक बनेगा, यह जनता तय करेगी। किसी को यह अधिकार नहीं कि धमकी या गाली-गलौज करे।जिसके बाद उन्होंने तुरंत सदर डीएसपी 2 से संपर्क कर मामले की जानकारी दी और कॉल नंबर साझा किया। डीएसपी ने जांच कर कॉल लोकेशन ट्रेस करने का आश्वासन दिया।इसके बाद विधायक ने मामले की जानकारी एसपी को भी दी। एसपी ने तुरंत कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा कि जिस नंबर से कॉल आया है वह मोबाइल नंबर भेजिए। जांच टीम तत्काल कार्रवाई करेगी।विधायक ने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रात 2 बजे आरोपी युवक मो. वासीम जो कि कान्तनगर पंचायत के मरकड़िया बाड़ी का रहने वाला है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।विधायक ने कहा कि मैं उचित जांच की मांग करता हूं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस युवक के पीछे कौन-सी शक्ति काम कर रही थी।इधर इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि विधायक विजय सिंह ने मुझे रात लगभग साढ़े दस बजे इस घटना की जानकारी दी थी।उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा की बरारी को बलरामपुर मत बनने दीजिए। इंडी गठबंधन के नेता जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया हैं। उसके नतीजे सामने हैं। बिहार में असामाजिक और सांप्रदायिक तत्व किस तरह सक्रिय हैं।यह स्पष्ट है कि अब विधायक तक को धमकाया जा रहा है। अगर ऐसे लोग सत्ता के करीब पहुंचे, तो आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। थानाध्यक्ष सुमेश कुमार ने बताया कि युवक की गिरफ्तारी कर मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे विधिवत कारवाई की जा रही हैं।

अबकी बार बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी

सुखासन में इमरान प्रतापगढ़ी की सभा में उमड़ी भीड़

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

बरारी /कटिहार। प्रखंड के सुखासन हाट मैदान में बुधवार को आयोजित चुनावी सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राज्यसभा सांसद सह अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सभा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मैदान में उपस्थित समर्थकों के बीच माहौल पूरी तरह चुनावी जोश से भर गया।लोग मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर इमरान का स्वागत किया। सभा की शुरूआत में कांग्रेस कार्यकताओं ने जोरदार नारेबाजी और तालियों की गूंज के बीच इमरान प्रतापगढ़ी का स्वागत किया।

मंच पर पहुंचते ही उन्होंने अपने खास शायराना अंदाज में कहा कि ह्लअबकी बार बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी, महागठबंधन के साथी एकजुट होकर आगे बढ़ें। तौकीर को बरारी का प्रत्याशी बनाकर महागठबंधन ने भरोसा जताया है। छोटी-छोटी बातों को भूलकर एकता बनाए रखें, क्योंकि इस बार चूकना नहीं है। इस दौरान इमरान ने कहा कि ह्लनफरत के कारोबार को बदलेगा यह बिहार, झूठे चौकीदार को बदलेगा यह बिहार और दिल्ली की सरकार को भी बदलेगा यह बिहार।उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि 2029 तक राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल ने जब पूरे देश में नफरत का माहौल था, तब कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4 हजार किलोमीटर पैदल चलकर जनता से जुड़ने का काम किया। उन्होंने देश को जोड़ा, अब जनता को उनकी मेहनत की मजदूरी देनी होगी।सभा में इमरान ने अपने अंदाज में शेरो-शायरी के जरिये भी लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि हमने राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफर किया है, उनके पैर के छाले और माथे का पसीना अब भी सूखा नहीं है। अब वक्त है कि बिहार की जनता राहुल को उसकी मेहनत की मजदूरी दे।उन्होंने कहा कि बिहार के हर परिवार से एक व्यक्ति को तेजस्वी सरकार बनने पर नौकरी मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश चाचा जा रहे हैं और तेजस्वी आ रहे हैं। दिल्ली में बैठे लोग सोचते हैं कि गुजरात के रिमोट से बिहार चलेगा। लेकिन बिहार अब जाग चुका है। जनता इस बार नफरत की राजनीति को जवाब देगी।सभा में पूर्व मंत्री मंसूर आलम, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह,राजद प्रखंड अध्यक्ष तनवीर आलम, वीआईपी प्रखंड अध्यक्ष सुरेश सिंह,राजद नेता डॉ. एनुल हक, वरिष्ठ राजद नेता विमल मालाकार,अमरेंद्र सिंह , मो. आलमगीर,चंदन सिंह, जहांगीर आलम, पंकज यादव, शालिग्राम यादव,मो अकमल,बच्ची यादव,मजहर आलम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस और राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे । सभा समाप्ति के बाद जब इमरान प्रतापगढ़ी हेलीकॉप्टर से रवाना होने लगे। तभी तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। इसके बाद वे चारपहिया वाहन से पूर्णिया के लिए प्रस्थान किए।

अमदाबाद में गंगा के कटाव के कहर से सहमे लोग

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

अमदाबाद/कटिहार। प्रखंड के खट्टी भवानीपुर पंचायत के बबलाबन्ना गांव में गुरूवार अहले सुबह से ही गंगा नदी किनारे भीषण कटाव जारी है। तेज कटाव के कारण देखते ही देखते कई बीघा उपजाऊ भूमि नदी में समा गये । ग्रामीणों के मुताबिक, कटाव का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के दर्जनों घरों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है।

अचानक ऊपजी कटाव से आस पास के ग्रामीण डरे सहमे हैं,अफरा-तफरी का माहौल है। लोग अपने आशियाने छोड सामानों के अन्यत्र पलायन को विवश हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को कई बार कटाव की सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने बताया — "हर साल हम कटाव झेलते हैं, लेकिन इस बार पानी का बहाव और कटाव की रफ्तार तेज है। समय रहते कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये तो बडे भू भाग के नदी में समा जाने का खतरा उत्पन्न हो जाएग. ग्रामीणों ने चुनावी माहौल के बीच प्रशासन की उदासीनता पर सवाल उठाया है। लोगों का कहना है कि ह्लनेता वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जब गांव नदी में बह रहा है, तब कोई देखने नहीं आता।ह्व गंगा किनारे का ये मंजर किसी भयावह दृश्य से कम नहीं — टूटी हुई जमीन, बहते पेड़ और रोते-बिलखते ग्रामीण। एक तरफ बिहार में चुनावी सरगर्मी है, दूसरी तरफ गंगा का कहर लोगों के जीवन को उजाड़ रहा है। इस बावत अनुमंडल पदाधिकारी ने जानकारी दी कि घटते जल स्तर के बीच अमदाबाद के बबलाबन्ना में ऊपजी कटाव की समसःया से संवंधित विभाग को अवगत कराते हुए आवश्यक प्रभावकारी कदम उठाये जाने को निदेशित किये गये हैं. इस सयस्या के प्रति प्रशासन गंभीर है।

वाहन जांच के दौरान 2.5 किलो चांदी के आभूषण जब्त

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

कटिहार नगर। बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कटिहार पुलिस लगातार सघन अभियान चला रही है। इसी क्रम में नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत भगवान चौक के पास पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है । पुलिस बल ने एक स्कूटी की डिक्की की जाँच की, जिसमें से 02 किलो 500 ग्राम चाँदी के आभूषण बरामद किए गए।?जब स्कूटी चालक से बरामद आभूषणों के संबंध में वैध कागजात या कोई प्रमाण मांगा गया , तो वह न तो कोई दस्तावेज दिखा सका और न ही पुलिस को कोई संतोषजनक उत्तर दे पाया। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल विधिसम्मत कार्रवाई की।?बरामद चाँदी के आभूषणों को जब्ती सूची बनाकर तुरंत जब्त कर लिया ।

बेगूसराय में थिंक गैस और टाटा मोटर्स की साझेदारी, एलएनजी ट्रकिंग को मिलेगी रफ्तार

बेगूसराय/नवबिहार टाइम्स संवाददाता। औद्योगिक और ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ते बेगूसराय में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थिंक गैस ने टाटा मोटर्स के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का मकसद लंबी दूरी की हैवी ड्यूटी ट्रकिंग के लिए एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) रिफ्यूलिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है। थिंक गैस और टाटा मोटर्स मिलकर एलएनजी ढांचागत सुविधाओं का विस्तार करेंगे तथा संभावित माल ढुलाई गलियारों की पहचान करेंगे।

कंपनी बेगूसराय सहित प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और लॉजिस्टिक हब को जोड़ते हुए एलसीएनजी स्टेशनों का नेटवर्क बढ़ा रही है। थिंक गैस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (एलएनजी फ्यूल) श्री सोमिल गर्ग ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन को सुलभ और किफायती बनाना है। वहीं, टाटा मोटर्स के उपाध्यक्ष (ट्रक्स) श्री राजेश कौल ने कहा कि भारत में टिकाऊ और कुशल माल ढुलाई आंदोलन को गति देने में एलएनजी एक प्रभावी समाधान साबित होगा। वर्तमान में थिंक गैस 18 एलसीएनजी स्टेशनों का संचालन कर रही है और कई नए स्टेशन निमार्णाधीन हैं। टाटा मोटर्स वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकियों जैसे बैटरी इलेक्ट्रिक, सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

Format C-2

(For political party lo publish in website, newspapers, TV)
Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
(As per the judgment dated 25''' September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name of Political Party : **Jan Suraaj Party**
* Name of Election : **General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025**
Name of State/ UT : **Bihar**

1.	2.	3.	4.		5.		
S. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	105-Siwan	Intekhab Ahmed	CJM, Siwan, PS Case no 287/17, Siwan & Pending	Sec 302 IPC	NA	NA	NA

तीन केन्द्रों पर मतदानकर्मियों के दूसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

डंडखोरा/कटिहार। जिले में विधान सभा का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीना के निर्देश पर मतदान कर्मियों का दूसरे चरण का प्रशिक्षण तीन केंद्रों पर आयोजित कया गया।

हरिशंकर नायक उच्च माध्यमिक विद्यालय मिरचाईबाड़ी, माध्यमिक विद्यालय बीएमपी.-7 तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय बीएमपी.-7, कटिहार में आयोजित प्रशिक्षण के प्रथम पाली में 63-कटिहार विधानसभा क्षेत्र के तथा द्वितीय पाली में 64-कदवा विधानसभा क्षेत्र के मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में मास्टर प्रशिक्षकों ने सैद्धान्तिक रुप से तो वहीं वीडियो के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया।प्रशिक्षण के बाद मतदान कर्मियों की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा भी ली गई। ताकि निर्वाचन प्रक्रिया की पूर्ण समझ सुनिश्चित हो सके। इसको लेकर प्रशिक्षण स्थल पर मतदान बूथ का एक डमी ह्यपिंक बूथह्व भी प्रदर्शनी हेतु तैयार किया गया था।अपर समाहर्ता डा.विनोद कुमार,जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी, लोक जन शिकायत निवारण पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सहित प्राणपुर, कोढ़ा एवं कटिहार के प्रेक्षक भी प्रशिक्षण में उपस्थित रहे और प्रशिक्षण कार्यक्रम का निगरानी करते देखे गये।

एसडीएम ने छोटी तेलडंगा गांव का दौराकर ली वस्तु स्थिति की जानकारी

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

मनिहारी /कटिहार । विगत दिनों प्रखंड क्षेत्र के केवाला पंचायत के आदिवासी वहुल क्षेत्र छोटी तेलडंगा के ग्रामीणों ने नेताओं द्वारा क्षेत्र के विकास के प्रति उदासीनता से खफा होकर विधानसभा चुनाव के दौरान वोट नहीं करने की चेतावनी दी थी। ग्रामीणों की समस्या के प्रति संवेदनशील अनुमंडल पदाधिकारी त्रिलोकी नाथ सिंह, बीडीओ सनत कुमार, बीपीआरओ सोनू गुप्ता के साथ गुरुवार को छोटी तेलडंगा गांव का दौराकर आमजन की समस्याओं को समझा।एसडीएम श्री सिंह ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से क्षेत्र आच्छादित है। ग्रामीणों द्वारा रोड धहीं तो वोट नहीं की धमकी के मद्देनजर जानकारी दी कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पथ निर्माण को लेकर सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया. आनेवाले दिनों में गांव के सर्वांगीण विकास को लेकर प्रभावी कदम उठाये जाएंगे।जानकारी हो कि इसके पूर्व भी इस आदिवासी क्षेत्र के विकास के प्रति जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों पर सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगते रहे हैं। दो दशक पूर्व भी भेडियाही जाने के लिए सडक के आभाव में रोड धही तो वोट नहीं का नारा लोगों ने दिया था. तब भारी मशक्कत व मान मनौव्वल के वाद ग्रामीण वोट करने को राजी हुए थे।

Format C-2

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
(As per the judgment dated 25''' September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name of Political Party : **JAN SURAAJ PARTY**
Name of Election : **General Election to Legislative Assembly of Bihar-2025**
Name of State/ UT : **BIHAR**

1.	2.	3.	4.		5.		
S. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	96-Baruraj	Hira Lal Khadia	1. S.D.J.M, Muzaffarpur PS Case no 04/20 Baruraj Pending 2. C.J.M. Div-I, Muzaffarpur PS Case no 186/20 Baruraj Pending 3. C.J.M. Div-I, Muzaffarpur PS Case no 191/18 Baruraj Pending 4. C.J.M. Div-I, Muzaffarpur PS Case no 92/16 Baruraj Pending 5. C.J.M. Div-I, Muzaffarpur PS Case no 93/16 Baruraj Pending 6. C.J.M. Div-I, Muzaffarpur PS Case no 115/17 Baruraj Pending	1. Sec.-341, 323, 504, 506, 307, 379, 34 IPC 2. Sec.- 171(e), 188 IPC 3. Sec.- 147,148,149, 447, 341, 323, 354, 379 IPC 4. Sec.-341, 323, 307, 379, 504, 34 IPC 5. Sec.-341, 323, 307, 379, 504, 34 IPC	NA	NA	NA

छठ पर्व को ड्रामा कहना बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा: अन्नपूर्णा देवी

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि छठ पर्व को ड्रामा कहना बिहार और पूर्वांचल की माताओं-बहनों का अपमान है और बिहार इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनके बयान से करोड़ों लोगों की आस्था आहत हुई है। उन्होंने कहा कि यह वही महापर्व है जिसमें महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वैश्विक पहचान दिलाने में लगे हैं जबकि राहुल गांधी ने इसे ड्रामा कहकर तुष्टिकरण की राजनीति का परिचय दिया है। अन्नपूर्णा देवी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों को जनता की आस्था से कोई सरोकार नहीं है, इनका चरित्र ही तुष्टिकरण है। उन्होंने कहा कि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव में से किसी ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति नहीं जताई जबकि राबड़ी देवी खुद हर साल छठ करती हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं और बेटियां इस अपमान का जवाब चुनाव में देंगी। प्रधानमंत्री की सभाओं में महिलाओं की भारी उपस्थिति इस आक्रोश को दिखा रही है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ बिहार की बेटियां हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर अनामिका पासवान, नेहा बग्गा और रानी चौबे भी उपस्थित थीं।

सिमरा मोड़ पर मारपीट, सात लोगों पर मामला दर्ज

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

कोंच। प्रखंड के बीकन बिगहा गांव निवासी धनंजय यादव ने कोंच थाना में आवेदन देकर सात लोगों के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है। आवेदन में बताया गया है कि विगत 28 अक्टूबर को वे अपने बहनोई अरविंद यादव, ग्राम नोनी जलालपुर निवासी के साथ बीकन बिगहा से बेलीपर गांव जा रहे थे। इसी दौरान सिमरा मोड़ के पास पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उन्हें रोककर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इस घटना में श्रीकांत कुमार, सचिन कुमार, रामकृत यादव सहित कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी। थानाध्यक्ष सुदेह कुमार ने बताया कि पीड़ित के आवेदन पर कोंच थाना कांड संख्या 511/25 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

प्रेक्षक ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

गयाजी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अवसर पर चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से सभी विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेक्षक नियुक्त किये गए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को अतरी विधानसभा क्षेत्र के लिये प्रेक्षक जी० श्रीनिवसुलु द्वारा अतरी विधानसभा के अनेकों मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।

फार्मेट सी-2

(राजनैतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार-पत्रों/ टी वी में प्रकाशन हेतु)

दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम : भारतीय जनता पार्टी

* निर्वाचन का नाम : बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम : 223 औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र

1.	2.	3.	4.		5.		
क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अभ्यर्थी का नाम	(क) लंबित आपराधिक मामले न्यायालय का नाम, मामले की सं. एवं मामला (मामलों) की स्थिति	(ख) संबंधित अधिनियमों की धाराएं और अपराध (धों) का संक्षिप्त विवरण	(ग) आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के विषय के संबंध में विवरण		
					न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख (तारीखें)	अपराध (धों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दंड
1.	223 औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र	त्रिविक्रम नारायण सिंह (ग्राम+पो.-जमुहार, थाना-डिहरी मुफस्सिल, जिला-रोहतास (बिहार)821305)	अनुमंडल दंडाधिकारी डिहरी, परिवाद सं. 58/21-1/24 लंबित	धारा-107, भा.द.वि. शांति भंग होने की आशंका	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

'राज्य सभा के निर्वाचन अथवा विधान सभा सदस्यों द्वारा, विधान परिषद् के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

एनडीए उम्मीदवार डॉ अनिल कुमार पर जानलेवा हमला, पुलिस एक्शन मोड में

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

टिकारी। पंचानपुर थाना क्षेत्र के दिघौरा गांव में पिछले बुधवार को विधायक व एनडीए उम्मीदवार डॉ अनिल कुमार पर जानलेवा हमला के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में दिख रही है। घटना के बाद से एनडीए व महागठबंधन की उम्मीदवारों के प्रचार के दौरान अब आर्म्स फोर्स मौजूद रहेगी। घटना के बाद पुलिस द्वारा क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन में तेज किया गया है। घटना को लेकर 41 नामजद सहित 100-150 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अनिल कुमार के निजी सहायक संजय कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराये गये प्राथमिकी में कहा गया है कि जनसम्पर्क के लिए जाने के दौरान दिघौरा गांव स्थित यादव टोला में 100-200 की संख्या में रहे लोगो ने हमला बोल दिया। विधायक को घेर लिया जिसके बाद अंगरक्षकों ने आत्म सुरक्षार्थ नौ राउंड फायरिंग कर विधायक को उपद्रवियों से बचाकर बाहर निकाला। पंचानपुर थानाध्यक्ष को घटना की सूचना दी जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व विधायक को सुरक्षा घेरे में रखा। घटना में वर्तमान विधायक अनिल कुमार के अलावा सात लोग घायल हुए। घायलों को अनुमण्डलीय अस्पताल भेज इलाज कराया गया। पुलिस द्वारा देर रात कार्रवाई करते हुए दस नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय को सुपुर्द किया। पंचानपुर थानाध्यक्ष पद्माकर उपाध्याय द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर कांड के अनुसंधान की जिम्मेवारी एसआई नगीना उरांव को दी है।

फार्मेट सी-1

(समाचार पत्र, टीवी में प्रकाशन हेतु अभ्यर्थियों के लिए)

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसार) (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)

अभ्यर्थी का नाम और पता : **शशिशंकर कुमार उर्फ राजेश यादव (ग्राम- करमा, थाना-कुदरा, जिला- कैमूर)**

राजनैतिक दल का नाम : **राष्ट्रीय जनता दल**

(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां "निर्दलीय" लिखें)

निर्वाचन का नाम : **बिहार विधान सभा**

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : **210, दिनारा विधानसभा क्षेत्र**

मैं **शशिशंकर कुमार उर्फ राजेश यादव** (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूं:

(क)	**लंबित आपराधिक मामले**			
क्रम सं०	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं तारीख	मामले (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (धाराएं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1.	एसीजेएम -I पटना	केस सं. 274/19 कोतवाली थाना पटना कांड सं. 22/2019	लंबित	भा.द.वि धारा 147,149,188, 341,34, 504 प्रतिबंधित क्षेत्र में नाजायज मजमा बनाकर धरना प्रदर्शन करना
2.	एसीजेएम -I पटना	गांधी मैदान थाना कांड सं. 241/20	लंबित	भा.द.वि धारा269,270,188,143,145 लॉकडाउन का उल्लंघन एवं 3/4 लाउडीस्पीकर एक्ट

क्रम सं०	(ख) **आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण**		
	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख (खें)	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	**अधिकतम अधिरोपित दंड**
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

राज्यसभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

नाबालिग के अपहरण मामले में चार गिरफ्तार

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

गयाजी। जिले में गुरुआ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती का उसके पिता के सामने हथियार के बल पर अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना बीती रात हुई।

मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग युवती अपने परिवार के साथ झारखंड के कौलेश्वरी से लौट रही थी। उन्होंने बारा गांव के संदीप दास की पिक-अप वैन बुक की थी। हंटरगंज में गाड़ी खराब होने पर चालक संदीप और पिता-पुत्री के बीच कहासुनी हुई थी। इसी विवाद से आक्रोशित होकर चालक संदीप ने अपने गांव के पास चार बाइक सवार युवकों को बुलाया। आरोपियों ने पिता-पुत्री को बंधक बनाकर मारपीट की। इसके बाद वे नाबालिग को मोरहर नहर के पास घने जंगल में ले गए। लोगों का कहना है जंगल में ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद पीड़िता के पिता घर पहुंचे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर खोजबीन शुरू की। युवती ने रोते हुए पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और चारों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देशी कट्टा, एक कारतूस और घटना में प्रयुक्त एक बाइक बरामद की है। शेरघाटी डीएसपी सह एएसपी शैलेंद्र सिंह और सर्किल इंस्पेक्टर न्याज अहमद ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। नाबालिग युवती को मेडिकल जांच के लिए जयप्रभा अस्पताल, गयाजी भेजा गया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष मनेश कुमार ने बताया कि घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद हुए हैं।

धान में लग रहा हल्दी रोग, किसान रहें सतर्क

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

गयाजी। जिला के विभिन्न क्षेत्रों से धान की फसल में फाल्स स्मट (हल्दी रोग) लगने की सूचना प्राप्त हो रही है। रॉकी रावत, सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सुनील कुमार, पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं सुदामा सिंह, जिला परामर्शी के संयुक्त दल द्वारा इसकी जांच की गई है जिसमें पाया गया कि फंफूद से लगने वाला यह रोग धान के बालियों को नुकसान पहुंचा रहा है। किसान इस क्षेत्र में इसे कोयली रोग के नाम से जानते हैं। कोयली रोग (हल्दी रोग) से बचाव के लिये वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाव दिया गया है कि किसान रोग से प्रभावित बालियों को सावधानी से पॉलीथिन से ढ़ककर तोड़ लें एवं उनको मिट्टी में दबा दें। इसके पश्चात फसल पर फफूंदनाशक प्रोपिकोनाजोल 25 प्रतिशत ईसी 01 मिली को 01 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। एक एकड़ छिड़काव के लिये 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बेहतर परिणाम के लिये एक सप्ताह के अन्तराल पर दो बार छिड़काव की सलाह दी गई है। खेतों के नियमित निरीक्षण से एवं रोग को देखते ही इसका समुचित उपाय करने से नुकसान से बचा जा सकता है।

कार्तिक अक्षय नवमी पर महिलाओं ने की आंवले वृक्ष का पूजन, सुख-समृद्धि की कामना

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

शेरघाटी। कार्तिक मास की शुभ तिथि अक्षय नवमी के अवसर पर शेरघाटी में महिलाओं ने आंवले के वृक्ष का विधिवत पूजन किया। प्रातःकाल से ही विभिन्न मोहल्लों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पारंपरिक पूजन सामग्रियों के साथ आंवले के पेड़ के समीप पहुंचीं और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। इसी कारण इस दिन इसे विशेष रूप से पूजा जाता है। पूजन के दौरान महिलाओं ने दीप प्रज्ज्वलित कर धूप-अगरबत्ती चढ़ाई। साथ ही परिक्रमा करते हुए परिवार की सुख-शांति, दीर्घायु और आर्थिक समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि कार्तिक अक्षय नवमी के दिन आंवले का पूजन करने से पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन में निरंतर खुशहाली बनी रहती है। इस अवसर पर महिलाएं उपवास रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना भी करती हैं। इस दिन भतुआ दान (गुप्त दान) का विशेष महत्व माना गया है। परंपरा के अनुसार महिलाएं जरूरतमंदों को भतुआ, फल और पुआ पकवान आदि सामग्री दान देकर पुण्य अर्जित करती हैं। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और इसका उद्देश्य समाज में सहानुभूति और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। पूजन के बाद महिलाओं ने प्रसाद वितरण कर धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए। मंदिरों और आंवला वृक्ष स्थल के आसपास सुबह से ही धार्मिक माहौल बना रहा। अक्षय नवमी का यह पर्व आस्था, परंपरा और पारिवारिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है जिसे शेरघाटी क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया।

फार्मेट सी-1

(समाचार पत्र, टीवी में प्रकाशन हेतु अभ्यर्थियों के लिए)

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसार) (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)

अभ्यर्थी का नाम और पता : **संतोष कुमार निराला**

राजनैतिक दल का नाम : **जनता दल यूनाइटेड**

(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां "निर्दलीय" लिखें)

निर्वाचन का नाम : **बिहार विधान सभा**

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : **202, राजपुर(अ.जा.) विधान सभा क्षेत्र**

मैं **संतोष कुमार निराला** (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूं:

(क)	**लंबित आपराधिक मामले**			
क्रम सं०	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं तारीख	मामले (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (धाराएं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1.	अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-4 बक्सर	इटाढ़ी थाना कांड सं. 244/2020	लंबित	धारा 171 (सी), 171 (एच),भा.द.वि 188 जनप्रतिनिधी अधिनियम

क्रम सं०	(ख) **आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण**		
	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शों) की तारीख (खें)	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	**अधिकतम अधिरोपित दंड**
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

राज्यसभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

चेरकी गांव नेमाबिगहा में मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

शेरघाटी। प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चेरकी गांव के नेमाबिगहा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र कोड संख्या 126 के पोषक क्षेत्र में मंगलवार को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का आयोजन आंगनबाड़ी सेविका और विकास मित्र के संयुक्त प्रयास से किया गया। अभियान का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ग्रामीणों को मतदान के महत्व से अवगत कराना तथा अधिक से अधिक लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित कराना था। कार्यक्रम के दौरान सेविका एवं विकास मित्र ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मतदान न केवल हमारा अधिकार है, बल्कि यह लोकतंत्र को मजबूत करने की सबसे अहम प्रक्रिया है।

NAME CHANGE

I, Saharsh Saurav S/O Sri Rajesh singh R/o Mohalla Palakiya Fatehpur Ward No. 21/14 P.o & P.s.Sherghati, Distt. Gaya (Bihar) 824211 declare vide affidavit no. 31924 29/10/25 that my Aadhar Card No. 326121456190 my name has been correctly entered as SAHARSH SAURAV. Due to slip of pen or mistake my name has been mentioned in my passport bearing its No. P 9157875 as SAHRASH SAURAV KUMAR there is spelling mistake. as well as surname "KUMAR" has been extra addition as well as DOB as 13/02/1995 has been wrongly entered in liew of 13/02/2000 as per Aadhar Card. Now I will be known as Saharsh Saurav for all purpos in my all documents.

झूठे वादों से जनता को गुमराह कर रहा महागठबंधनः डॉ. प्रेम कुमार

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। सहकारिता मंत्री और गया टाउन से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार ने राजद के घोषणा पत्र को अव्यावहारिक और झूठा करार देते हुए कहा कि महागठबंधन भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र बिहार के बजट का 15 गुना और देश के कुल बजट के लगभग बराबर है। तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा जारी किए गए वादों को पूरा करने के लिए 45.41 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी जो 20 माह तो क्या, 5 साल में भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह डपोरशंखी घोषणा पत्र झूठे वादों का पुलिंदा है जिससे बिहार की जनता अब भ्रमित नहीं होगी। डॉक्टर प्रेम कुमार ने आंकड़ों के साथ बताया कि अगर 2.6 करोड़ परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी दी जाए तो केवल वेतन पर 12.48 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 करोड़ 'माय-बहन' योजना के लाभार्थियों पर 90 हजार करोड़, 2 करोड़ घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने पर 28,800 करोड़ और ?500 में गैस सिलेंडर देने पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1.6 करोड़ किसानों का कर्ज माफ करने पर एक लाख करोड़ रुपए, जीविका दीदियों को सहायता देने पर 36,000 करोड़ और पंचायती प्रतिनिधियों के भत्ते, पेंशन व बीमा पर कुल 700 करोड़ रुपए लगेंगे। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं को लागू करने में कुल 45.41 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी जो पूरे भारत के बजट के बराबर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इस घोषणा पत्र के 10 प्रतिशत वादे भी पूरे नहीं कर सकती।' उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसे झूठे वादों में न फंसें और एनडीए की सरकार बनाकर बिहार के विकास की रफ्तार को बनाए रखें।

अनिल कुमार को वाई या वाई प्लस सुरक्षा दी जाए : जीतन राम मांझी

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

गयाजी। जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के प्रत्याशी अनिल कुमार पर हुए हमले के बाद गुरुवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने घायल प्रत्याशी का हालचाल लिया। गयाजी के अनुग्रहपुरी कालिन स्थित आवास पर पहुंचने के बाद जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत में जानबूझकर सोची-समझी साजिश के तहत हमले का आरोप लगाया। मांझी ने कहा कि ये हताश विरोधी कार्य है। उनका कहना था कि विरोधी समझ चुके हैं कि टिकारी एक बार फिर उनके हाथ से निकल गया है। इसलिए उन्होंने हत्या तक की साजिश रची। हत्या के पीछे की मंशा थी कि टिकारी का चुनाव स्थगित हो और नए तरीके चुनाव हो। मंत्री ने घटना को गंभीर बताया।कहा कि गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। ड्राइवरों का पता अभी नहीं चला।

एनडीए सरकार के संकल्प के साथ युवा मोर्चा की रणनीतिक बैठक संपन्न

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

गयाजी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा, गयाजी (पूर्वी) की एक रणनीतिक एवं उत्साहपूर्ण बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक में मंच संचालन भारतीय जनता युवा मोर्चा, गयाजी के जिला महामंत्री आदित्य वर्धन एवं सागर सचदेवा ने संयुक्त रूप से किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य शहरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉ. प्रेम कुमार को विजयी बनाने के लिए रणनीति तैयार करना था। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त करने, युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा व्यापक जनसंपर्क अभियान को गति देने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल जैन, गया से नौवीं बार के विधानसभा प्रत्याशी एवं माननीय मंत्री डॉ. प्रेम कुमार, चुनाव प्रभारी रवि रंजन सिंह, नीरज कुमार, जिला प्रभारी सुरेश कुमार शर्मा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रूपेश वर्मा, तथा युवा मोर्चा से आशीष पाठक, रवि सिन्हा, विवेक चन्द्रवंशी, अमृता राज सहित बड़ी संख्या में भाजपा एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि गया की युवा शक्ति भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। प्रत्येक कार्यकर्ता को डॉ. प्रेम कुमार की ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित करने के लिए घर-घर संवाद करना होगा, जनता तक भाजपा और एनडीए की नीतियों को पहुंचाना होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की जानकारी देनी होगी। डॉ. अनिल जैन ने युवाओं से कहा कि भाजपा ने हमेशा युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा है। इस चुनाव में युवाओं की भागीदारी ही विजय की कुंजी बनेगी। वहीं डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि गया की जनता का भाजपा के प्रति विश्वास अटूट है। इस बार भी जनता एनडीए को भारी मतों से विजयी बनाएगी और शहरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का विजय पताका एक बार फिर लहराएगा। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गया शहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी डॉ. प्रेम कुमार की जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर पर सक्रिय रहेंगे, लोगों से निरंतर जनसंपर्क करेंगे, उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करेंगे, और एनडीए के पक्ष में रिकार्ड मतों से विजय सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में अपार जोश और आत्मविश्वास देखा गया।

सांस्कृतिक दल द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

मधेपुरा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो, पटना के अपर महा निदेशक एस.के.मालवीय और कार्यालय प्रमुख कुमार सौरभ के दिशा निर्देश में एवं स्वीप कोषांग मधेपुरा के नोडल अधिकारी श्री रिपुदमन और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के सहयोग से मधेपुरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गीत, संगीत, नुक्कड़ इत्यादि के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो, पटना के पंजीकृत सांस्कृतिक दल, मां सीता सेवा सदन, सराय, पटना द्वारा कर्पूरी चौक, मधेपुरा में संगीत एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। काफी संख्या में लोगों ने दी गई जानकारी को सुना, समझा, मतदान के लिए प्रेरित हुए। 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए संकल्पित होने का आग्रह निवेदन किया। यह जागरुकता कार्यक्रम 30.10.2025से 04.11.2025 तक मधेपुरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में यथा - कर्पूरी चौक, आलम नगर बाजार, उदाकिशन गंज बस स्टैंड, गांधी चौक, स्टेशन रोड, बिहारी गंज, मंदिर प्रांगण सिंहेश्वर, डाक बंगला चौक फुलौत, चौसा में कुल 6 स्थानों पर किया जाएगा। कार्यक्रम में कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉ शिप्रा कुमारी, तथा समाहरणालय के सहयोगी तथा जीविका दीदी इत्यादि उपस्थित थे।

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	214 - Arwal	Shri Manoj Kumar	Sri Ashish Kumar, JMFC Daudnagar PS Case No. 335/20 Evidence	U/S 143, 188, 269, 270, 271 IPC, and 3 Epidemic Act 1897	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	13- Harsidhdhi	Shri Krishna Nandan Paswan	न्यायलय श्री श्रीनिवास शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मोतिहारी Chakia PS Case no. 331/2023 Pending	U/S 189, 353, 504, 506 IPC	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	45 - Chhatapur	Shri Niraj Kumar Singh	CJM, Saharsa Saur Bazar P.S. Case no. 232/24 Pending	U/S 188 IPC	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	35 - BISFI	Sri Hari Bhushan Thakur	ACJM - Madhubani Rahika PS Case no. 202/25 Pending	U/s 191(2), 191(3), 126(2), 127(2), 115(2), 352, 351(2) BNS	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार : जेपी नड्डा

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

बिहारशरीफ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं रसायन तथा उर्वरक मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को नालंदा में कहा कि बिहार में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों के आधार पर बिहार के लोग मतदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राजद अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर जुवानी हमला बोला। कहा, यह चुनाव बिहार को विकास के पथ पर ले जाने वाले और विनाश के पथ पर ले जाने के बीच हो रहा है। जनता जंगलराज की वापसी नहीं चाहती है। तेजस्वी यादव वोट लेने के लिए कह रहे हैं कि हर परिवार में नौकरी देंगे। भीड़ से पूछा जो लोग नौकरी के लिए जमीन हड़प लेते हैं, क्या वे सच में नौकरी दें पाएंगे? जंगलराज में किस तरह दिनदहाड़े एक डीएम की सड़क पर जान ले ली गई थी। बिहार का यह चुनाव स्पष्ट रूप से एनडीए के विकास और महागठबंधन के विनाश के बीच है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रदेश को विकास की ओर ले जाने वाली सरकार है। जिन तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने अपना नेता घोषित किया है, उनकी पार्टी की सरकार में केवल बिहार का विनाश ही हुआ है। उन्होंने कहा कि महिला रोजगार योजना के अंतर्गत दो लाख 10 हजार महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। बिहार में 8.70 करोड़ लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निशुल्क राशन दिया जा रहा है। देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। बिहार में लाखों लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत निशुल्क पांच लाख तक का उपचार मिल रहा है। जेपी नड्डा ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान का आग्रह किया। इस अवसर पर लोजपा (रा) जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पासवान, जिला जदयू उपाध्यक्ष अनिल कुमार, भाजपा नेता धीरेन्द्र रंजन आदि अन्य उपस्थित थे।

बसों का पार्किंग स्थल बन गया एनएच

औरंगाबाद(नबिटा ब्यूरो)। जीटी रोड जिले के लोगों की लाइफलाइन मानी जाती है। यह सड़क दिन-प्रतिदिन अतिक्रमण की चपेट में आती जा रही है। शहर के औरंगाबाद से हरिहरगंज जाने वाला मुख्य मार्ग बसों का पार्किंग स्थल बन गया है। रामाबांध बस स्टैंड के पास इसी सड़क पर बस संचालक अपनी बसों को खड़ी करते हैं। करोड़ों की लागत से बने स्टैंड में कोई बस खड़ी नहीं करना चाहता है। स्थिति यह है कि सड़क पर जाम लग रहा है। इससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। बस स्टैंड के बाहर रांची, हरीहरगंज, नवीनगर, हजारीबाग, वाराणसी, पटना, गया, जहानाबाद, पलामू समेत अन्य जगहों के लिए बसें खुलती हैं। अत्यधिक बसें सड़क के दोनों तरफ ही खड़ी रहती है। इसको न तो कोई रोकने वाला है और न कार्रवाई करने वाला। जब कभी अधिकारी एक्शन में आते हैं कार्रवाई करते हुए वाहनों से जुर्माना वसूलते हैं। ओबरा, दाउदनगर, अंबा में भी सड़कों पर ही बसों को लगाया जाता है। जसोईया मोड़, बारुण के केशव मोड़, मदनपुर के शिवगंज व मदनपुर मुख्यालय में जीटी रोड पर ही बड़ी व छोटी वाहनों का पार्किंग होती है। स्थिति यह होती है कि हमेशा दुर्घटना होती रहती हैं। इतना होने के बावजूद भी परिवहन विभाग के अधिकारी चैन की नींद सोए रहते हैं।

अडानी पावर को दूसरी तिमाही में हुआ 2906 करोड़ का लाभ

बिजली की बिक्री में 7.4% का इजाफा

पुष्पांकर गुप्ता/ नबिटा ब्यूरो

भागलपुर। अडानी पावर लिमिटेड ने सितंबर तिमाही में 12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,906 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। पिछली वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 3,297.52 करोड़ था। कंपनी ने बताया कि खर्च बढ़ने के कारण मुनाफ़े में कमी आई है। हालांकि कुल आय बढ़कर 14,307.79 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 14,062.84 करोड़ थी। अडानी पावर ने कहा कि आय में यह वृद्धि बिजली की अधिक बिक्री से हुई है, भले ही आयातित कोयले की कीमतें और बाजार दरें कम रहीं। कंपनी का कुल खर्च इस तिमाही में ?10,341.59 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष 9,928.76 करोड़ था। अडानी पावर के सीईओ एस. बी. ख्यालिया ने कहा, इस तिमाही में भी कंपनी ने स्थिर वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है। हमारी मजबूत लाभप्रदता और तरलता हमें वर्ष 2031-32 तक 42 गीगावॉट क्षमता विस्तार के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी। कंपनी ने बताया कि उसने 23.7 गीगावॉट के विस्तार के लिए आवश्यक उपकरणों और भूमि की व्यवस्था कर ली है। इसके अलावा, कंपनी ने शक्ति योजना के तहत 4.5 गीगावॉट की नई दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते भी हासिल किए हैं। सितंबर 2025 तक अडानी पावर की कुल संचालन क्षमता बढ़कर 18,150 मेगावॉट हो गई है, जो पिछले साल 17,550 मेगावॉट थी। यह वृद्धि 600 मेगावॉट की विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के अधिग्रहण से हुई है। इस तिमाही में कंपनी ने बिहार राज्य पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ 2,400 मेगावॉट की 25 साल की बिजली आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बिजली बिहार के भागलपुर जिले के पिरपैंती में बन रहे नए अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट से दी जाएगी। कंपनी को मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से 1,600 मेगावॉट और कर्नाटक पावर कंपनी लिमिटेड से 570.5 मेगावॉट बिजली आपूर्ति के लिए स्वीकृति पत्र भी मिले हैं। इसके अलावा, विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड ने महाराष्ट्र डिस्कॉम के साथ 500 मेगावॉट के लिए 5 साल की मध्यम अवधि की पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी। महन एनर्जन लिमिटेड को सिंगरौली (मध्य प्रदेश) स्थित धिरौली खान में संचालन शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इस खान की अधिकतम उत्पादन क्षमता 6.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। कंपनी ने 22 सितंबर 2025 को अपने शेयरों का विभाजन किया है, जिसमें प्रत्येक 10 अंकित मूल्य के शेयर को 2 अंकित मूल्य के पाँच शेयरों में बदला गया है। परियोजनाओं के मोर्चे पर, कंपनी के महन, रायपुर और रायगढ़ के विस्तार कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिनकी प्रगति क्रमशः 73%, 35% और 30% है। वहीं, कोरबा (छत्तीसगढ़) में 1,320 मेगावॉट की परियोजना का निर्माण कार्य भी फिर से शुरू कर दिया गया है। ये परियोजनाएं 2026-27 से 2028-29 के बीच पूरी होने की उम्मीद है।

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	16 - Kalyanpur	Shri Sachindra Prasad Singh	Sub Judge-IX, ACJM, Chakiya, CHAKIYA, East Champaran, PS Case no. 161/2005 Pending	U/S 147, 148, 149, 341, 323, 353, 379, 332, 337 IPC	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	03 - Narkatiyaganj	Sri Sanjay Kumar Pandey	श्रीमान् पप्पु कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बेतिया शिकारपुर थाना काण्ड सं. 387/15 Evidence	धारा 188 भा.दि.वि., 03 बिहार सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 210	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	63 - KATIHAR	SRI TARKISHORE PRASAD	ACJM-I, Katihar Katihar Nagar PS 511/2020 Evidence	127A R.P. Act 1951	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

Format C - 2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(as per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No.536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of political party: **Bharatiya Janata Party**

*Name of Election: **Bihar Legislative Assembly Election 2025**

Name of State/UT: **Bihar**

Sl. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	Pending Criminal cases		Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offences(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed.
1.	62 - Purnea	Shri Vijay Kumar Khemka	CJM , Patna Kotwali (Patna) Case No.- 516/23, Under Investigation	U/S 188/147/ 149/323/ 324/337/338 and 353 IPS	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the Election concerned in place of name of constituency.

ऋण मामलों के निस्तारण में रिजर्व बैंक के निर्देशों का करें पालन : जिला जज

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

औरंगाबाद। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार राज कुमार ने कहा है कि बैंक ऋण से संबंधित मामलों के निस्तारण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का हर हाल में पालन किया जाए ताकि पक्षकारों को अधिक से अधिक राहत मिल सके। उन्होंने यह निर्देश आगामी 13 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर आयोजित एक बैठक में दिए। यह बैठक उनके प्रकोष्ठ में हुई, जिसमें मंडल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक औरंगाबाद अंचल, अग्रणी बैंक प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, बिहार ग्रामीण बैंक सहित जिले के प्रमुख बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे। जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाना है। ऐसे में बैंक ऋण से जुड़े मामलों में बैंकों को लचीला रवैया अपनाना चाहिए ताकि ऋणधारक राहत पा सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी अनुदान पर सूद वसूलने जैसी शिकायतें प्रकाश में आई हैं, जिनकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सभी बैंक अधिकारियों को स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बैंक ऋण मामलों में यदि अनुदान या राहत दिए जाने का प्रावधान है, तो उसका लाभ पात्र ऋणधारकों तक अवश्य पहुँचे। इससे न केवल लोक अदालत के उद्देश्य की पूर्ति होगी बल्कि आम जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल भी उपस्थित थीं। उन्होंने बैंक अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ऋण से संबंधित मामलों के निस्तारण में सहानुभूति पूर्ण व्यवहार अपनाएं ताकि लोगों को न्याय के साथ-साथ आर्थिक राहत भी मिल सके। बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का आश्वासन दिया।

जनता की भागीदारी में निहित है लोकतंत्र की सच्ची ताकत : श्रीकांत

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

औरंगाबाद। राज्य स्तरीय (अंतर प्रमंडलीय) विद्यालय खेल-ग्रीको रोमन अंडर 17/19 (बालक) कुश्ती प्रतियोगिता 2025-26 का भव्य उद्घाटन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्वीप अभियान के तहत जिलाधिकारी ने गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी खिलाड़ियों, शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं नागरिकों को मतदान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सच्ची ताकत जनता की भागीदारी में निहित है। जिस प्रकार खिलाड़ी खेल में पूरे समर्पण से भाग लेते हैं, उसी तरह 11 नवंबर को हर मतदाता को मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जिलाधिकारी ने अपने प्रेरक संबोधन में युवाओं से अपील की कि वे मतदान के प्रति जागरूकता फैलाएं और अन्य नागरिकों को भी लोकतंत्र के इस पर्व में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करें। राज्य स्तरीय कुश्ती ग्रीको रोमन खेल प्रतियोगिता में सभी 9 प्रमंडलों के खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ तालियां बजा कर जिला पदाधिकारी महोदय का स्वागत किया। जिलाधिकारी के द्वारा द्वीप प्रज्जवलन कर एवं पहलवानों के अखाड़े पर नारियल फोड़ कर और खेल और स्वीप का अलग अलग गुब्बारे उड़कर विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने अपने जिला में आए सभी खिलाड़ियों को स्वागत करते अपने जिले के खिलाड़ियों एवं छात्रों से कहा कि जीवन के एक खेल अवश्य खेलना चाहिए और इतनी शिद्दत से खेलें की राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराएं और अपने अपने परिवार, प्रखंड, जिला और राज्य का नाम रौशन करें और आज कल खेल में भी करियर बनाने का सुनहरा अवसर बिहार में भी खुला है। हमारे राज्य में खेल विश्वविधालय, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और खेल कॉम्प्लेक्स एवं खेल अवसंरचनाओं का निर्माण अत्याधुनिक तरीके से निर्माण हो रहा है । सभी खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर विजय होने की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, जिला खेल पदाधिकारी कुमार पप्पु राज, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी अंतरा कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भोला कुमार कर्ण, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एमडीएम रवि रौशन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान अमृतेश कुमार, अन्य जिला पदाधिकारीगण, स्वीप कोषांग के सदस्यगण, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का वातावरण देशभक्ति, खेल भावना और लोकतांत्रिक उत्साह से ओत-प्रोत रहा।

This may be published in Newspapers and TV from the day following the last date for withdrawal of candidature and upto two days before the date of poll

Format C-1

(for candidate to publish in newspapers, tv)

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25' September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India &Anr.)

Name and address of candidate: PRADEEP RAM
AT PO-BAGHELI, WARD NO-9, P.S-JADIA, SUPAUL

Name of political party: Jan Suraaj Party
(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election:General Election of legislative Assembly of Bihar- 2025

*Name of Constituency:44-TRIVENIGANJ (SC)

I PRADEEP RAM(name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

S. No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	ACJM V SUPAUL	CaseNo-75/2019 DATED-01.05.2019	PENDING	Section(s)147,149,152,153,341,342,332,353, 188,290,291,504,506 IPC

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

SI.no.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & Maximum punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1	Nil	Nil	Nil

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

Format C-2

(For political party lo publish in website, newspapers, TV)
Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
(As per the judgment dated 25'" September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name of Political Party : **Jan Suraaj Party**
*** Name of Election : General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025**
Name of State/ UT : Bihar

1.	2.	3.	4.		5.		
S. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	99-Baikunthpur	Ajay Prasad	1. JM, Gopalganj, PS Case no 40/2013, Baikunthpur & Pending 2. JM, Gopalganj, Ps Case no 14 3/201 4 ,Baikunth pur & Pending	1. Sec 143, 341,,342,363, 504 IPC 2. Sec 341,323,504 IPC	NA	NA	NA

Format C-2

(For political party lo publish in website, newspapers, TV)
Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
(As per the judgment dated 25'" September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name of Political Party : **Jan Suraaj Party**
* Name of Election : **General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025**
Name of State/ UT : **Bihar**

1.	2.	3.	4.		5.		
S. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	100-Barauli	Faiz Ahmad	A.D.J, Gopalganj, Case no.286/17 & Pending	Section 307/34 IPC	NA	NA	NA

Format C-2

(For political party lo publish in website, newspapers, TV)
Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
(As per the judgment dated 25'" September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name of Political Party : **Jan Suraaj Party**
* Name of Election : **General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025**
Name of State/ UT : **Bihar**

1.	2.	3.	4.		5.		
S. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	111-Goriyakothi	Ejaz Ahmed Siddique	1. J.M.-I, Siwan P.S. Case No. 233/ 2020 Pending 2. A.D.J., Siwan P.S. Case No. 74/ 2016 Pending	1. Sec: 147, 148,149,341 ,323,447,504, 506 of IPC 2. Section: 406,420,308 IPC	NA	NA	NA

Format C-2

(For political party lo publish in website, newspapers, TV)
Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party
(As per the judgment dated 25'" September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name of Political Party : **Jan Suraaj Party**
* Name of Election : **General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025**
Name of State/ UT : **Bihar**

1.	2.	3.	4.		5.		
S. No.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1.	107-Darauli	Ganesh Ram	CJM, Siwan, PS Case no 68/2024, Siwan & Pending	323,341,379/ 34 IPC	NA	NA	NA

कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है कुटुम्बा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र होने से बढ़ी राजनीतिक महत्ता

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

औरंगाबाद। जिले की कुटुम्बा विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं जिन्हें एनडीए किसी हालत में पराजित कर कांग्रेस के हाथ से ये सीट छीनना चाहता है। दूसरी ओर इस सीट से लगातार दो बार से चुनाव जीत रहे राजेश राम किसी हालत में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बेताब हैं। राजेश राम ने यहां से 2020 और 2015 का चुनाव जीता था। 2020 के चुनाव में कांग्रेसविरोधी मतों के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर), लोक जनशक्ति पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार ललन राम के बीच हुए बंटवारे का फायदा उठाकर राजेश कुमार ने जीत हासिल की थी। इस बार हिंदुस्तानी

राजेश कुमार

ललन राम

आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने ललन राम को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। ललन राम 2010 में जनता दल के टिकट पर कुटुम्बा के विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में उनकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 20 हज़ार से ज्यादा मत हासिल किए थे। एनडीए ने इस बार उनकी व्यक्तिगत छवि और अपने वोट बैंक को एक साथ लाने की कोशिश करते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश कुमार के पक्ष में महागठबंधन के समीकरण के अनुसार वोट माना जा रहा है। राजेश कुमार बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिलकेश्वर राम के पुत्र हैं जिन्होंने कई बार देव / कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। पहले इसे देव विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था लेकिन वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद कुछ पंचायत को इधर-उधर कर इसे नया विधानसभा क्षेत्र 'कुटुम्बा' नाम दिया गया। इस बार तीन निर्दलीय प्रत्याशियों सहित कल 11 उम्मीदवार यहां से चुनाव मैदान में हैं जिन में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और कांग्रेसके उम्मीदवार के अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी से प्रकाश कुमार, गण सुरक्षा पार्टी से अंगद कुमार, आजाद समाज पार्टी (काशीराम) से रामजनक राम, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी (सत्य) की ओर से रीमा कुमारी, जनसुराज पार्टी से श्याम बलिराम, शोषित समाज दल से राकेश राम शामिल हैं। इस बार कुटुंबा के 271697 मतदाता 350 मतदान केदों पर अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करेंगे जिनमें महिलाओं की संख्या 127123 है।

कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र

कुल मतदाता-271697
महिला मतदाता- 127123
कुल मतदान केंद्र-350

पूर्व विजेता

1980-रामलगन राम, जनता पार्टी
1985-दिल्केश्वर राम, कांग्रेस
1990-सहदेव चौधरी, भाजपा
1995-सुरेश पासवान, जनता दल
2000-सुरेश पासवान, राजद
2005-रेणु देवी, जदयू
2010-ललन राम, जदयू
2015-राजेश कुमार, कांग्रेस
2020-राजेश कुमार, कांग्रेस

स्कॉर्पियों के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

औरंगाबाद। जम्होर थाना क्षेत्र के चित्रगोपी मोड़ के समीप बुधवार की देर रात्रि स्कॉर्पियो व बाइक के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जम्होर थाना क्षेत्र के चित्रगोपी गांव निवासी भोला सिह के 30 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार सिह के रूप में हुई है। घटना की जानकारी गुरुवार की सुबह तब हुई जब गांव वाले सुबह टहलने के लिए निकले। ग्रामीणों ने देखा कि एक स्कार्पियो खेत में हैं और उक्त युवक का शव पुल में फंसा हुआ हैं जबकि युवक की बाइक घटना स्थल से 500 मीटर दूर पूर्व दिशा की ओर धान के खेत में फेंका हुआ हैं। घटना की सूचना मिलते ही जम्होर थानाध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद एवं दारोगा नितिन मिश्रा दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और पुल में फंसे शव को निकाला। इधर घटना की जानकारी मिलते ही गांव वालों ने मुआवजा को लेकर सड़क को जाम कर दिया और घटना की सही अनुसंधान करने की मांग पर अड़े रहे। थानाध्यक्ष ने आक्रोशित ग्रामीणों के आक्रोश को शांत करते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो सच्चाई सामने आएगी उसपर उचित कार्रवाई होगी। कहा कि हर हाल में मृतक के परिजनों को उचित न्याय दिलाया जाएगा। साथ ही सरकार द्वारा मुआवजा का जो भी प्रावधान है, उसे दिलाया जाएगा। इधर घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सांसद सुशील कुमार सिह घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पूर्व सांसद ने परिजनों का ढांढस बंधाया और मामले में ऊंची कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। पूर्व सांसद ने वहां मौजूद सदर एसडीपीओ वन को मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। इधर काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया और पोस्टमार्टम करा शव को परिजनों को सौंप दिया है। इधर छोटू की मौत के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। छोटू सिह रात्रि 10 बजे के करीब पास के ही किसी लाइन होटल से खाना खाने जा रहा था तभी हादसे का शिकार हुआ। परिजनों को हादसे की जानकारी सुबह ग्रामीणों से प्राप्त हुई। बता दें कि छोटू एक माह पूर्व ही जेल से छूटा था।

निर्माणाधीन हेलीपैड स्थल का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

औरंगाबाद। चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिले में प्रस्तावित आगमन के दृष्टिगत पुलिस लाइन मैदान स्थित निर्माणाधीन हेलीपैड का स्थल निरीक्षण जिलाधिकारी श्रीकान्त शास्त्री एवं पुलिस अधीक्षक अंबरीष राहुल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा हेलीपैड निर्माण कार्य की प्रगति, स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, जन-समागम के मार्ग, पार्किंग व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया गया। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिए जाएं ताकि माननीय प्रधानमंत्री के आगमन के अवसर पर सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से संचालित की जा सकें।

कंटेनर की ठोकर से बाइक सवार की मौत, एक गंभीर

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

औरंगाबाद। तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना मुफस्सिल थानाक्षेत्र के सामने एनएच-19 की है। मृतक की पहचान मदनपुर थाना क्षेत्र के वार वाजिदपुर निवासी 36 वर्षीय महेश राम के रूप में की गई है। जबकि घायल युवक की पहचान थाना क्षेत्र के ही जलवन गांव निवासी नीरज कुमार सिंह के रूप में की गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई। जहां चिकित्सकों ने महेश को मृत घोषित कर दिया। जबकि नीरज स्थिति गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार महेश रविदास राजमिस्त्री का काम करके परिवार का भरन पोषण कर रहा था। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान परिजनों ने बताया कि वह सिन्हा कॉलेज के समीप खरीदे अपने एक प्लॉट पर मकान बनवाना चाह रहा था। उसे जानकारी मिली कि महेश जलवन के समीप स्थित सहार गांव में अपने ससुराल आया था। उससे संपर्क कर उसी की बाइक पर सवार होकर सिन्हा कॉलेज प्लॉट दिखाने आ रहा था। बाइक महेश ही चला रहा था। जैसे ही बाइक उस जगह पहुंची की पीछे से आ रही कंटेनर ने उसे रौंद दिया। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि महेश का शरीर क्षतिग्रस्त हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे दो बेटा और दो बेटी के साथ भरा पूरा परिवार छोड़ गया है। उसकी मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस घटना से मृतक के परिजनों में शोक व्याप्त है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजे की मांग की है। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई है। जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है जिसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

टोटो पलटने से बच्चे की मौत

रफीगंज/नबिटा संवाददाता। रफीगंज-बराही मार्ग पर विशूनपुर गोरख बिगहा रोड में एक टोटो पलटने से एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। यह घटना सड़क पर लगे एक ठोकर के कारण हुई। भेटनिया पंचायत के भतारी गांव निवासी लालू यादव के एक वर्षीय पुत्र को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रफीगंज लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत बच्चे की मां ने बताया कि वे उसका इलाज कराने के लिए रफीगंज जा रही थी। इसी दौरान गोरख बिगहा रोड पर ठोकर से टोटो पलट गया, जिससे यह हादसा हुआ। थानाध्यक्ष शंभू कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि परिजनों ने नवजात बच्चे का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर शव को अपने घर ले गए। पुलिस ने कहा कि आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साइकिल रैली निकाली

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

औरंगाबाद। आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत स्वीप कार्यक्रम के तहत आज इंडोर स्टेडियम औरंगाबाद से एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के निर्देशन में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमृतेश, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रवि रौशन, जिला आपदा प्रभारी अंतरा कुमारी एवं खेल एवं संस्कृति पदाधिकारी पप्पू राज ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं और युवा मतदाता शामिल हुए। रैली इंडोर स्टेडियम से प्रारंभ होकर गांधी मैदान तक पहुंची। जहां प्रतिभागियों ने मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने वाले नारों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। बताया गया कि लोकतंत्र की सशक्तता हर नागरिक के मताधिकार के प्रयोग पर निर्भर करती है। हम सभी को आगामी विधानसभा चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान का संकल्प लेना चाहिए। युवा वर्ग इस जन-जागरूकता यात्रा के अग्रदूत बनें।

अक्षय नवमी पर महिलाओं ने की आंवला वृक्ष की पूजा

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

रफीगंज। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर अक्षय नवमी को लेकर महिलाओं ने आंवला वृक्ष के पास पूजा-अर्चना कर कथा सुनी। बलिराम मिश्र, रंजीत मिश्र ने कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व हैं।इस दिन भगवान विष्णु और शिव दोनों वास करते हैं।आंवला नवमी से जुड़ी माता लक्ष्मी की भी कथा है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आईं। रास्ते में उनकी इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एकसाथ करें। वो विचार करने लगीं कि किस तरह विष्णु और शिव की पूजा कैसे की जा सकती है तभी उन्होंने सोचा तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को,इसलिए उन्होंने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिह्न मानकर मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की, उस दिन कार्तिक मास की नवमी तिथि थी तभी से नवमी तिथि थी और उसी दिन से इसे आंवला नवमी कहा गया। मां लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परम्परा चली आ रही है। इसी दिन भक्तिमय हो शुद्धरूप से आंवला के वृक्ष के नीचे गाय के गोबर लीपकर पूजा-पाठ करते हैं। वहीं भोजन पकाकर लोग भोजन भी आंवला वृक्ष के नीचे करते है। इस अवसर पर सुमन देवी, मनोरमा देवी, प्रीति देवी, सुनैना देवी, नीलम देवी सहित अन्य महिलाएं शामिल रहीं।

व्यय प्रेक्षक ने अंतरराज्यीय सीमा का किया औचक निरीक्षण

औरंगाबाद(नबिटा ब्यूरो)। चुनाव के मद्देनजर रफीगंज विधानसभा के व्यय प्रेक्षक द्वारा मदनपुर, अंतरराज्यीय औरंगाबाद-गया सीमा पर अचानक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थानाक्षेत्र मदनपुर स्थित स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) की कार्यप्रणाली का अवलोकन करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण के क्रम में प्रेक्षक ने प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच, जागरूकता एवं सतर्कता व्यवस्था की समीक्षा की तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों को निष्पक्ष एवं सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रेक्षक महोदय को जांच प्रक्रिया एवं अन्य व्यवस्था की जानकारी दी गई तथा संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। निरीक्षण के क्रम में वाहनों की जांच, व्यक्तियों की पूछताछ एवं सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। प्रेक्षक ने उपस्थित दल को आदर्श आचार संहिता के पालन, संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगाह बनाए रखने तथा आम जन की सुविधा को ध्यान में रखकर जांच कार्य करने का निर्देश दिया।

शराब का सेवन व बेचने में 54 लोग गिरफ्तार

लगातार जारी रहेगा विशेष अभियान : एसपी

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

औरंगाबाद। चुनाव के मद्देनजर मादक प्रदार्थों की खरीद फरोख्त के खिलाफ निरंतर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सदर अनुमंडल अंतर्गत की गई छापामारी के क्रम में जम्होर थाना अंतर्गत शंकपुर चेकपोस्ट पर एक व्यक्ति को देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया तथा बारूण थाना अंतर्गत बारूण-दाउदनगर मार्ग पर कार सवार दो व्यक्तियों को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के फलस्वरूप 32 व्यक्तियों को शराब के सेवन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दाउदनगर अनुमंडल क्षेत्र में संचालित छापामारी अभियान के क्रम में ओबरा थाना अंतर्गत नौनेर में एक व्यक्ति को चुलाई एवं विदेशी शराब के साथ तथा दाउदनगर थाना अंतर्गत बेरई गांव से एक व्यक्ति को चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया और एक बाइक को जब्त किया गया। गोह थाना अंतर्गत लोहड़ी मोड़ के समीप एक व्यक्ति को चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। विभिन्न क्षेत्रों से शराब के सेवन के आरोप में कुल 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त ओबरा थाना क्षेत्र के नवनेर सोन दियरा, लबदना सोन दियरा, तेजपुरा सोन दियरा एवं महादेवा सोन दियरा में ड्रोन के माध्यम से छापामारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में अवैध चुलाई शराब एवं जावा महुआ बरामद किया गया तथा कई अवैध शराब भट्ठियों को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई में कुल 06 व्यक्तियों को शराब विक्रय एवं 48 व्यक्तियों को शराब सेवन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 112 लीटर अवैध देसी शराब, 0.915 लीटर अवैध विदेशी शराब तथा 12300 किलोग्राम जावा महुआ बरामद किया गया। साथ ही एक कार एवं एक बाइक को जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल के नेतृत्व में यह अभियान आगे भी जारी रहे ताकि शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न हो सके।

मतदान में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए लोगों को किया प्रेरित

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

औरंगाबाद। आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत आज उर्दू मध्य विद्यालय, रघुनाथगंज (मतदान केंद्र संख्या-221/359) में मतदाता पर्ची वितरण कार्य संपन्न किया गया। इस अवसर पर उपस्थित निर्वाचन कर्मियों द्वारा मतदाताओं को मतदाता पर्ची ससम्मान प्रदान की गई तथा उन्हें 11 नवंबर 2025 को होने वाले मतदान में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। निर्वाचन कर्मियों ने मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया, मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं एवं सुगम मतदान हेतु अपनाए गए उपायों की भी जानकारी दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के निर्देशानुसार जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता पर्ची वितरण कार्य सुचारू रूप से चलाया जा रहा है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक कमल किशोर द्वारा भास्कर प्रिंटिंग प्रेस (डी.बी.कॉर्प.लि.), उड़ान टोला, दानापुर कैंट, शिवाला रोड, खगौल, शाहपुर, पटना (बिहार) से मुद्रित एवं सत्येन्द्र नगर, औरंगाबाद (बिहार) से प्रकाशित।

संपादक - कमल किशोर

नवबिहार टाइम्स (दैनिक)
सत्येन्द्र नगर औरंगाबाद (बिहार)
पिन - 824101
मो.-9431223574,9572550076
व्हाटसप नं.-7295863300
ई-मेलः nbtimesbihar@gmail.com
Web : www.navbihartime.com

झारखंड कार्यालय
31, कॉपरेटिव कॉलोनी.
बोकारो स्टील सिटी, बोकारो
मो.- 9431145865

दिल्ली प्रतिनिधि
मो.- 09818366269

औरंगाबाद में एनडीए की बैठक संपन्न, सभी दलों ने दिखाई एकजुटता

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

औरंगाबाद। एनडीए गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को कुंडा हाउस में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता हम पार्टी के जिला अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह ने की जबकि संचालन जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार गुड्डू सिंह ने किया। बैठक में लोजपा के जिला अध्यक्ष सोनू सिंह ने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में उतर चुका है। उन्होंने कहा कि एक-एक वोट हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में रहेगा। औरंगाबाद से त्रिविक्रम नारायण सिंह को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजा जाएगा। जदयू नेत्री मंजरी सिंह ने कहा कि भाजपा एवं एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को अपार बहुमत से जीताकर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचा है और महिलाएं भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मंजरी सिंह ने कहा कि एनडीए उम्मीदवार व्यावहारिक, कुशल और राजनीतिक सूझबूझ से परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इसलिए ऐसे उम्मीदवार को जीताकर भेजा जाएगा जो आगे चलकर बिहार सरकार में मंत्री बनकर क्षेत्र का नेतृत्व करें और औरंगाबाद का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं ने कहा कि उनका पूरा समर्थन एनडीए गठबंधन के साथ है। जदयू नेता जिया खान ने कहा कि उनके मोहल्ले का हर वोट एनडीए गठबंधन को जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक पिछले दस वर्षों में जनता के बीच झांकी तक नहीं दिखे, इसलिए इस बार अल्पसंख्यकों का वोट भी एनडीए गठबंधन को मिलेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल 'पांचों पांडव' की तरह एकजुट होकर अपार बहुमत से बिहार में फिर से सरकार बनाएंगे। बैठक में एनडीए के विभिन्न घटक दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिनमें प्रमुख रूप से योगेंद्र भारती, विजय चंद्रवंशी, रंजीत चंद्रवंशी, मंजरी सिंह, राजीव कुमार पटवर्धन, की शिवनाथ राम, विजय ठाकुर, विजय मेहता, मंटू कुमार, अमित कुमार, जितेंद्र कुमार, रुपेश पटेल, तपेश्वर चंद्रवंशी, विजय चंद्रवंशी, भाजपा नेता पुरुषोत्तम कुमार सिंह, उज्जवल कुमार सिंह, रंजीत कुशवाहा, अशोक पांडे, मनोज कुशवाहा और विजेंद्र चंद्रवंशी शामिल रहे। बैठक के अंत में एनडीए नेताओं ने संकल्प लिया कि एकजुट होकर गठबंधन प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया जाएगा और औरंगाबाद को विकास के नए पथ पर अग्रसर किया जाएगा।

अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा की हुई जांच

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

औरंगाबाद। जिले में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की सतत समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। इसी क्रम में आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक इशाक रीमान खड़कोगर के द्वारा आज जिले के नबीनगर एवं कुटुंबा विधानसभा क्षेत्रों के वैध अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा की जांच की गई। यह जांच जिला मुख्यालय स्थित वाणिज्यकर कार्यालय औरंगाबाद में संचालित निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग में की गई, जिसमें व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह राज्य कर संयुक्त आयुक्त रवि रंजन आलोक, ज्ञानी दास, राज्य कर संयुक्त आयुक्त, गुंजन कुमार राज्य कर सहायक आयुक्त अनामिका कुमारी राज्य कर सहायक आयुक्त संतोष कुमार राज्य कर सहायक उपायुक्त सहायक व्यय प्रेक्षक, व्यय लेखा संधारण दल, तथा संबंधित अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्ता उपस्थित थे। बैठक के दौरान व्यय प्रेक्षक ने प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा संधारित शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर, कैश बुक, वाउचर बुक, प्रचार सामग्री व्यय रजिस्टर, वाहन उपयोग विवरण तथा वीडियो निगरानी प्रकोष्ठ से प्राप्त रिपोर्ट का विस्तारपूर्वक परीक्षण किया। जांच के क्रम में व्यय प्रेक्षक खड़कोगर ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक व्यय मद निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं मानकों के अनुरूप दर्ज की जा रही है या नहीं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अभ्यर्थी एवं उनके लेखा एजेंट प्रतिदिन के सभी व्ययों की प्रविष्टि शैडो रजिस्टर में करें तथा उसे समय-समय पर निर्वाचन व्यय प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करें ताकि व्यय की पारदर्शिता बनी रहे। व्यय प्रेक्षक ने अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि प्रचार-प्रसार से संबंधित सभी प्रकार के व्ययों जैसे- पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, पंपलेट, जनसंपर्क रथ, जनसभाओं, लाउडस्पीकर, सोशल मीडिया प्रचार एवं वाहन उपयोग आदि का लेखा-जोखा साक्ष्य सहित संधारित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित व्यय सीमा का उल्लंघन न किया जाए तथा प्रत्येक खर्च की रसीद एवं बिल सुरक्षित रखी जाए ताकि जांच के समय किसी प्रकार की असंगति न हो। समीक्षा के दौरान व्यय प्रेक्षक ने व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे नियमित अंतराल पर अभ्यर्थियों के व्यय अभिलेखों की तुलनात्मक जांच करते रहें और यदि किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो उसकी रिपोर्ट तत्काल उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सर्वोपरि है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे चुनावी व्यय से संबंधित प्रत्येक निर्देश का अक्षरशः पालन करें। व्यय प्रेक्षक ने इस अवसर पर निर्वाचन व्यय अनुश्रवण से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत वीडियो निगरानी टीम (वीएसटी), वीडियो व्यूइंग टीम (वीवीटी), स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) एवं एक्सपेंडीचर ऑब्जर्वेशन टीम (ईओटी) के बीच समन्वय स्थापित कर व्यय अनुश्रवण को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

2 नवंबर को कुंती नगर के मैदान में प्रधानमंत्री की होगी ऐतिहासिक सभा

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

नवादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित नवादा सभा को सफल बनाने के लिए आयोजित प्रेस वार्ता में एनडीए नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न केवल देश, बल्कि पूरी दुनिया के शीर्ष और प्रभावी नेताओं में शुमार हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने चौमुखी विकास किया है, जिसका लोहा दुनिया के अधिकांश देश मान रहे हैं।

नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में राज्य में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार की सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति केवल एनडीए शासन में ही संभव है। वक्ताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए प्रत्याशियों पर हुए हमलों को लेकर राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि यह "गुंडाराज का ट्रेलर" है। यदि राजद की सरकार बनी तो राज्य एक बार फिर जंगलराज की ओर लौट जाएगा। नेताओं ने लोगों से अपील की कि वे पुनः बिहार में एनडीए सरकार की स्थापना सुनिश्चित करें, ताकि विकास की गति बनी रहे। उन्होंने बताया कि नवादा में होने वाली प्रधानमंत्री की सभा में नालंदा, शेखपुरा, गया समेत कुल 14 एनडीए प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन प्रत्याशियों की जीत के लिए शंखनाद करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभा में लाखों लोग शामिल होकर प्रधानमंत्री के संबोधन से लाभान्वित होंगे और विकसित बिहार के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में हरियाणा प्रभारी सह केंद्रीय प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश महामंत्री लाजवनती झा, धनबाद विधायक राज सिन्हा, जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल मेहता, जदयू अध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी, लोजपा (आर) अध्यक्ष मनोज सिंह, आरएलएम अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा, जिला भाजपा प्रभारी राजेश सिंह, कार्यक्रम प्रभारी अरविंद गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष विनय सिंह, वीरेंद्र सिंह, महामंत्री नंदकिशोर चौरसिया, नवादा विधानसभा संयोजक अभिजीत सिन्हा, उपाध्यक्ष तेजस सिन्हा, मीडिया प्रभारी गुलशन कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

बालू लदा ट्रैक्टर पुलिस ने किया जब्त

हसपुरा (औरंगाबाद)। थानाक्षेत्र के परनपुरा गांव की ओर से हसपुरा पुलिस ने अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को जब्त किया है। बताया जाता है कि सोन नदी से खनन कर बालू लदा ट्रैक्टर चौराही रोड के रास्ते परनपुरा गांव की ओर जा रही थी। चालक को पुलिस पर नजर पड़ा तो रोड के साईड में खड़ा कर चालक फरार हो गया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि बालू लदा ट्रैक्टर को जब्त करते हुए थाना लाया गया। उसके ईंजन नंबर से सत्यापन किया और अज्ञात चालक सहित ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ अग्रतर कार्रवाई करते हुआ खनन विभाग के अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाई मे पुलिस जुट गई।

पंचाने नदी में डूबे किशोर का शव बरामद

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

नारदीगंज,नवादा। थाना क्षेत्र के बरियो हिरामन बिगहा गांव के समीप पंचाने नदी में डूबे किशोर के शव को गुरुवार के सुबह में निकाला गया। घटना 28 अक्टूबर यानी मंगलवार को छठपर्व के पारण दिन अर्ध्यदान करने के समय में नदी में किशोर डूब गया था। उसके बाद लोग खोजबीन में लगे रहे। घटना के दो दिन के बाद खोजबीन करने में किशोर का शव नदी में मिला। मृतक की पहचान कादिरगंज थाना के देवनपुरा निवासी अमीरक चौधरी का 12 वर्षीय पुत्र बिक्रम कुमार के रुप में किया गया है। शव बरामद होने की खबर मिलते ही स्वजन व शुभ चिंतकों में मातम छा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नवादा भेज दिया गया। मृतक का ननिहाल नारदीगंज थाना क्षेत्र के चिरैयां गांव में है। इस बाबत मृतक के मामा (मामूजी) नारदीगंज थाना क्षेत्र के चिरैयां निवासी रविन्द्र चौधरी ने बताया मृतक बिक्रम कुमार मेरा भगिना था। वह अपनी मां और भाई समेत अन्य परिवार के साथ मेरे गांव में रहता है। मृतक की मां (मेरी बहन) छठपर्व कर रही थी। मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्यदान के लिए सभी परिवार बरियो हिरामन बिगहा गांव के समीप पंचाने नदी गये थे। तभी यह हादसा हो गया। उसके बाद लोग खोजबीन में लग गये। काफी मशक्कत के बाद गुरुवार की सुबह में उसका शव बरामद हुआ। मृतक दो भाई में सबसे छोटा है। उसके पिता मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। पीड़ित परिवारों ने आपदा प्रबंधन कोष से सहयोग राशि उपलब्ध कराने की मांग विभागीय अधिकारियों से की है।

Format C-2

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25''' September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : JAN SURAAJ PARTY

Name of Election : General Election to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of State/ UT : BIHAR

1.	2.	3.		4.		
Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
		Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
75-Saharsa	Kishore Kumar	1. ACJM Patna P.S. Case No.- 13112025 (Hawai Adda) Pending 2. ACJM Patna P.S. Case No.- 154/2025 (Sachivalaya Thana Pending	1. Sec. 191(2), 190, 189 (5), 195(1), 132, 61(2), 3s2 BNS 2. Sec. 191(2), 190,132,223 BNS	NA	NA	NA

सतर्कता अभियान सप्ताह के तहत दिलायी गयी सत्यनिष्ठा की शपथ

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

जहानाबाद। जिला पदाधिकारी अलंकृता पाण्डेय की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन मे "सतर्कता अभियान सप्ताह" के तहत नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समाहरणालय स्थित सभागार में पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सत्यनिष्ठा का शपथ दिलाया गया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, बिहार के निर्देशानुसार 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता अभिचेतना सप्ताह का आयोजन सभी विभागों के साथ साथ जिला मुख्यालय के सभी कार्यालय, विभागों, अनुमंडल कार्यालय, सभी प्रखंड कार्यालय मे आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार जन-जीवन को आक्रान्त और कलुषित करता है और अंततः उसे संज्ञानहीन कर डालता है। एक स्वच्छ, सक्रिय और निष्ठावान प्रशासन-तंत्र ही राज्य में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को सद्गति प्रदान कर सकता है एवं मानवाधिकार की रक्षा कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में पूरे जन-जीवन और प्रशासन-तंत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में अपेक्षित सतर्कता के प्रति अभिचेतना का संचार, प्रचार और प्रसार होगा। विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध "जीरो टॉलरेंस" नीति को दृढ़तापूर्वक लागू कर सभी स्तरों पर भ्रष्टचार नियंत्रण हेतु ठोस प्रयास जारी है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु बिहार विशेष अधिनियम-2009 के अन्तर्गत भ्रष्ट लोक सेवकों की सम्पत्ति को राज्यसात करने की कार्रवाई को गति प्रदान की गई है।

जिला पदाधिकारी ने बताया कि मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। इस कार्यक्रम मे जिला पदाधिकारी के साथ-साथ उप विकास आयुक्त डॉ. प्रीति, अपर समाहर्ता, राजस्व अनिल कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव कुमार, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच विनय कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, विशेष कार्यक्रम तेज नारायण राय सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

मखदुमपुर (जहानाबाद)। जहानाबाद जिले के टेहटा थाना की पुलिस ने देसी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस आशय की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली के कलानौर महादलित टोला में कारू मांझी पिता जीतन मांझी अवैध रूप से शराब बेचने का काम कर रहा है। वहीं सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कलानौर महादलित टोला से कारू मांझी को चार लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल जांच करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

हिसुआ विधानसभा के मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का किया निरीक्षण

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

नवादा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के सुचारू, निष्पक्ष एवं सफल संचालन के उद्देश्य से मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का प्रशिक्षण संत जोसेफ विद्यालय, नवादा में 29 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2025 तक विधानसभावार संचालित किया जा रहा है। इस श्रृंखला में आज 236–हिसुआ विधानसभा के पीठासीन पदाधिकारियों, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षक 236-हिसुआ नितिन के. पाटिल भा.प्र.से. एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण किया एवं प्रशिक्षण की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रशिक्षण कक्षों का भ्रमण कर मतदान कर्मियों से संवाद स्थापित किया और प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य एक अत्यंत संवेदनशील एवं जिम्मेदारीपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए प्रत्येक मतदान कर्मी को अपने कर्तव्यों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि प्रशिक्षण के दौरान इवीएम एवं वीवीपैट के प्रायोगिक प्रदर्शन, मतदान दिवस की प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, मतदाता सत्यापन, सीलिंग प्रक्रिया एवं संदेह निवारण सत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की त्रुटि न हो। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, अतः सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी समय से प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होकर निर्वाचन कार्यों की पूरी जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो पदाधिकारी प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहेंगे, उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 235–रजौली (अ.जा.) विधानसभा का प्रशिक्षण 29 अक्टूबर 2025 को संपन्न हो चुका है। 236–हिसुआ विधानसभा का प्रशिक्षण आज 30 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया, जबकि आगामी कार्यक्रमानुसार 237–नवादा विधानसभा का प्रशिक्षण 31 अक्टूबर, 238–गोविंदपुर विधानसभा का प्रशिक्षण 1 नवम्बर एवं 239–वारिसलीगंज विधानसभा का प्रशिक्षण 2 नवम्बर 2025 को संपन्न कराया जाएगा।

मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को किया गया जागरूक

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

जहानाबाद। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर जहानाबाद जिला में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया गया। 217 घोसी विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड मोदनगंज में भव्य मानव श्रृंखला बनाया गया और लोगों को 11 नवंबर 2025 को मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। इसके साथ ही डोर टू डोर विजिट किया गया और मतदाता रैली भी निकाली गई। साथ ही सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता शपथ भी लिया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मोदनगंज बाजार के महिला, पुरुष, जीविका दीदी, सेविका, कुमारी किरण (महिला पर्यवेक्षिका), अविनाश कुमार गुप्ता (प्रखंड समन्वयक), विनोद कुमार (प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी- सह-शिक्षा पदाधिकारी) एवं मीरा कुमारी (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी) मोदनगंज ने भाग लिया।

Format C-1

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25' September, 2018, of Hon 'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India &Anr.)

Name and address of candidate: Md. Ishaque Alam, Tabarak Nagar Ward No 05, Loharpatti Road Post+Thana+District-Kishanganj (Bihar) Pin-855108

Name of political party : JAN SURAAJ PARTY

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election : General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of Constituency : 54-KISHANGANJ

I **Md. Ishaque Alam** a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

S. No.	Name of Court	Case No. and Dated	Status of Case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	CJM,Kishangganj	PS Case no 257/2010, Kishanganj	Pending	Sec 188 IPC (Disobedience to an order duly promulgated by a public servant.)
2.	JM 1st Class,Kishanganj	PS Case no 13/2019, Paukhali	Pending	Sec-171(C) IPC and 3 public Defacement of Property act (Undue influence or interference in elections, and defacement or damage to public property.)
3.	JM 1st Class,Kishanganj	Ps Case no 12/19, Paukhali	Pending	Sec-171(C) IPC and 3 public Defacement of Property act (Undue influence or interference in elections, and defacement or damage to public property.)

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

SI.no.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & Maximum punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	N.A	N.A	N.A

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

सुहागिन महिलाओं ने की आंवला वृक्ष की पूजा, सुख-समृद्धि की कामना

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

औरंगाबाद। जिले के शहर व ग्रामीण में अक्षय नवमी का पर्व पूर्ण विधि विधान के साथ मनाया गया। महिलाओं ने परिवार की सुख, समृद्धि एवं स्वस्थ जीवन की कामनाओं के साथ आंवला वृक्ष की पूजा की। अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा-अर्चना करती नजर आई। आंवला वृक्ष के नीचे महिलाओं ने विधि विधान से पूजा कर आंवला नवमी पर्व मनाया। इस मौके पर महिलाएं आंवला वृक्ष के नीचे परिवार के साथ भोजन किया। वहीं कई महिलाओं ने सामूहिक तौर पर पूजा अर्चना कर महा आरती सहित अन्य अनुष्ठान किए। महिलाओं ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाये जाने वाले इस आंवला नवमी पर्व पर गुरुवार को स्नान कर सौभाग्यवती महिलाओं ने आंवले के पेड़ की जड़ में दूध, रोली, अक्षत, फूल, गंध चढ़ाया गया। फिर आंवले के पेड़ की सात बार और अधिक से अधिक 1०8 बार परिक्रमा कर दीये जलाएं। महिलाओं ने आंवला वृक्ष के नीचे कथा का वाचन कर आंवले के पेड़ का पूजन किया। वहीं आंवला वृक्ष को 16 सिगार की सामग्री अर्पित कर विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाकर मां गौरी की आरती की। उसी वृक्ष के नीचे बैठकर सह परिवार भोजन ग्रहण किया। इस दौरान कई महिलाएं अपने पति और पुत्र की दीर्घायु सहित परिवार के लिए आरोग्यता और सुख सौभाग्य की मंगल कामना करती हुई नजर आई। धार्मिक मान्यता है कि आंवले के पेड़ में देवताओं का वास होता है। भगवान विष्णु और शिव आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। इसी कारण आंवला नवमीं पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया तप, जप, दान आदि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करता है। आंवले के पेड़ की पूजा करने के एक कारण यह भी है कि आंवला स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी होता है। विभिन्न रूपों में इसका सेवन बीमारियों को दूर करता है। पं. मुकेश पाठक ने बताया कि इस दिन आंवला वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष पर निवास करते हैं। आंवला नवमी पर आंवला वृक्ष के पूजन और दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के दिन आंवला की परिक्रमा लगाने का काफी महत्व बताया गया। इस दिन परिक्रमा लगाने से काफी पुण्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि अक्षय नवमी पर मां लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक में भगवान विष्णु एवं शिव जी की पूजा आंवले के रूप में की थी और इसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण किया था। यह भी कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। यह भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने कंस वध से पहले तीन वनों की परिक्रमा की थी।

Format C-2

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25‴ September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : JAN SURAAJ PARTY

Name of Election : General Election to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of State/ UT : BIHAR

1.	2.	3.		4.		
Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
		Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
83-Dharbhanga	R. K Mishra	1. S.D.J.M., Patna P.S. Case No.- 815124 (Gandhi Maidan) Pending	1. Sec. 191(2), 191(3), 190, 223, 131, 132, 324(4), BNS	NA	NA	NA

Format C-2

(For political party lo publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25‴ September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : Jan Suraaj Party

* Name of Election : General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of State/ UT : Bihar

1.	2.	3.	4.		5.		
S.no.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	89 Aurai	Radha Raman	A.C.J.M IV, Patna sadar , PS Case no 131/25,Patna Hawai Adda & Pending	Sec191(2),190, 189(5),195(1), 132,61(2), 352 BNS	NA	NA	NA

Format C-2

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25‴ September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : JAN SURAAJ PARTY

Name of Election : General Election to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of State/ UT : BIHAR

1.	2.	3.		4.		
Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
		Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
90-Minapur	Tej Narayan Sahni	C.J.M , Muzaffarpur P.S Case no 20/2024 (Muzaffarpur) Pending	Sec- 341, 323, 324, 376(d), 506,34 IPC	NA	NA	NA

Format C-2

(For political party lo publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25‴ September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : Jan Suraaj Party

* Name of Election : General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of State/ UT : Bihar

1.	2.	3.	4.		5.		
S.no.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	95-Kanti	Sudarshan Mishra	A.C.J.M IV, Patna , PS Case no 131/2025 Patna & Pending	Sec 191(2),190, 189(5), 195(1),132, 61(2),352 BNS	NA	NA	NA

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

(डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 536/2011 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार)

अभ्यर्थी का नाम एवं पता: **शिव प्रकाश गरीब दास** ग्राम- **उसीचक पो0 संजात भगवानपुर जिला-बेगूसराय**

राजनीतिक दल का नाम: **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस**(निर्दलीय उम्मीदवार यहां स्वतंत्र लिखें)

चुनाव का नाम: **बिहार विधान सभा**

'निर्वाचन क्षेत्र का नाम: **142 बछवाड़ा विधान सभा**

मैं **शिव प्रकाश गरीब दास**(उम्मीदवार का नाम), उपर्युक्त चुनाव के लिए एक उम्मीदवार, सार्वजनिक जानकारी के लिए अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिवित विवरण घोषित करता हूँ:

सारणी

क.	संबध्द पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं-	भगवानपुर भगवानपुर बछवाडा मंसुरचक बुद्धा कॉलोनी पटना बुद्धा कॉलोनी पटना	बेगूसराय बेगूसराय बेगूसराय बेगूसराय पटना	237/2020 209/2020 210/2020 94/2020 236/2020 341/24
ख.	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं0	ऐ.सी.जे एम. राकेश कुमार एवं ऐ.सी.जी.एम ऐ.सी.जे एम. सी.जी.एम ऐ.डी.जे 34	तेघड़ा तेघड़ा तेघड़ा पटना	237/24 209/20 210/20 256/20 241/24
ग.	अंतर्वलित संबध्द अधिनियमों/संहिताओं कीधाराएं(धारा की सं.दें अर्थात भारतीय दंड संहिता,आदि कीधारा..	171(H)188,269,27D,271IPC 188,269,271,IPC 171(H)188,341,323,353,269,270/34SPL 171(H)188,341,323,353,269,270/34SPL 191(2) 190D 115 (2) 123A , 152, 121 (i323 B.N.S	बेगुसराय	
घ.	अपराध का संक्षिप्त विवरण	आचार संहिता का उलंघन	सरकारी कार्य में बाधा	साधारण उलंघन एवं अन्य
ड.	क्या आरोप विरचित किए गए हैं(हां या नहीं का उल्लेख करे।	नहीं	नहीं	नहीं
च.	दि उपर्युक्त मद(ड)के सामने उत्तर हां है,तो यह तारीख दे,जिसको आरोप विरचित किए गए थे।	शुन्य	शुन्य	शुन्य
छ.	क्या कार्यवाहियों के विरुध्द कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है(हांया नहीं का उल्लेख करें)	शुन्य	शुन्य	शुन्य

सारणी

क.	मामला संख्यांक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख.	न्यायालय का नाम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ग.	अंतर्वतिल अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं(धारा की सं.दे)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

राज्य सभा के लिए चुनाव या विधायकों द्वारा विधान परिषद के लिए चुनाव के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित चुनाव का उल्लेख करें।

"हर गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाना ही संकल्प"

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

रफीगंज। रफीगंज प्रखंड के करमा हुसैन गांव में गुरुवार को आयोजित जनसंपर्क व सभा कार्यक्रम में जदयू–एनडीए प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह ने चुनावी माहौल को और गति देते हुए ग्रामीणों से समर्थन की अपील की। सभा की अध्यक्षता एवं संचालन भाजपा ग्रामीण मंडल महामंत्री शिवनारायण साव ने किया। कार्यक्रम में अतिथियों का अंगवस्त्र व माला पहनाकर स्वागत किया गया। जनसंपर्क अभियान के दौरान चित्रसारी, गाजी कर्मा, भदूकिकला, डिहवा, खैरा, मंझौली, गोपालपुर, कोना धमनी, गंधरा, टिकरी, लोदीपुर, जैन बिगहा, बलवंत बिगहा, मंजखड, शैलोपुर, बलिगांव सहित कई पंचायतों में लोगों से मिलकर वोट देने की अपील की गई। ग्रामीणों ने भी चुनावी चर्चा में उत्साह के साथ भाग लिया।

"राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम" : प्रमोद कुमार सिंह

सभा को संबोधित करते हुए प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि रफीगंज विधानसभा वर्षों से विकास के लिहाज से उपेक्षित रहा है। उन्होंने कहा "मैं राजनीति को सेवा का माध्यम मानता हूं, सत्ता का साधन नहीं। मेरा लक्ष्य करमा हुसैन से लेकर पूरी विधानसभा के हर गांव तक विकास की धारा पहुँचाना है। हमारी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को अब हर घर तक पहुंचाना आवश्यक है।" उन्होंने इसे "विकास बनाम भ्रष्टाचार" का चुनाव बताते हुए कहा कि जनता इस बार एनडीए को भारी बहुमत देकर नई दिशा देगी। प्रमोद कुमार सिंह ने आगे कहा कि उनकी प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा गांव-गांव तक सड़क, बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। "हर गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचें, यही मेरा सपना है। जनता का विश्वास मेरा संबल है और मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा," उन्होंने कहा। कई राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति कार्यक्रम में भाजपा वरिष्ठ नेता सह कोषाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बब्लू सिंह, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार पासवान, पंचायत समिति सदस्य मंटू शर्मा, रविंद्र सिंह, श्यामसुंदर शर्मा, गुड्डू चौहान, सीताराम साव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

Format C-2

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : JAN SURAAJ PARTY

Name of Election : General Election to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of State/ UT : BIHAR

1.	2.	3.	4.		5.		
S.no.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	78-Kusheshwar Asthan(SC)	Shatrudhan Paswan	1. S.D.J.M., Biraul Kusheswarsthan P.S. Case No. 53/25 Pending 2. S.D.J.M., Biraul Kusheswarsthan P.S. Case No. 376/24 Pending 3. A.C.J.M.-I, Biraul, Kusheswarsthan P.S. Case No.-221/20 Pending 4 Spl. Court SC/ST (POA), Darbhanga Kusheswarsthan P.S. Case No.-160/15 Pending	1. Sec.- 191(2), 190, 132, 126(2), 127(2), 115(2), 308(3), 324, 32(b) BNS 2. Sec.- 223, 329(3), 352, 3(5) BNS 3. Sec.-341, 323, 353, 504, 34 IPC 4. Sec.- 147, 148, 149, 448, 341, 323, 324, 325, 354, 380, 436, 429, 504, 314 IPC & 3(1)(X) SC/ST Act.	NA	NA	NA

Format C-2

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : JAN SURAAJ PARTY

Name of Election : General Election to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of State/ UT : BIHAR

1.	2.	3.	4.		5.		
S.no.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	84-Hayaghat	Pratibha Singh	Additional Chief Judicial Magistrate, Andheri, Mumbai. Andheri P.S. Case No. 1958/2016 Pending	Sec.- 141, 143, 145, 147, 149, 452,427 IPC (unlawful assembly, Punishment for being a member of an unlawful assembly, Punishment for rioting, wrongful restraint, Mischief causing damage to property of ₹50 or more)	NA	NA	NA

Format C-2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : JAN SURAAJ PARTY

Name of Election : General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of State/ UT : BIHAR

1.	2.	3.		4.		
Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
		Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
88- Gaighat	Ashok Kumar Singh	1.Court No. 311, Karkarduma New Delhi, Case No. 237/25 & Charge not framed 2.J.M. -1 Muzaffarpur, Case No. 177/25 & Charge framed	1.Section- 69 BNS 2.Section- 419, 420, 466, 468, 471 IPC	NA	NA	NA

Format C-2

(For political party lo publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : Jan Suraaj Party

* Name of Election : General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of State/ UT : Bihar

1.	2.	3.	4.		5.		
S.no.	Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
			Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	81-Alinagar	BIPLAW KUMAR CHOUDHARY	1. A.D.J 1ST , PS Case no 192/2004, Bahera &Pending 2. S.D.J.M , Benipur , Ps Case no 25/2016, Alinagar & Pending	1. Sec147,148, 149,323,324, 307,379,312, 504,506,189 IPC 2. 447,141,323 ,504/34 IPC	NA	NA	NA

डीएम ने सामग्री कोषांग का किया निरीक्षण

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

बिहारशरीफ। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से बिहार क्लब, बिहार शरीफ में अवस्थित सामग्री कोषांग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कोषांग में किए जा रहे विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा सामग्री वितरण एवं संग्रहण की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाए जाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पोलिंग पार्टियों को निर्वाचन सामग्रियाँ समय पर, सही तरीके से और पूर्ण सुरक्षा के साथ उपलब्ध कराई जाएं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सभी कोषांगों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है ताकि चुनाव की हर प्रक्रिया निर्दिष्ट समय-सारिणी और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि जिले में मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निर्भय वातावरण में मतदान करने हेतु प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रत्येक स्तर पर सतर्कता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी ताकि नालंदा जिला में निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन आदर्श रूप से हो सके। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल प्रभारी सामग्री कोषांग सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

जीविका दीदियों ने रैली निकाल कर मतदाताओं को किया जागरूक

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

बिहारशरीफ। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के अवसर पर नालन्दा जिले में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निरंतर स्वीप गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में सिलाव प्रखंड के ग्राम पथलातिल्ला में गुरुवार को जीविका दीदियों द्वारा एक भव्य रैली निकालकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। रैली के दौरान जीविका दीदियों ने हाथों में बैनर लिए हुए "मतदान करें, लोकतंत्र को सशक्त करें", "पहले मतदान, फिर जलपान" जैसे नारों के माध्यम से ग्रामीणों को आगामी विधानसभा चुनाव में बढ़-चढ़कर मतदान करने के लिए प्रेरित किया।

Format C-2

(For political party to publish in website, newspapers, TV)

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : JAN SURAAJ PARTY

Name of Election : General Elections to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of State/ UT : BIHAR

1.	2.	3.		4.		
Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
		Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
77- Mahishi	Shamim Akhtar	C.J.M. Saharsa, Case No. - 1080/2005 & Pending	Section 420, 467, 468, 34, 120-B IPC	NA	NA	NA

Format C-2

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : JAN SURAAJ PARTY

Name of Election : General Election to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of State/ UT : BIHAR

1.	2.	3.		4.		
Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
		Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
73-Madhepura	Shashi Kumar	J.M 1ST Class -XIV, Patna P.S. Case no-83/09, Madhepura Pending	Sec 364,34 of IPC	NA	NA	NA

Format C-2

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : JAN SURAAJ PARTY

Name of Election : General Election to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of State/ UT : BIHAR

1.	2.	3.		4.		
Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
		Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
74-Sonbarsa(SC)	Satyendra Kumar	1. J.M-1, Saharsa P.S. Case no 18/2018, Basnahi Pending	1. Sec 341,323,435, 504,34 IPC	NA	NA	NA

Format C-2

Declaration about criminal antecedents of candidates set up by the party

(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)

Name of Political Party : JAN SURAAJ PARTY

Name of Election : General Election to Legislative Assembly of Bihar-2025

Name of State/ UT : BIHAR

1.	2.	3.		4.		
Name of Constituency	Name of Candidate	(A) Pending Criminal Cases		(B) Details about cases of conviction for criminal offences		
		Name of Court, case No. & status of the case(s)	Sections of the Acts concerned & brief description of offence(s)	Name of Court, case No. & date(s) of Order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
70-Alamnagar	Subodh Kumar Suman	1. S.D.J.M., Udakishanganj Case No: 93/2024 Pending 2. S.D.J.M., Udakishanganj Case No: 128/2015 Pending 3. S.D.J.M., Udakishanganj Case No 541/2015 Pending 4. S.D.J.M., Udakishanganj Case No 3O7/2023 Pending 5. S.D.J.M., Udakishanganj Case no 53/2015 Pending	1. Sec 147, 323, 42O, 467, 468, 120(B) of IPC 2. Sec 341,323,384,379,504, 506, 141 of IPC 3. Sec 341, 323,354(b),448, 380, 504, 506, 34 of IPC 4. Sec 135 of Electricity Act 2003 5. Sec 341, 323,354(a),504, 506, & 34 of IPC 6. Sec 30(A) of	NA	NA	NA